
Procedure for ISRO e-Procurement client installation

- 1. Download the file "ISRO_EProcClient.zip" to your computer.
- 2. Extract the ISRO EprocClient.zip file to C:\ ISRO EprocClient.
- 3. Double click the exe file "EProcClient_X_X_X.exe" in folder. The following window displays. Keep it open and minimised during bidding or DC enrolment.



4. A log file "EprocClient.log" will also be created in the same folder

NB: Please note that before DC enrolment or Bidding, double click the exe file "EProcClient_X_X_X.exe" in the PC and keep the window minimised.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE



लघु एवं अनुरक्षण कार्य के लिए अविभाज्य कार्य संविदा मद दर ITEM RATE INDIVISIBLE WORKS CONTRACT FOR MINOR AND MAINTENANCE WROK

(निर्माण एवं सहबद्ध कार्यों हेतु/FOR CIVIL AND ALLIED WORKS)

निविदा अधिसूचना एवं संविदा की शर्तें TENDER NOTIFICATION AND CONDITIONS OF CONTRACT

2015

प्रस्तावना

- इस पुस्तक में अंतिरक्ष विभाग (अं.वि.) के लघु एवं अनुरक्षण कार्यों (निर्माण एवं सहायक कार्यों) के लिए लागू अविभाज्य कार्य संविदा की मद दर हेतु निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना (एन.आई.टी.) एवं संविदा की शर्तें निहित हैं।
- 2. यह पुस्तक तीन भागों में है यथा भाग-। निविदा चरण, भाग-॥ पश्च निविदा चरण भाग-॥
 -निविदाएं प्रस्तुत करते समय निविदाकारों/संविदाकारों द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र।
- 3. निविदा दस्तावेजों को जारी करने से पहले, निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना पर अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी द्वारा सभी रिक्त स्थान ठीक ढ़ंग से भरे जाएं।
- 4. निविदाकार को अपनी दरें केवल इस निविदा के साथ संलग्न अनुसूची "क" में ही देनी होंगी।

अ.वि./ इसरो

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ सं.
भाग-।:	निविदा चरण	H-1
क	निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना	H-2
ख	निविदाकार/ ठेकेदार द्वारा घोषणा	H-7
भाग-॥:	निविदा-पश्च चरण	H-10
क	परिभाषाएं	H-11
ख	संविदा की सामान्य शर्तें (जी.सी.सी.)	H-14
ग	सामान्य दिशानिर्देश, [संविदा की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के	H-46
	साथ पढ़ा जाए]	

अ.वि./ इसरो

भाग-। निविदा चरण

क. निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना

भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग

निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग/समूह, (दूरभाष सं सहित पूरा पता)

	निविदा सूचना सं	दिनांक
1.	भारत के राष्ट्रपति की ओर से,	निम्नलिखित कार्यों हेतु मोहरबंद मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती
	हैं।	

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	कार्य का नाम	
2.	निविदा की अनुमानित लागत	₹
3.	कार्यादेश जारी करने के 15वें दिन से हिसाब लगाते हुए कार्य समाप्ति की अवधि, माह में।	
4.	निविदा दस्तावेज की लागत	₹
5.	निविदा दस्तावेज के लिए अनुरोध की अवधि	
6.	निविदा दस्तावेज जारी करने अंतिम तिथि	
7.	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	
8.	निविदा खोलने की नियत तिथि एवं समय	

2. निविदा दस्तावेज जारी करने का पात्रता मानदण्ड-निविदा दस्तावेज उन लोगों को जारी किया जाएगा जो निम्न पात्रता मानदण्ड पूरे करते हैं:

बयाना राशि जमा (ई.एम.डी.)

9.

क्र.सं.	अर्हता मापदंड	अर्हता हेतु लिखित प्रमाण	
		(स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियां भेजी जाएं)	
क.	पिछले सात वर्षों के दौरान निम्नलिखित कार्य		
	संतोषजनक रूप से पूर्ण किए होने चाहिए।	प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य आदेशों एवं	
	i. तीन समान कार्य, प्रत्येक की लागत प्राक्कलित	कार्य समापन प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित	
	लागत के 40% से कम नहीं होना चाहिए (या)	प्रति।	
	ii. दो समान कार्य, प्रत्येक की लागत प्राक्कलित	-	
	लागत के 60% से कम नहीं होना चाहिए (या)	समापन प्रमाण-पत्रों की पुष्टि में टी.डी.एस.	
	iii. एक समान कार्य, जिसकी लागत प्राक्कलित	(स्रोत में कर की कटौती) प्रमाण-पत्र	
	लागत के 80% से कम नहीं होना चाहिए।	संलग्न होने चाहिए।	
	नोट:		
	i. समान कार्य का अर्थ है, ""		
	ii. निष्पादित कार्यो की मूल्य, बोली के लिए आवेदन	की प्राप्ति की अंतिम तिथि से गणना कर प्रति	
	वर्ष 7% की साधारण दर पर कार्य की वास्तविक	कीमत को बढ़ाते हुए वर्तमान लागत स्तर पर	
	लाया जाएगा।		
ख.	अनुरक्षण कार्यों के लिए लागू -	पी.एफ. एवं ई.एस.आई. पंजीकरण सं. की	
	पी.एफ. एवं ई.एस.आई. पंजीकरण होना चाहिए।	प्रति।	

- 3. मात्र दस्तावेजी पात्रता के आधार पर निविदा दस्तावेजों के जारी करने से ही निविदाकार बोली लगाने के लिए हकदार नहीं हो जाता। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। यदि वे अपेक्षानुसार न पाए गए तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- 4. देय मांग ड्राफ्ट एवं उपरोक्त विनिर्दिष्ट पात्रता दस्तावेज, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निविदा दस्तावेजों के साथ निविदा दस्तावेज समूह प्रधान/प्रधान का कार्यालय, निर्माण एवं अनुरक्षण समूह/प्रभाग (संपर्क सं. के साथ पूरा पता) से शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के सिवाय पैरा में उल्लिखित अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं।
- 5. निविदाओं के साथ के पक्ष में जारी किसी अनुसूचित बैंक के माँग रसीद में जमा/मियादी जमा रसीद के रूप में (या) अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक प्रतिभूति के रूप में उपरोक्त पैरा 1 में निर्धारित मूल्य के लिए बयाना राशि जमा संलग्न होनी चाहिए। बयाना राशि जमा निविदाओं की प्राप्ति की नियत तिथि से 180 दिनों तक वैध होनी चाहिए।
- 6. निविदाएं निम्नानुसार तीन मुहरबंद कपडे के अस्तर वाले लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
 - लफाफा i बयाना राशि जमा के साथ इस लिफाफे पर /बयाना रशि जमा/ और कार्य का नाम, एन.आई.टी. संख्या एवं निविदाकार का नाम भी लिखा होना चाहिए। उपरोक्त पैरा (5) में निर्धारित किए गए पूर्ण वैधता के साथ आवश्यक ई.एम.डी. के बिना निविदाएं तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी।
 - लिफाफ ii तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ इस लिफाफे पर /तकनीकी-वाणिज्यिक बोली/ और कार्य का नाम, एन.आई.टी. संख्या एवं निविदाकार का नाम लिखा होना चाहिए। इस लिफाफे में पूर्णतया भरे हुए एवं हस्ताक्षर किए गए निविदा दस्तावेजों (मूल्य बोली को छोड़कर जो लिफाफा iii में होनी चाहिए) का पूरा सेट होना चाहिए। यदि निविदाकार विभागीय शर्तो एवं विनिर्देशनों पर कोई प्रेक्षण/टिप्पणी/अभियुक्ति करना चाहता है तो उसे तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली में स्पष्ट करना होगा। अन्यथा इस आशय की पुष्टि संलग्न होनी चाहिए कि निविदाकार निविदा की शर्तो एवं निबंधनों तथा विनिर्देशनों से पूर्णतया सहमत है।
 - लिफाफा iii मूल्य बोली सिहत इस लिफाफे पर /मूल्य बोली/ और कार्य का नाम, एन.आई.टी. संख्या तथा निविदाकार का नाम भी लिखा होना चाहिए। निविदाकार को दर का उल्लेख अंकों के साथ-साथ शब्दों में तथा उनके द्वारा प्रस्तावित की गई राशि का उल्लेख करना चाहिए। प्रत्येक मद की राशि की गणना की जानी चाहिए और अपेक्षित राशि दी जाए। सभी संशोधन तिथि सिहत निविदाकार के आद्याक्षरों द्वारा सत्यापित होने चाहिए। दरें, निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत मूल्य बोली के प्रारूप में ही भरी जानी चाहिए। मूल्य बोली में किसी प्रकार की शर्त उसे अवैध कर देगी और वह अस्वीकार कर दी जाएगी।

उपरोक्त तीनों लिफाफे एक अन्य मुहरबंद कपड़े के अस्तर वाले लिफाफे के अंदर रखे जाने चाहिए जिस पर कार्य का नाम, एन.आई.टी. संख्या और निविदाकार का नाम लिखा हो। किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।

7. निविदा दस्तावेज केवल मुद्रित प्रति के रूप में ही जारी किए जाएंगे। कीमत को विभाग द्वारा जारी किए गए निविदा दस्तावेजों के मूल सेट का भाग निरूपित करती मूल्य अनुसूची/परिमाण के बिल में ही दर्शाया जाएगा और उपरोक्त पैरा 6 में निर्धारित लिफाफा (iii) में मूल रूप में वापस कर दी जाएगी।

- 8. निविदाकार को तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली तथा मूल्य बोली के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना होगा। आवश्यक पृष्ठों को ठीक से भरकर निविदा दस्तावेज मूल रूप में, आरेखों सहित निविदा के साथ लौटाए जाएं।
- 9. निविदाएं उपरोक्त पैरा 1 में उल्लेख की गई निर्धारित तिथि एवं समय पर समूह प्रधान, निर्माण एवं अनुरक्षण समूह, भाग के कार्यालय में प्राप्त किए जाएँगे एवं खोले जाएंगे। विलंब एवं देर से प्राप्त हुई निविदाओं को बिना विचार किए अस्वीकार कर दिया जाएगा। निविदाएं उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में खोली जाएंगी।
- 10. खोलने की नियत तिथि पर लिफाफा (i) पहले खोला जाएगा। तत्पश्चात, उसी दिन लिफाफा (ii) केवल उन निविदाकारों का खोला जाएगा जिन्होंने वैध ई.एम.डी. प्रस्तुत किया है। लिफाफा ii, खोलने के बाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली की विस्तृत संवीक्षा/मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान, निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की विस्तार से जाँच की जाएगी। यदि कोई निविदा जो पात्रता मानदण्ड पूरा नहीं करती है तो उसे इस चरण पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसे प्रस्तावों पर आगे विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें संविदाकारों द्वारा पूरे किए गए चुनिंदा कार्यों का निरीक्षण भी शामिल होगा। उन्हीं निविदाकारों की मूल्य बोली एक निर्दिष्ट तिथि (अर्ह बोलीकर्ताओं को नियत सूचना के साथ) को अर्ह निविदाकारों को नियत सूचना के साथ खोली जाएगी जो जाँच और तकनीकी मूल्यांकन के दौरान अर्ह पाई गई है और अनुबंधों के अनुसार आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
- 11. ठेकेदार जिसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, की बयाना राशि निष्पादन गारंटी के रूप में परिवर्तित की जाएगी। कार्य के पूरा होने पर, उसे प्रतिभूति जमा के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। बयाना राशि के भुगतान से छूट के मामले में कार्य की स्वीकृति/कार्य आदेश की प्राप्ति पर तत्काल निविदा में दर्शाई गई अनुमानित लागत, का 2% अलग से निष्पादन गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 12. निविदाएँ प्रस्तुत करने के पूर्व **समूह प्रधान सी.एम.जी./ प्रधान सी.एम.डी./ इंजीनियर-एस.जी./ इंजीनियर-एस.एफ. / इंजीनियर-एस.ई./ इंजीनियर-एस.डी.** की अनुमित लेकर कार्यस्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 13. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी न्यूनतम या कोई अन्य निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। सभी निविदाएं जिसमें कोई निर्धारित शर्त पूरी नहीं की जाती है या निविदाकार औपबंधिक छूट की कोई शर्त रखता है तो उन्हें बिना विचार किए अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 14. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी कार्य आदेश जारी करने से पूर्व कार्य क्षेत्र में परिवर्तन/कार्य की मात्रा को कम करने का अधिकार भी रखता है और निविदाकार इस पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकता।
- 15. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी सम्पूर्ण निविदा या किसी भाग को स्वीकार करने का आधिकार रखता है और निविदाकार प्रस्तावित दर पर कार्य निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा।
- 16. निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सिफारिश करने पर सख्त प्रतिबंध है और ठेकेदारों द्वारा सिफारिश का सहारा लेते हुए प्रस्तुत की गई निविदाएं अस्वीकार कर दी जा सकती हैं/

- 17. निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी समय-समय पर सरकार की नीतियों के अनुसार प्रस्तावों के लिए प्राथमिकता देने का विकल्प रखता है।
- 18. ठेकेदार को विभाग के उस केंद्र विशेष, जो ठेके को प्रदान करने और निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी है, के प्रभाग में कार्य करने हेतु निविदा करने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जहाँ उसका निकट संबंधी कार्यरत हो। उसे उन व्यक्तियों के नाम बताने होंगे जो उसके साथ किसी भी रूप में कार्य कर रहे हैं या तदुपरांत उसके द्वारा नियुक्त किए जाएँ और जो अंतरिक्ष विभाग में किसी राजपत्रित अधिकारी के निकट संबंधी हैं। ठेकेदार द्वारा इस शर्त के किसी उल्लंघन पर निविदा को अस्वीकार या संविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
- 19. निविदा, उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट निविदा की प्राप्ति की नियत तिथि से न्यूनतम **120 दिनों की** अविध तक वैध होगा। यदि कोई निविदाकार वैधता अविध के अंदर प्रस्ताव वापस लेता है या निविदा के किसी भी नियम और शर्त में संशोधन करता है जो विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं है तो सरकार को किसी अन्य अधिकार या निवारण के पूर्वाग्रह के बिना बयाना राशि जमा का 50 % (प्रतिशत) पूर्णतया जब्त करने की छूट है। साथ ही, निविदाकार को कार्य की पुनःनिविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनमति नहीं दी जाएगी।
- 20. निविदा तय होने पर, सफल निविदाकार के साथ एक करार किया जाएगा।

समृह प्रधान, सी.एम.जी./ प्र	धान सी.एम.डी
-----------------------------	--------------

ख. निविदाकार/ ठेकेदार द्वारा घोषणा

कार्यों हेतु मद दर निविदा

ज्ञापन

क) कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या, दिनांक तथा विषय

ख) अनुमानित लागत	₹
ग) बयाना राशि	₹
घ) निष्पादन गारंटी	₹
ङ) प्रतिभृति जमा	₹

- च) कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15वें दिन से कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय । ए.एम.सी. कार्य के मामले मेंमहीने/अविध।
- 1. मैं/हम एतद्द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए इस लिखित ज्ञापन तथा निविदा आंमत्रित अधिसूचना (एन.आई.टी.) में दिए गए कार्य के लिए ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अंदर अपलोड की गई मात्रा की अनूसूची (अनुसूची-क) में दी गई दरों तथा सामान्य संविदा शर्तों (जी.सी.सी.) के खंड 11 में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार लिखित में दी गई विशिष्टताओं, डिजाइनों, आरेखों तथा अनुदेशों के संबंध में तथा ऐसी सामग्री के साथ जो हर तरह से लागू शर्तों के अनुसार हो, के कार्यान्वयन के लिए निविदा देते हैं।
- 2. यदि इस निविदा को पूर्ण अथवा भाग में स्वीकार किया जाए तो मैं/हम इस निविदा के सभी निबंधनों तथा संविदा के सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) को पूरा करने तथा उसका पालन करने की सहमति देता हूँ/देते हैं, तथा जी.सी.सी. के सामान्य अनुदेशों के साथ पठित तथा इसके साथ संलग्न और एन.आई.टी. में शामिल सभी निबंधनों तथा प्रावधानों को मेरे/हमारे द्वारा पढ़ा गया है तथा जहाँ तक लागू है मुझे/हमें समझाया गया है अथवा इसमें हुई चूक के लिए भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके प्रतिनिधि को उक्त शर्तों में उल्लेखित राशि का जुर्माने के तौर पर भुगतान करेंगे।
- 3. ₹______ की राशि इसके साथ रेखांकित माँग ड्राफ्ट, मियादी जमा, अनुसूचित बैंक द्वारा अनुमोदित बैंक गारंटी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारंटी कृत अनुसूचित बैंक के कॉल रसीद की दी गई गारंटी के द्वारा बयाना राशि के तौर पर अग्रेषित की जाती है। यदि मैं/हम उपरोक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य को शुरू करने से चूकता हूँ/चूकते हैं तो मैं/हम इससे सहमत हूँ/हैं कि राष्ट्रपति अथवा उनके प्रतिनिधि बिना किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के अथवा उपाय के, उक्त ई.एम.डी. जब्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।
- 4. विभाग द्वारा मेरे/हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने के मामले में, मैं/हम उद्देश्य पत्र/कार्य आदेश के जारी करने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर आवश्यक निष्पादन गारंटी के रूप में बयाना राशि जमा का पुनः वैधीकरण करने के लिए सहमत हैं। यदि किसी मामले में, मैं/हम निर्दिष्ट अविध में तथा बढ़ाई गई अविध, यदि कोई हो, का पुनः वैधीकरण करने से चूकता हूँ/चूकते हैं, तो मैं/हम इससे सहमत हूँ/हैं कि राष्ट्रपति अथवा उनके प्रतिनिधि बिना किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह अथवा उपाय के, उक्त ई.एम.डी. जब्त करने हेतू स्वतंत्र हैं।
- 5. मैं/हम निविदा दस्तावेजों में दिए गए सभी कार्यों को, उसमें दी गई निर्दिष्ट शर्तों पर करने, और उन्हें शर्तों के खंड 12 के अधीन दिए गए आदेश के ऐसे व्यतिक्रम में, जिन्हें आगे निविदा दस्तावेज में उद्धृत दरों की व्यतिक्रम सीमा कहा गया है तथा जो संविदा की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के खंड 12 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाने वाली दर सीमा से अधिक हों, करने की सहमित देता हूँ/देते हैं।

6. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेजों, आरेखों तथा कार्य से संबंधित अन्य रिकार्ड को गृप्त/गोपनीय दस्तावेज मानुंगा/मानेंगे तथा देश की सुरक्षा की दृष्टि से इसे हानि पहुँचाने के किसी भी मामले में इस सूचना का प्रयोग नहीं करूंगा/करेंगे तथा इसकी जानकारी किसी को नहीं दूंगा/देंगे। 7. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के निर्माण तथा अनुरक्षण समूह के सिविल इंजीनियरी कार्यों के विनिर्देशों/इलेक्ट्रिकल कार्यों हेतू विनिर्देशों/वातानुकूल कार्यों हेतू विनिर्देशों के कार्यों की प्रति रखता हूँ/रखते हैं। मैंने/हमने उसमें दी गई विषय वस्तु को नोट करते हुए ग्रूप प्रधान, सी.एम.जी./प्रधान, सी.एम.डी. के कार्यालय में उपलब्ध विनिर्देशों की मास्टर कॉपी पर हस्ताक्षर किया है/किए हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमने विनिर्देशों का विस्तृत रूप से अवलोकन कर लिया है तथा उनकी बारीकी से जाँच कर ली है तथा मैं/हम इस कार्य हेत् ऐसे सभी विनिर्देशों के पालन हेत् अपनी प्रतिबद्धता की सहमति देता हूँ/देते हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि निविदा दस्तावेजों में दिए गए विनिर्देशों तथा उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार ही कार्य को पूरा किया जाएगा। जिन कार्य हेतु मदों को उपरोक्त दिए गए विनिर्देशों में नहीं शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुसंगत सी.पी.डब्ल्यू.डी. विनिर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा, और यदि सी.पी.डब्ल्यू.डी. विनिर्देशों में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया है तो कार्य को भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत विनिर्देशों अनुसार पूरा किया जाएगा, और यदि उपरोक्त में से किसी में भी शामिल नहीं किया गया है, तो कार्य को प्रभारी, अभियंता द्वारा लिखित में दिए गए निर्देशों अनुसार पुरा किया जाएगा। 8. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परामर्शदाता से या अन्य किसी इकाई, जिसने परियोजना, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं, के लिए डिजाइन, विनिर्देशन और अन्य दस्तावेजों को तैयार किया है, से संबद्ध नहीं हूँ/हैं, और न ही पूर्व में संबद्ध रहा हूँ/रहे हैं। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परामर्शदाता से या अन्य किसी इकाई, जिसे विभाग द्वारा ऐसे कार्यों जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, के पर्यवेक्षण की तैयारी के लिए परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतू कार्य पर रखा गया हो, से संबद्ध नहीं हूँ/हैंक, और न ही पूर्व में संबद्ध रहा हूँ/रहे हैं। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हमारे उद्धत दर ऊपर उल्लेखित अनुसार है।वाह का.....दिन साक्षी/गवाह पता वृत्ति निविदाकारों/ठेकेदार का हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति की ओर से एतद्द्वारा उपरोक्त निविदा के लिए ₹...... की राशि मेरे द्वारा स्वीकार की जाती है।दिन निविदाकार/ठेकेदार का हस्ताक्षर स्वीकृत करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर वैध पते के साथ

साक्षी/गवाह के सामने निविदा प्रस्तुत

भाग-॥ निविदा-पश्च चरण

क. परिभाषाएँ

1. संविदा:

'संविदा' से निविदा और उसकी स्वीकृति तथा भारत के राष्ट्रपति और ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक करार के दस्तावेज और उसके साथ उसमें विनिर्दिष्ट, दस्तावेज अभिप्रेत हैं जिसके अंतर्गत ये शर्तें, विनिर्देश, डिजाइनें, रेखाचित्र और प्रभारी अभियंता द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेश भी हैं और इन सभी दस्तावेजों से मिलकर एक संविदा तैयार होगी और ये दस्तावेज एक दूसरे के पूरक होंगे।

2. टेकेटार:

'ठेकेदार' से वह व्यक्ति या फर्म या कम्पनी, चाहे वह निगमित है या नहीं, अभिप्रेत है जो संकर्म करने का भार अपने उपर लेता/लेती है और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का अथवा ऐसी फर्म या कम्पनी को गठित करने वाले व्यक्तियों के विधिक निजी प्रतिनिधि अथवा फर्म या कम्पनी के उत्तराधिकारी तथा ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म या फर्मो या कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं।

3. राष्ट्रपति:

'राष्ट्रपति' से भारत के राष्ट्रपति और उनके पदोत्तरवर्ती अभिप्रेत हैं।

4. सरकार:

'सरकार' या 'भारत सरकार' से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं।

5. विभाग:

'विभाग' से अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है।

प्रभारी अभियंता:

'प्रभारी अभियंता' से, यथास्थिति समूह प्रधान, सी.एम.जी./प्रधान सी.एम.डी./अभियंता-एस.जी./ अभियंता-एस.एफ./ अभियंता-एस.ई/ अभियंता-एस.डी. या सरकार द्वारा घोषित समुचित सक्षम अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका कार्यप्रभारी होगा और जो संविदा पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करेगा।

७. कार्यः

'कार्य' पद का अर्थ, जब तक विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थ के विपरीत, यह अर्थ लगाया और माना जाएगा कि वह की गई संविदा के अनुसार या आधार पर किया जानेवाला कार्य है चाहे वह अस्थायी या स्थायी है और चाहे वह मूल, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अतिरिक्त है।

8. स्थल:

'स्थल' से अभिप्रेत है वह भूमि और/ या अन्य स्थल जिस पर, या जिसमें से होकर कार्य का संविदा के अधीन निष्पादन किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिससे होकर कार्य का संविदा के

अधीन निष्पादन किया जाना है या ऐसी पार्श्वगस्थ भूमि, पथ या मार्ग जो संविदा को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आबंटित या प्रयुक्त किया जाए।

9. बाजार मूल्य:

'बाजार मूल्य', लागू करों, शुल्कों तथा परिवहन खर्च जहां कार्य को कार्यान्वित करना है और सभी <mark>उ</mark>परी खर्च एवं लाभों पर अनुसूची 'एफ' में दिए गए प्रतिशत सहित सामग्री की लागत और स्थल पर मजदूरी के आधार पर प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित की गई दर होगी।

10. अनुसूची/ अनुसूचियां:

इन शर्तों में दी गई 'अनुसूची/ अनुसूचियों' का अर्थ, निविदा दस्तावेज के साथ अनुबंधित संबंधित सूची होगी।

11. दर की अनुसूची (एस.ओ.आर):

निविदा प्राप्ति के दिनांक तक किए गए संशोधनों सिहत अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित नियम की 'दर सूची'

12. निविदा दर:

'निविदा दर' अर्थात पूरे कार्य हेतु वह मूल्य जो कार्य प्रदान करने के पत्र या कार्य आदेश में दिया गया है। ख. संविदा की सामान्य शर्तें (जी.सी.सी.)

अनुक्रमणिका

खंड सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
खंड 1	निष्पादन गारंटी	H-18
खंड 1क	प्रतिभूति जमा	H-18
खंड 2क	विलंब के लिए क्षतिपूर्ति	H-18
खंड 2ख	हटा दिया गया	
खंड 3	संविदा का निर्धारण	H-19
खंड 3क	किसी एक पक्षकार द्वारा संविदा की समाप्ति	H-21
खंड 4	खण्ड 3 के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने पर भी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार पर रहेगा	H-21
खंड 5	अवधि और विलंब हेतु अवधि बढाना	H-22
खंड 6	निष्पादित कार्य का मापन	H-23
खंड 6क	कंम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक	H-24
खंड 7	भुगतान	H-26
खंड 8	कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र	H-27
खंड 8क	ठेकेदार द्वारा कार्य-स्थल पर स्वच्छता	H-27
खंड 8ख	हटा दिया गया	
खंड 9	अंतिम बिल का भुगतान	H-28
खंड 9क	ठेकेदार के बिल का बैंकों में भुगतान	H-28
खंड 10	हटा दिया गया	
खंड 10क	ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री	H-28
खंड 10ख (i)	हटा दिया गया	
खंड 10ख (ii)	हटा दिया गया	
खंड 10ग (i)	हटा दिया गया	
खंड 10ग (ii)	हटा दिया गया	
खंड 10घ	विखंडित सामग्री सरकार की संपत्ति होगी	H-30
खंड 10ड.	हटा दिया गया	
खंड 11	कार्य का विनिर्देशों, आरेखों, आदेशों आदि के अनुसार निष्पादित किया जाना	H-30
खंड 11क	कोई विनिर्देश न होने की दशा में कार्य	H-30
खंड 12	विचलन/परिवर्तन, विस्तार और मूल्य-निर्धारण	H-31

खंड 13	कार्य के क्षेत्र का परित्याग या कटौती के कारण ठेके का पूर्व-समापन	H-33	
खंड 14	हटा दिया गया		
खंड 15	कार्य का निलंबन	H-33	
खंड 16	कार्य विनिर्देशन के अनुसार न किए जाने के मामले में कार्रवाई	H-33	
खंड 16क	कार्य को ढ़कने के लिए पूर्व सूचना	H-34	
खंड 17क	अनुरक्षण की अवधि के दौरान क्षति, त्रुटि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार	H-34	
खंड 17ख	हटा दिया गया		
खंड 18	ठेकेदार द्वारा उपकरणों एवं संयंत्रों, इत्यादि की आपूर्ति	H-36	
खंड 18क	मजदूरों को की गई क्षतिपूर्ति की वसूली	H-36	
खंड 18ख	ठेकेदार के असफल होने पर मजदूरों को भुगतान एवं सुविधाएँ सुनिश्चित करना	H-36	
खंड 19	ठेकेदार द्वारा श्रम कानून/सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन	H-37	
खंड 20	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	H-37	
खंड 21	कार्य को उप-पट्टे पर न दिया जाए। दिवालिया होने की स्थिति में कार्रवाई	H-37	
खंड 22	वास्तविक हानि या क्षति के संदर्भ के बिना देय क्षतिपूर्ति	H-38	
खंड 23	फर्म के गठन में परिवर्तन की सूचना	H-38	
खंड 24	हटा दिया गया	हटा दिया गया	
खंड 25	विवाद का निपटारा और मध्यस्थता	H-38	
खंड 25क	सी.एम.जी. तथा केन्द्र सरकार के बीच विवादों का निपटान	H-40	
खंड 26	हटा दिया गया		
खंड 27	हटा दिया गया		
खंड 28	खंड 11क संख्या के अंतर्गत डाला गया		
खंड 29	ठेकेदार से बकाया राशि का पुनर्ग्रहण एवं नियंत्रणः	H-40	
खंड 29क	अन्य संविदाओं के दावों के संबंध में पुनर्ग्रहण	H-41	
खंड 30	ठेकेदार की मृत्यु पर संविदा की समाप्ति	H-42	
खंड 31	जल आपूर्ति	H-42	
खंड 32	विद्युत	H-43	
खंड 33	हटा दिया गया		
खंड 34	हटा दिया गया		

खंड 36	स्नातक/डिप्लोमा धारी इंजीनियरों का नियोजन	H-44
खंड 37	हटा दिया गया	
खंड 38	हटा दिया गया	
खंड 38क	हटा दिया गया	
खंड 39	विभाग में कार्यरत रिश्तेदार	H-44
खंड 40	सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी के नियोजन पर प्रतिबंध	H-44
खंड 41	हटा दिया गया	
खंड 42	हटा दिया गया	
खंड 43	हटा दिया गया	
खंड 44	हटा दिया गया	
खंड 45	हटा दिया गया	

खण्ड 1

निष्पादन गारंटी (निविदा में दी गई अनुमानित लागत का मात्र 2%)

सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई बयाना राशि संविदा करार के अपने उचित निष्पादन हेतु निष्पादन गारंटी में परिवर्तित कर दी जाएगी और समापन की निर्धारित तिथि तक वैध रहेगी। यदि कार्य के समापन हेतु समय बढ़ा दिया जाता है तो ठेकेदार के लिए कार्य के समापन हेतु ऐसे बढ़ाए गए समय को कवर करने हेतु बढ़ाई गई निष्पादन गारंटी की वैधता बढ़ा दी जाएगी। बयाना राशि के भुगतान हेतु छूट के मामले में निविदा में दी गई अनुमानित लागत के 2% की पृथक निष्पादन गारंटी स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश की प्राप्ति पर तत्काल प्रस्तुत करनी होगी।

खण्ड 1क

प्रतिभूति जमा (केवल लघु कार्यों हेतु लागू एवं यह निविदा में दी गई अनुमानित लागत का मात्र 2% ही होगा)

कार्य की समाप्ति पर, पहले से ही जमा की गई निष्पादन गारंटी प्रतिभूति जमा में परिवर्तित कर दी जाएगी और खण्ड 17क में उल्लिखित सम्पूर्ण त्रुटि देयता अवधि के लिए वैद्य होगी।

इस संविदा की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा देय सभी क्षतिपूर्तियां या अन्य राशि इस प्रतिभूति जमा में से काटी जाएंगी।

खण्ड 2क विलंब के लिए क्षतिपूर्ति

यदि खंड 5 के अनुरूप ठेकेदार आवश्यक प्रगित करने या कार्य को पूर्ण करने और संविदा अविध अथवा कार्य पूर्ण करने की बढ़ी हुई तिथि में या तक स्थल को खाली करने में असमर्थ रहता है तो इस तरह के उल्लंघन पर उसे किसी अधिकार या सरकार के कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी उपाय के पूर्वाग्रह के बिना निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा, कार्य की प्रगित में खंड 5 में निर्धारित अनुसार कमी रह गई है या कार्य जो अपूर्ण रह गया है उसके लिए इस राशि की गणना निम्नानुसार प्रत्येक कार्यपूर्ति दिवस/माह (जो लागू हो) के आधार पर की जाएगी। यह उन मदों या समूहों पर भी लागू होगा जिनके लिए कार्य पूर्ण करने की अविध अलग से निर्धारित की गई है।

कार्य में विलंब के	अपूर्ण कार्य के मूल्य पर 1.5% प्रति माह की देरी की
लिए क्षतिपूर्ति	दर से प्रति दिन के आधार पर गणना की जाएगी।

इस शर्त के अंतर्गत देय विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की कुल राशि कार्य की कुल निविदा राशि या कार्य की मद अथवा मदों की निविदा राशि जिसके लिए मूल रूप से कार्य पूर्ण होने की अविध अलग से दी गई हो, के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति की राशि में समायोजन या इसके अंतर्गत ठेकेदार को किसी देय राशि या सरकार के साथ किसी अन्य संविदा के विरुद्ध निर्धारित किया जाए।

खंड 2ख तय लक्ष्य हटा दिया गया

खण्ड 3 संविदा का निर्धारण

इस खंड के अन्य नियमों के अनुसरण में, प्रभारी अभियंता, किसी विलंब, घटिया कारीगरी, नुकसान होने पर किसी दावे और/या इस संविदा के किसी अन्य प्रावधान अथवा अन्यथा, और चाहे कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं के बारे में ठेकेदार के विरुद्ध अपने किन्हीं अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से किसी दशा में संविदा को लिखित सूचना द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर सकेगाः

- i) यदि ठेकेदार को प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में किसी त्रुटिपूर्ण कार्य को सुधारने, पुनर्निर्माण या प्रतिस्थापित करने अथवा कार्य कुशल व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा रहा या अनुचित या स्वीकार्य तरीके से नहीं किया जा रहा की नोटिस दी जाती है और वह सात दिनों की अवधि में आवश्यकता अनुरूप ऐसी नोटिस का पालन नहीं करता।
- ii) यदि किसी आवश्यक कारण के बिना ठेकेदार ने कार्य को रोक दिया है या वह ठीक तरीके से कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है और प्रभारी अभियंता को लगता (जो कि अंतिम रहेगा और बाध्य होगा) है कि वह कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि के अंदर इसे पूर्ण करने में असमर्थ है और प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में इसकी सूचना देने के सात दिनों के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य को जारी रखा गया हो।
- iii) यदि निर्धारित तिथि के अंदर ठेकेदार कार्य या कार्य की किसी मद को कार्य पूर्ण करने की किसी विशेष तिथि को पूरा नहीं कर पाता है, यदि कोई हो, कार्य पूर्ण करने की इस तिथि को या इससे पहले और इसे निर्धारित तिथि तक या उससे पहले पूरा नहीं किया गया हो तो प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में सूचना दी गई हो।
- iv) संविदा के अंतर्गत यदि ठेकेदार वर्तमान में अपने दायित्वों को निभाने से मना करता है और/या संविदा के किसी नियम या शर्त का अनुपालन करने में कोई गलती करता है और इसे सुधारता नहीं है या इसे सुधारने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो 7 दिनों के बाद प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में उसे लिखित सूचना दी गई हो।
- v) यदि निविदाकार इस संविदा या किसी अन्य संविदा को सरकार के लिए प्राप्त करने या निष्पादित करने हेतु सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति को सहमति देता है या किसी अन्य व्यक्ति को उसके नाम से कोई भेंट देता है या प्रलोभन के रूप में किसी प्रकार का पुनर्विचार करता है या करने हेतु कोई पुरस्कार देता है या करने से मना करता है या करने हेतु प्रस्ताव देता है।
- vi) यदि ठेकेदार सरकार के साथ कोई संविदा करता है तो इस संबंध में जो कमीशन भुगतान किया गया या उसके द्वारा भुगतान करने हेतु सहमित दी गई हो या उसकी जानकारी के अनुसार इस प्रकार के किसी कमीशन और भुगतान के संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा पहले भी लिखित रूप में उल्लेख किया गया हो।
- vii) यदि ठेकेदार ने गलत संविदा द्वारा या प्रतिस्पर्धी निविदा के किसी अन्य अवास्तविक तरीके से सरकार से कोई निविदा प्राप्त कर ली हो या संविदा अथवा अखंडता करार का उल्लंघन किया हो।

- viii) यदि ठेकेदार एक व्यक्ति हो, या एक फर्म, कोई भी भागीदार किसी भी समय दिवालिया घोषित होता है या उसकी संपत्ति के विरुद्ध कोई ओदश प्राप्त होता है, या तत्समय लागू दिवालिया अधिनियम के तहत परिसमापन या गठन (आमेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य हेतु स्वैच्छिक परिसमापन के सिवाय) हेतु धन लेता है या उसके लेनदारों के लाभार्थ अपने कार्य, गठन या व्यवस्था को देने या प्रदान करने की व्यवस्था करता या करवाता है या अपनी संपत्ति को अलग करने के लिए, तत्समय लागू दिवालिया अधिनियम के तहत कोई आवेदन किया जाता है या उसके लेनदारों के लाभार्थ कोई ट्रस्ट दस्तावेज तैयार किया जाता है।
- ix) यदि ठेकेदार एक कम्पनी है, संकल्प पारित कर सकेगा या न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि कम्पनी को समाप्त किया जाए या यदि लेनदार की ओर से प्राप्तकर्ता या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जो न्यायालय अथवा लेनदार को प्राप्तकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति करने का हकदार बनाता हो या जो न्यायालय को समाप्ति आदेश तैयार करने का हकदार बनाता हो।
- x) यदि ठेकेदार के माल पर कोई उगाही लगाई जाती है और वह उसे 21 दिनों की अवधि तक जारी रखे।
- xi) यदि ठेकेदार प्रभारी अभियंता के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना पूरे कार्य अथवा उसके किसी भाग को सौंपता है, हस्तांतिरत करता है, उपठेके पर देता है (कार्य के किसी हिस्से के लिए श्रमिकों या सामग्री साथ श्रमिकों की नियुक्ति जिसे कार्य में शामिल न किया जाए, को उपठेके पर दिया हुआ नहीं माना जाएगा) या उससे अलग होता है या सौंपने, हस्तांतिरत करने, उपठेके पर देने या उससे अलग होने का प्रयास करता है।

जब ठेकेदार स्वयं को, उपरोक्त किसी भी मामले के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है तब प्रभारी अभियंता को भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न का अधिकार होगाः

- क) उपरोक्त अनुसार संविदा निर्धारित करना (जिसकी प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को लिखित रूप से समाप्ति की सूचना अंतिम प्रमाण होगी)। ऐसे निर्धारण पर संविदा के तहत निष्पादन गारंटी जब्त की जा सकेगी और पूरी तरह सरकार के अधिकार में होगी।
- ख) ठेकेदार को उसके कार्य को मापने की सूचना देने के बाद और ऐसे पूरे कार्य या उसके भाग, जो अधूरा है, उससे लेकर किसी अन्य ठेकेदार को उसे पूरा करने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित संविदा के ठेकेदार को बाकी के कार्य को पूरा करने हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

प्रभारी अभियंता द्वारा उपरोक्त मार्ग अपनाए जाने की दशा में ठेकेदार ऐसी किसी हानि के लिए क्षितिपूर्ति का दावा नहीं करेगा जो उस कार्य के निष्पादन या संविदा के परिपालन के कारण या उसकी वृद्धि में उसके द्वारा किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या प्राप्त कर लिए जाने या कोई वचनबंध कर लिए जाने या कोई अग्रिम दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो यदि पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन कार्रवाई की जाती है, तो ठेकेदार उस संविदा के अधीन वस्तुतः किए गए किसी कार्य के लिए कोई राशि वसूल करने या भुगतान किए जाने का हकदार तब तक

नहीं होगा जब तक कि प्रभारी अभियंता ने ऐसे कार्य का निष्पादन और उसके बारे में देय कीमत लिखित रूप से प्रमाणित न कर दी हो।

खण्ड उक

किसी एक पक्षकार द्वारा संविदा की समाप्ति

यदि कार्य ठेकेदार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों की वजह से कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय के 1/8 वें समय के अंदर या एक माह, जो भी अधिक हो, के अंदर कार्य प्रारंभ न किया गया हो तो कोई भी पक्षकार संविदा को समाप्त कर सकता है। यदि ठेकेदार संविदा समाप्त करना चाहता है तो वह विभाग की ओर से विफलता का वर्णन करते हुए सूचना दे सकता है। ऐसी संभावना में ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित समय-सीमा में उसकी कार्य गारंटी वापस की जाएगी। संविदा समाप्त करने के कारण किसी भी प्रकर की हानि के लिए ठेकेदार क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

खण्ड 4 खण्ड 3 के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने पर भी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार पर रहेगा

ऐसी किसी दशा में जिसमें इसके खंड 3 द्वारा प्रभारी अभियंता को प्रदत्त कोई शक्ति प्रयोक्तव्य हो और उसका प्रयोग नहीं किया गया है, उसका प्रयोग किया जाना इसकी किंहीं शर्तो का प्रयोग्य नहीं होगा और इस बात के होते हुए भी, भविष्य में ठेकेदार द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में ऐसी शक्तियाँ प्रयोक्तव्य होंगी और ठेकेदार का प्रतिकर के लिए दायित्व अप्रभावित रहेगा (जिसके लिए इसके किसी या किंहीं खंडों द्वारा यह घोषित किया गया है कि वह अपनी प्रतिभृति की संपूर्ण रकम तक क्षतिपूर्ति का भूगतान करने के लिए उत्तरदायी है और ठेकेदार का विगत और भावी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व अप्रभावित रहेगा) यदि प्रभारी अभियंता पूर्वगामी खंड के अधीन उसमें निहित सभी शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग करता है, तो वह यदि चाहे तो ठेकेदार को लिखित सूचना के या ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए और कार्य या उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित उन सब या किंहीं औजारों, संयंत्र, सामान और सामग्री का, जो कार्य में या उस पर या उस स्थल पर हो, उनके लिए संविदा की दरों पर या यदि ये लागू नहीं है, तो प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित की जाने वाली चालू बाजार दरों पर, जिनके बारे में उनका प्रमाण-पत्र अंतिम होगा, भुगतान करके या उसके लिए खाते में संविदा पर ठेका देकर ठेकेदार को लिखित सूचना देकर कब्जा ले सकेगा (पूर्णतः प्रभारी अभियंता के विवेकानुसार जो अंतिम होगा) भाड़े पर ली गई वस्तू के रूप में उपयोग कर सकेगा किराया धन की रकम भी अंतिम रूप से प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएगी) अन्यथा प्रभारी अभियंता लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को या उसके लिपिक को, फोरमैन को या अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता को ऐसे औजारों, संयंत्र, सामान और सामग्री को परिसर से (ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर) हटाने का आदेश दे सकेगा। यदि ठेकेदार ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता उनको ठेकेदार के खर्च पर हटवा सकेगा या नीलामी द्वारा या ठेकेदार के लेखे और सभी दृष्टियों से उसकी जोखिम पर निजी विक्रय द्वारा उनके विक्रय पर मिली रकम और व्यय के बारे में प्रभारी अभियंता का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरूद्ध अंतिम और निर्णायक होगा।

खण्ड 5

अवधि और विलंब हेतु अवधि बढ़ाना

अनुसूची 'एफ' में निर्धारित कार्य के निष्पादन के लिए अनुज्ञात अविध या इन शर्तों के अनुरूप बढ़ाई गई अविध संविदा का निष्कर्ष होगी। कार्यों का निष्पादन अनुसूची 'एफ' में उल्लेखित ऐसी समयाविध या जगह के सौंपने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से प्रारंभ होगा। यदि ठेकेदार, उपरोक्तानुसार कार्य का निष्पादन प्रारंभ करने में कोई चूक करता है तो सरकार के, विधि में मौजूद किसी अन्य अधिकार या समाधान के पूर्वाग्रह के बगैर, निष्पादन गांरटी को पूर्णतया जब्त करने का अधिकार होगा।

- 5.1 संविदा समाप्त होने के तत्काल बाद ठेकेदार प्रत्येक क्रिया कलाप के लिए अवधि एवं कार्य प्रगति का चार्ट प्रस्तुत करेगा और विभाग से अनुमोदन प्राप्त करेगा। चार्ट, कार्यों की मदों को पूरा करने के लिए संविदा दस्तावेजों में उल्लेखित अवधि के अनुसार ही तैयार किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के प्रारंभ करने और पूरा होने की तिथियों का उल्लेख होगा तथा संविदा दस्तावेजों में लागू समय सीमा के तहत प्रभारी इंजीनियर और ठेकेदार के मध्य करार द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा और कार्य निष्पादन के दौरान उसकी सही प्रगति सुनिश्चित की जाए।
- 5.2 यदि कार्यों में देरी निम्न के कारण हुई तोः
- i) अप्रत्याशित घटना, या
- ii) असमान्य खराब मौसम, या
- iii) आग से ज्यादा हानि या नुकसान, या
- iv) नागरिक हंगामा, मजदूरों का स्थानीय हंगामा, हडताल या तालाबंदी, जिससे कार्य पर लगाए गए किसी प्रकार के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, या
- v) संविदा के भाग को न पूरा करते हुए कार्य निष्पादन में प्रभारी अभियंता द्वारा लगाए गए अन्य ठेकेदारों या व्यवसायिकों की ओर से हुई देरी के कारण, या
- vi) भंडार की अनुपलब्धता, जिसकी आपूर्ति करने की सरकार की जिम्मेदारी है या
- vii) सरकार द्वारा दिए जाने वाले या दिए उपकरण या संयंत्र की अनुपलब्धता या खराबी या
- viii) कोई अन्य कारण जो प्रभारी अभियंता के विवेकाधिकार में ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर है।
 - तब ऐसी किसी घटना के कारण विलंब होने पर ठेकेदार अनुसूची 'एफ' में उल्लेख के अनुसार प्राधिकारी को लिखित रूप में तुरंत सूचना देगा परन्तु फिर भी, हुई देरी को रोकने या उसकी भरपाई करने के लिए निरंतरत प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने में प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगा।
- 5.3 समय बढाने के विचारार्थ योग्य निवेदन, ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को निर्धारित प्रपत्र पर देरी का कारण दर्शाते हुए ऐसा घटित होने के 14 दिनों के अंदर लिखित में देना होगा।

यदि संभव हो तो, ठेकेदार इस निवेदन में जिसके लिए बढ़ोत्तरी चाहता है उस अवधि का उल्लेख करे।

5.4 ऐसे मामले में, प्रभारी अभियंता कार्य के पूरा करने हेतु सही और उपयुक्त समय बढोत्तरी दे सकता है। ऐसी बढ़ोत्तरी ठेकेदार द्वारा अनुरोध प्राप्त होने पर प्रभारी अभियंता को लिखित में देना होगा। ठेकेदार द्वारा समय बढ़ोत्तरी का अनुरोध न करने पर प्रभारी अभियंता द्वारा उचित और औचित्यपूर्ण बढ़ोत्तरी प्रदान करने में कोई रुकावट नहीं होगी और ठेकेदार के लिए यह प्रतिबद्धता होगी।

खण्ड 6

निष्पादित कार्य का मापन

प्रभारी अभियंता, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, निष्पादित कार्य के परिमाण का संविदा के अनुसार मापन कर निर्धारण करेगा। वित्तीय महत्व वाले सभी मापन की मापन पुस्तक और/या स्तर क्षेत्र पुस्तक में प्रविष्टि की जाएगी जिससे कि संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए गए सभी कार्यों का पूर्ण प्रलेख प्राप्त किया जा सके।

सभी मापन और स्तर निरीक्षण प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर संयुक्त रूप से किया जाएगा और ऐसे मापन प्रभारी अभियंता और ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनकी स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर कर तिथि अंकित की जाएगी। यदि ठेकेदार किसी भी अभिलेखित मापन का विरोध करता है तो इस विषय पर कारण बताते हुए नोट तैयार किया जाएगा और उस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

यदि किसी वजह से ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है और प्रमाणित मापन का कार्य प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि द्वारा स्थिगत कर दिया गया है तो प्रभारी अभियंता और विभाग द्वारा इस कारण हुई किसी हानि या क्षित के लिए ठेकेदार द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि, तीन दिवसों पूर्व लिखित सूचना देने के पश्चात ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि ऐसे मापन के समय पर उपस्थित नहीं रहता है या मापन की तारीख से एक सप्ताह के अंदर प्रतिहस्ताक्षर करने या आपित प्रेषित करने में चूक होती है तो उसकी अनुपस्थिति में प्रभारी अभियंता द्वारा अभिलेखित मापन ठेकेदार द्वारा स्वीकृत माने जाएंगे।

ठेकेदार, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क पर, मापन और अभिलेखन स्तरों पर आवश्यक उपकरण, श्रमिक और अन्य वस्तुओं के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा।

इसके अलावा, जहाँ कार्य का कोई सामान्य या विस्तृत विवरण प्रतिकूल दिखाई देता है तो मापन सुसंगत मापक की मानक विधि या कोई सामान्य या स्थानीय रीति में प्रावधानों के बावजूद विशेष विवरणों में वर्णित विधि के अनुसार किए जाएंगे। ऐसी मदों के मामलें में जो विशेष विवरणों द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, उनका मापन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मापन की सुसंगत मानक विधि के अनुसार किए जाएंगे और यदि किसी मद के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं है तो पारस्परिक सहमत की विधि का पालन किया जाएगा।

ठेकेदार, किसी कार्य मापन को पूरा करने या अन्यथा उसकी पहुंच से परे मापन को किसी भी हालत में सात दिनों के अंदर प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत कार्य प्रतिनिधि प्रभारी को सूचित करेगा जिससे कि उसका मापन किया जा सके और उसको शामिल करने या मापन तक पहुंचने से पहले उसका सही मापन किया जा सके और कार्य के प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि प्रभारी की लिखित अनुमित के बिना किसी कार्य को शामिल करेगा और मापन की पहुंच से परे निर्धारित करेगा जो उपरोक्त अवधि के सात दिनों के अंदर निरीक्षण करेगा; और यदि कोई कार्य ऐसी सूचना के दिए बगैर या लिखित में प्रभारी अभियंता की अनुमित प्राप्त किए बिना ऐसे कार्य को शामिल या मापन की पहुंच से परे निर्धारित करेगा तो उसे ठेकेदार के खर्चे या भुगतान न करने में शामिल किया जाएगा और ऐसे कार्य या सामग्री के लिए कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसे निष्पादित किया गया था।

प्रभारी अभियंता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि या तो स्वयं द्वारा या विभाग के अन्य अधिकारी के माध्यम से संयुक्त रूप से या अन्यथा उपरोक्त के अनुसार जांच की जाएगी और ऐसे मापनों स्तरों की जांच करने हेतु सभी निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

इस संविदा की यह भी एक शर्त है कि मापन पुस्तक में कार्य की किसी मद के मापन की रिकार्डिंग और/या उसके अंतिम बिल के लिए अंतरिम भुगतान को किसी कार्य या सामग्री जिससे वह संबंधित है, की पर्याप्तता के रूप में निर्णयात्मक प्रमाण नहीं माना जाएगा और ना तो ठेकेदार को अतिमापन या पाई गई त्रुटि के उत्तरदायित्व से, त्रुटि अवधि के पूरा होने तक मुक्त किया जाएगा।

खण्ड ६क

कंम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक

प्रभारी अभियंता, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, संविदा के अनुसार किए गए कार्य की कीमत का मापन द्वारा पता लगाएगा और सुनिश्चित करेगा।

वित्तीय महत्व वाले सभी मदों के सभी मापनों की ठेकेदार द्वारा प्रविष्टी की जाएगी और विभाग के प्रारूप के अनुसार ए०४ आकार के पृष्ठों वाली कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक के रूप में संकलित किया जाएगा जिससे कि संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए गए सभी प्रकार के कार्यों का पूरा लेखा प्राप्त किया जा सके।

कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित सभी ऐसे मापनों और स्तर, प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के परामर्श में निश्चित कार्यक्रम अंतराल पर या प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जांच की जाएगी। प्रभारी अभियंता द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों के पश्चात मापन पत्र अपनी स्वीकृति के रूप में ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों और प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षर की गई तारीख पर प्रभारी अभियंता के सुधारों को क्रियान्वित करके पुनःप्रस्तुतीकरण हेतु वापस भेज दिया जाएगा।

जहां कहीं भी भुगतान हेतु बिल बकाया है तो ठेकेदार प्रारंभ में ड्राफ्ट कम्प्यूटरीकृत मापन पत्र प्रस्तुत करेगा और ये मापन पत्र प्रभारी अभियंता और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से जाँचा जाएगा/परीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात् ठेकेदार अपने मसौदा कम्प्यूटरीकृत मापन में इन जाँच/परीक्षण में किए गए परिवर्तनों को शामिल करेगा, और एक जिल्द की हुई कम्प्यूटरीकृत

मापन पुस्तक (एम.बी), उसके पृष्ठों को पृष्ठ संख्या देते हुए विभाग को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अभियंता और/या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इस मापन पुस्तक की जाँच करेगा और अपने जाँच/परीक्षण के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र रिकार्ड करेगा।

ठेकेदार द्वारा दी गई जिल्द की हुई, और पृष्ठांकित अंतिम, सही कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक 100% सही होनी चाहिए और उसके बाद मापन में कोई काट-छांट स्वीकृत नहीं होगी। फिर भी यदि कोई त्रुटि पायी गई तो ठेकेदार को विभाग द्वारा पूर्व एम.बी. को रद्द करवाने के बाद विधिवत मशीन द्वारा पेज सं. दिए जाने और जिल्द बनाकर नयी कम्प्यूटरीकृत एम.बी. जमा करवानी होगी। तत्पश्चात, एम.बी. मंडलीय कार्यालय प्रलेख में ले जाई जाएगी और कम्प्यूटरीकृत एम.बी. के रिजस्टर के अनुसार संख्या प्रदान की जाएगी। भुगतान हेतु मंडल कार्यालय को बिल प्रस्तुत करने से पहले ऐसा किया जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा संदर्भ और प्रलेख के उद्देश्य हेतु कम्प्यूटीकृत प्रतियों को जमा करना होगा।

ठेकेदार को बिल की दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ विधिवत जिल्द की गई तथा मशीन द्वारा दिए गए पेज से इन मापनों के आधार पर लागत और बिल का कम्प्यूटरीकृत सार पृथक रूप से विभाग को प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद, इस बिल पर मंडल कार्यालय द्वारा विधिवत कार्रवाई की जाएगी और मापनों हेतु रखी गई मापन पुस्तक की तरह कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार उसे संख्या आबंटित की जाएगी।

ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क पर प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि द्वारा मापनों/स्तरों की जाँच करने हेतु आवश्यक प्रत्येक उपकरण, श्रमिक और अन्य वस्तुओं के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा।

इसके अलावा जहां पर कार्य का सामान्य या विस्तृत विवरण स्पष्ट रूप से प्रतिकूल प्रतीत होता है तो मापन की सुसंगत मानक विधि या कोई सामान्य या स्थानीय रिवाज में निहित प्रावधान के बावजूद विशेष विवरण में शामिल है, के अनुसार मापन किया जाएगा। ऐसी मदों के मामलें में जो विशेष विवरण में शामिल नहीं हैं तो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा जारी मापन की सुसंगत मानक विधि के अनुसार किया जाएगा और यदि किसी मद के लिए ऐसा मान उपलब्ध नहीं है तो परस्पर सहमति द्वारा किया जाएगा।

ठेकेदार, कार्य समाप्त करने या किसी कार्य के मापन की जाँच और/या परीक्षण के पहले प्रभारी अभियंता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सात दिनों की सूचना देगा, इसलिए कि कार्य समाप्त करने से पहले या मापन की जाँच और/या परीक्षण से पहले उसके सही मापन प्राप्त करने के लिए जाँच/परीक्षण किया जाए और प्रभारी अभियंता और उसके प्राधिकृत प्रभारी प्रतिनिधि, जो उपरोक्त सात दिनों की अवधि में कार्य का निरीक्षण करेगा, की लिखित सहमित के बिना किसी कार्य के मापन को समाप्त नहीं करेगा और यदि ऐसी सूचना दिए बिना या लिखित में प्रभारी अभियंता की सहमित प्राप्त किए बिना कोई कार्य समाप्त किया जाए या जाँच और/या परीक्षण हेतु भेजा जाता है तो उसे शामिल नहीं माना जाएगा, या कुछ त्रुटि होने पर ऐसे कार्य या उस कार्य हेतु सामग्री के लिए किए गए भुगतान किया जाएगा।

प्रभारी अभियंता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ठेकेदार द्वारा रिकार्ड किए गए मापनों की जाँच करेगा या विभाग के अन्य अधिकारी द्वारा करवाएगा और ऐसी मापनों या स्तरों की जाँच पर ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान लागू होंगे।

इस संविदा की एक और शर्त यह भी है कि किसी कार्य या सामग्री की पर्याप्तता के संबंध में मापन पुस्तक में किसी कार्य की जाँच/परीक्षण और/या उसके अंतिम बिल के अंतरिम भूगतान को

निर्णयात्मक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा और ना तो ठेकेदार को अतिमापन या पाई गई त्रुटि के उत्तरदायित्व से, त्रुटि मान्यता अवधि के पूरा होने तक मुक्त किया जाएगा।

खण्ड 7

भुगतान

भुगतान रिकार्ड किए गए मापनों के आधार पर किए गए कार्य पर आधारित मासिक चालू खाता बिल द्वारा किए जाएंगे। ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए विभाग के प्रारूप में रिकार्ड किए गए मापन के आधार पर प्रतिमाह चालू खाता बिल तीन प्रतियों में प्रभारी अभियंता को निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रभारी अभियंता जहाँ कहीं आवश्यक हो कार्य के मापन को लेते हुए बिल की जाँच करने या करवाने की व्यवस्था करेगा। प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित दरों पर चालू खाता बिल के माध्यम से ऐसी राशि जिसके लिए ठेकेदार योग्य है उसे प्रमाणित करते हुए उस स्वीकार्य राशि का भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत बिल के दिनांक के बाद दसवें दिन के अंदर स्वीकार्य राशि का भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत न कर सकने पर ऐसे बिल को बनाएगा या बनवाएगा और ऐसी स्थिति में भुगतान के किसी विलंब के लिए कोई दावा नहीं माना जाएगा।

तथापि, निम्न के संबंध में: (i) वातानुकूलन कार्य और (ii) यांत्रिक कार्य, जैसे, क्रेन, मोनो रेल, विशेष यातायात प्रणाली, स्लाइडिंग दरवाजें, प्लेटफार्म, पैसेंजर/ सर्विस लिफ्ट, संपीडित वायु सुविधा, गरम पानी के गारेंटर्स, रोटर्स, फ्लैश मिक्सर्स और ऐजिटेटर्स इत्यादि, क) उपस्कर की सुपुर्दगी तथा आवश्यक जाँच करते हुए स्वीकृत के आधार पर 76.5% यथानुपात भुगतान, ख) प्रतिस्थापन के बाद 13.5% यथानुपात भुगतान और ग) परीक्षण, किमशनिंग, और हस्तांतरण के बाद 10% का भुगतान किया जाएगा।

चालू खाता के प्रति किए गए सभी भुगतान अंतर्वर्ती अग्रिम के रूप में माने जाएंगे जो कार्य पूरा होने पर तैयार किए गए अंतिम बिल के प्रति समायोजित किए जाएंगे और खराब, विकृत और अधुरे या अकुशल कार्य को अस्वीकृत करने, निकालने, हटाने और पूर्निनर्मित करने को प्रतिबाधित नहीं करेगा। ऐसे भुगतान जो किए गए कार्य या सुपुर्द की गई किसी सामग्री के लिए किया गया हो, के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र, ऐसे बाद में दिए गए प्रमाण-पत्र या अंतिम प्रमाण-पत्र द्वारा संशोधित किया जा सकेगा और वे अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं होंगे कि किया गया कोई कार्य या सामग्री संविदा और विनिर्देशनों के अनुरूप है। ऐसा कोई अंतरिम भुगतान या उसका कोई भाग संविदा के तहत प्रभारी अभियंता के अधिकारो को किसी भी प्रकार समाप्त, निर्धारित या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेगा या ऐसा कोई भुगतान अंतिम निपटान या लेखा का समायोजन नहीं माना जाएगा या किसी भी प्रकार से संविदा को परिवर्तित या प्रभावित नहीं करेगा।

समाप्ति की तारीख को बढ़ाने पर विचार किया जाना लंबित रहने पर भी अंतरिम भुगतान, इसमें दिए अनुसार कार्य की समाप्ति में विलंब के लिए इस संविदा की शर्त के तहत विभाग के कार्रवाई करने के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, किया जा सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अविध को बढ़ाया नहीं गया हो।

इस आधार पर कि प्रश्नगत स्तर तक कार्य पूरा हो गया है, प्रभारी अभियंता अपने विवेकानुसार सरदल (लिंटल) स्तर (छज्जा इत्यादि सहित) और स्लैब स्तर तक किए गए कार्य (नींव और परिरूपण मदों में शामिल मदों को छोड़कर) के लिए विस्तृत माप किए बिना अंतरिम अग्रिम भुगतान कर सकेगा जिसका प्रत्येक तल के लिए लागत आंकलित मूल्य का 75% हो। इस प्रकार अनुमत अग्रिम भुगतान आगे विस्तृत माप लेकर के अंतरिम बिल में समायोजित किया जाएगा।

खण्ड 8 कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र

कार्य के पूरा होने के दस दिनों के अंदर, ठेकेदार, प्रभारी अभियंता को कार्य पूरे होने की सूचना देगा और ऐसी सूचना प्राप्ति के दस दिनों के अंदर प्रभारी अभियंता कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई त्रुटि न हुई हो तो ठेकेदार को कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र देगा अन्यथा त्रुटि दर्शाते हुए (क) ठेकेदार द्वारा सुधारा जाए और/अथवा (ख) जिसके लिए, भुगतान घटाई गई दरों पर किया जाएगा दर्शाते हुए कार्य को पूरा करने का अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी किया जाए परन्तु, ऐसा कार्य पूरा करने का, अनंतिम या अन्यथा प्रमाणपत्र तब तक न प्रदान किया जाए या कार्य का तब तक पूरा होना न माना जाए जब तक कि सभी ढाँचें, अतिरिक्त सामग्री और कचरा तथा सभी झोंपड़े एवं इस हेत् या उनके कार्मिकों के लिए कार्य-स्थल पर आवश्यक स्वच्छता व्यवस्था, जो ठेकेदार द्वारा निर्मित की गई हो, परिसर से निकाल न दी गई हो और लकड़ी के टुकड़े, जैसे दरवाजें, खिड़कियाँ, जमीन या भवन के अन्य भागों पर पड़ी हो, को हटा न दिया गया हो और प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य का मापन न कर लिया गया हो। यदि ठेकेदार, इस खण्ड की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहता है जैसे ढाँचों, अतिरिक्त सामग्री तथा कचरे और उपरोक्त सभी झोंपड़े तथा स्वच्छता व्यवस्था को हटाने और कार्य के पूरे करने की नियत तारीख की या उससे पहले कचरा साफ करने में असफल रहता है तो, प्रभारी अभियंता ठेकेदार के खर्चे पर उन्हें हटायेगा और जैसा उचित समझे इस कचरा का निपटारा कर सकता है और ठेकेदार उस बाबत हुए व्यय का भुगतान करेगा और उस ढाँचे, या अतिरिक्त सामग्री जैसा ऊपर कहा गया है, पर ठेकेदार कोई दावा नहीं करेगा सिवाय उस धन के जो उसकी बिक्री से प्राप्त हुआ हो।

खण्ड 8 क ठेकेदार द्वारा कार्य-स्थल पर स्वच्छता

जब वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य किया जाता है तब दीवारों फर्शो, दरवाजों, खिड़िकयों आदि पर गिरी सफेदी, रंग-रेगन आदि और उनके छीटों को हटाया जाएगा और वह संविदा में दी हुई कार्य के अन्य सभी मदों का वस्तुतः पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना उन अलग-अलग कमरों, क्वार्टरों या परिसर आदि में, जहाँ कार्य किया गया है, कार्य के इन मदों को पूरा करने के साथ ही फर्श की सफाई की जाएगी। यदि ठेकेदार इस खंड की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहेगा, तो प्रभारी अभियंता को यह अधिकार रहेगा कि वह ठेकेदार के व्यय पर यह कार्य विभाग द्वारा या अन्य अभिकरण के माध्यम से करा ले। ऐसी कार्रवाई करने से पहले प्रभारी अभियंता ठेकेदार को 10 दिन की लिखित सूचना देगा।

खण्ड 8ख कार्य पूर्ति योजना हटा दिया गया।

अ.वि./ इसरो भाग-II: निविदा-पश्च चरण H-27

खण्ड 9 अंतिम बिल का भुगतान

ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल, भौतिक रूप से कार्य पूरा करने के एक माह के अंदर उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए जैसा कि अंतरिम बिलों में विनिर्दिष्ट किया गया हो। अंतिम बिल की प्रस्तुति के बाद ठेकेदार द्वारा कोई और दावे न किए जाएँ और इन्हें छोड़ दिए गया तथा समाप्त समझा जाएगा। प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित ऐसी मदों के संबंध में भुगतान जो विवादित नहीं है और जो परिमाण तथा दरों के लिए विवादित हैं, यथासंभव एक माह की अवधि के अंदर किया जाए, जिसकी गणना, विभाग द्वारा जारी सामग्री तथा निकाली गई सामग्री को हिसाब में लेते हुए प्रभारी अभियंता या उसके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त बिल की तारीख से की जाएगी।

खण्ड 9क ठेकेदार के बिल का बैंकों में भुगतान

ठेकेदार को देय संदाय यदि वह चाहे तो, सीधे उसको किए जाने की बजाए उसके बैंक को किया जा सकता है, परंतु यह तब, जब ठेकेदार प्रभारी अभियंता को:

- 1) संदाय प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राधिकर प्रदान करने वाले मुख्तारनामें जैसे वैध रूप से मान्य दस्तावेज के रूप में प्राधिकार दें।
- 2) उस हिसाब की शुद्धता के बारे में अपनी स्वीकृति, वे जिसमें सरकार द्वारा की देय राशि बताई गई है या प्रभारी अभियंता द्वारा हिसाब या दावे के, बैंक को संदाय करके निपटाए जाने के पहले सरकार को प्रस्तुत किए गए बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। ऐसी बैंक द्वारा दी गई रसीद संदाय के लिए पूर्ण या पर्याप्त उन्मोचन होगी, किंतु ठेकेदार को जहाँ संभव हो, सम्यक रूप से रसीदयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंकरों के मार्फत प्रस्तुत करने चाहिए।

इसमें सम्मिलित कुछ भी राष्ट्रपति की विपरिततः, बैंक के पक्ष में कोई अधिकार या साम्या उत्पन्न नहीं करेगा।

खण्ड 10 विभाग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री हटा दिया गया।

खण्ड 10क ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री

ठेकेदार, अपने खर्चे पर, सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली निर्धारित सामग्री को छोड़कर सभी सामग्री, जो कार्य के लिए आवश्यक है, प्रदान करेगा।

ठेकेदार, कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के नमूने प्रभारी अभियंता को देगा और पूर्व में अनुमोदन प्राप्त कर लेगा। ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाले सभी सामग्री ठेके में दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप होगी। यदि प्रभारी अभियंता ऐसा चाहे, तो ठेकेदार, प्रभारी अभियंता की संतुष्टि हेतु सामग्री के संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा। नमूनों या सामग्री की आपूर्ति के तीस दिनों के अंदर ऐसी अवधि जो आवश्यक हो, के अंदर प्रभारी अभियंता लिखित में ठेकेदार को अपना अनुमोदन या अन्यथा सूचित करेगा। यदि नमूने मंजूर नहीं किए जाते तो, ठेकेदार को, ठेके में विनिर्देशित नमूनों के अनुरूप नए नमूने प्रस्तुत करने होंगे। जब सामग्री की विनिर्देशनों के अनुसार जाँच की जानी अपेक्षित हो तो जाँच के परिणाम की प्राप्ति के बाद प्रभारी अभियंता का अनुमोदन जारी किया जाए।

ठेकेदार, सामग्री जिसकी जाँच की जानी है या विश्लेषण किया जाना है के नमूने अपनी जोखिम एवं खर्चें पर प्रस्तुत करेगा और जब तक सामग्री के नमूनों की अपेक्षित जाँच या विश्लेषण न हो जाए और प्रभारी अभियंता द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत न की जाए तब तक किसी भी नमूना सामग्री का उपयोग नहीं करेगा या कार्य में शामिल नहीं करेगा। ठेकेदार कार्य में विलंब या सामग्री की जाँच के परिणामस्वरुप सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के परिणामस्वरुप हुए विलंब के लिए किसी प्रकार के दावे या क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ठेकेदार अपनी जोखिम और खर्चे पर ऐसी सारी व्यवस्था करेगा और सुविधा प्रदान करेगा, जो कि प्रभारी अभियंता द्वारा ऐसी जाँच के लिए आवश्यक नमूनों की संख्या एकत्र करने और तैयार करने के लिए अपेक्षित हो और ऐसे स्थान पर जहां प्रभारी अभियंता निर्देश दे। इस संबंध में जाँच के लिए सभी खर्च वही वहन करेगा जब तक कि ठेके अथवा विनिर्देशों में कहीं भी अन्यथा के लिए कहा न गया हो। प्रभारी अभियंता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को हर समय कार्य तथा कार्यस्थल एवं अन्य स्थान जहाँ से कार्य किया जा रहा है और जहाँ से सामग्री, निर्मित वस्तुएँ या मशीनरी प्राप्त की जा रही हैं, तक पहुँच हो और ऐसे स्थानों पर जाने हेतु प्रत्येक सुविधा एवं सहायता का अधिकार प्राप्त करने के व्यय, ठेकेदार वहन करेगा।

प्रभारी अभियंता को परिसर से उस सभी सामग्री को, जो उसकी राय में विनिर्देश के अनुसार नहीं है, उन्हें हटाने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी और व्यतिक्रम की दशा में, प्रभारी अभियंता उसे हटवाने के लिए अन्य शक्तियों को नियोजित कर सकेगा और ऐसा करने में ऐसी सामग्री की होनेवाली हानि या नुकसान के लिए वह उत्तरदायी या लेखादायी नहीं होगा। प्रभारी अभियंता को, उसके स्थान पर अन्य उचित सामग्री देकर पूर्ण करने की शक्तियाँ होंगी और व्यतिक्रम की दशा में प्रभारी अभियंता उनका प्रदाय करेगा और ऐसे हटाए जाने या प्रतिस्थापन में जो खर्च आएगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

खण्ड 10ख (i) सुरक्षित अग्रिम हटा दिया गया।

खण्ड 10ख (ii) कार्य-प्रवृत्त करने के लिए अग्रिम, ब्याज एवं वसूली हटा दिया गया।

खण्ड 10ग (i) किसी नए कानून या संवैधानिक नियम या आदेश के प्रवृत्त होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हटा दिया गया। खण्ड 10ग (ii) कार्य के लिए निविदा प्राप्ति के बाद मूल्यों/ मजदूरी में बढ़त/कमी के कारण भुगतान हटा दिया गया।

खण्ड 10घ विखंडित सामग्री सरकार की संपत्ति होगी

ठेकेदार किसी संरचना के तोड़े जाने और कार्यस्थल के उत्खनन आदि के दौरान अभिप्राप्त सभी सामग्री को सरकारी संपत्ति समझेगा और ऐसी सामग्री का निपटान प्रभारी अभियंता द्वारा जारी किए गए लिखित अनुदेशों के अनुसार सरकार के अधिकतम लाभ के लिए किया जाएगा।

खण्ड 10ङ हटा दिया गया।

खण्ड 11 कार्य का विनिर्देशों, आरेखों, आदेशों आदि के अनुसार निष्पादित किया जाना

ठेकेदार पूरे कार्य को और उसके हर भाग को अधिकतम सारवान और कुशल रीति से तथा सामग्री और अन्यथा दोनों ही के संबंध में हर प्रकार से विनिर्देशों के अनुसार निष्पादित करेगा। ठेकेदार कार्य की बाबत डिजाईनों, आरेखों और प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुदेशों के अनुसार यथावत् पूर्वतः और निष्ठापूर्वक कार्य करेगा और ठेकेदार को विनिर्देशों, ऐसी डिजाइनों आरेखों और अनुदेशों की तथा ऐसे डिजाइनों, आरेखों और विनिर्देशों जिसका उल्लेख निर्माण एवं अनुरक्षण समूह/प्रभाग/सिविल इंजीनियरी प्रभाग/अंतरिक्ष विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य के मानक विनिर्देशनों में, मानक प्रकाशन या कोड या दर सूची या संविदा में अन्यत्र कहीं निर्दिष्ट मुद्रित प्रकाशन में शामिल नहीं है, के साथ संविदा दस्तावेज की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

ठेकेदार संविदा के प्रावधानों का और सावधानी एवं निष्ठापूर्वक कार्य का निष्पादन एवं अनुरक्षण करेगा और ऐसे निष्पादन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित अस्थायी या स्थायी प्रकृति के सभी सामग्री, संरचना की योजना तथा सभी कार्यों के मापन एवं पर्यवेक्षण के लिए सभी श्रमिक, तथा सामग्री, उपकरण एवं संयंत्र प्रदान करेगा, जहाँ तक कि इनका प्रदान किया इस ठेके में विनिर्दिष्ट है या से समझा जा सकता है। ठेकेदार, सभी कार्यों तथा निर्माण की पद्धति की पर्याप्तता, उपयुक्तता एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

खण्ड 11क कोई विनिर्देश न होने की दशा में कार्य

कार्य की श्रेणी के ऐसी दशा जिसके लिए सी.ई.डी./सी.एम.जी./ सी.एम.डी. विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे कार्य सामान्यतया केन्द्रीय लोकनिर्माण कार्य (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के विनिर्देशनों के अनुसार किये जाएँगे और यदि सी.पी.डब्ल्यू.डी के विनिर्देशनों की पुस्तक के विवरण नहीं हैं तो ऐसी दशा में कार्य भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश के अनुसार किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश में ऐसे विनिर्देश मौजूद न होने की स्थिति में कार्य हर हाल में प्रभारी अभियंता के अनुदेश एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

अ.वि./ इसरो भाग-II: निविदा-पश्च चरण H-30

खण्ड 12

विचलन/परिवर्तन, विस्तार और मूल्य-निर्धारण

प्रभारी अभियंता को (i) मूल विनिर्देशों, आरेखों, डिजाइनों और अनुदेशों में, कार्य की प्रगित के दौरान ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या उनके प्रतिस्थापन, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो या सलाह दी गई हो, और (ii) कार्य-स्थल के किसी भाग की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण के मामले में कार्य के किसी अंश के लोप की शक्ति होगी और ठेकेदार उन अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो उसे लिखित रूप में प्रभारी अभियंता के हस्ताक्षर से दिए जाएंगे और ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या प्रतिस्थापन संविदा के ऐसे भाग होंगे जैसे मूलतः प्रावधान किया गया था और कोई परिवर्तित, परिवर्धित या प्रतिस्थापित कार्य जिसे कार्य के भाग के रूप में ठेकेदार को ऊपर विनिर्दिष्ट रीति में करने का निदेश दिया हुआ हो, ठेकेदार द्वारा सभी प्रकार से उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा, जिनमें वह मूल्य शामिल है जिस पर आगे दी गई शर्तों के सिवाय वह मुख्य कार्य करने पर सहमत हुआ थाः

- 12.1 किसी प्रकार के विचलन के कारण निविदा मूल्य से अधिक अतिरिक्त लागत आये तो यदि ठेकेदार अनुरोध करता है तो कार्य पूरा करने का समय निम्नानुसार बढ़ाया जा सकेगाः
- i) उस अनुपात में जिसमें मूल निविदा मूल्य से परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की अतिरिक्त लागत हो।
- ii) उपरोक्त (i) में परिभाषित समय का 25% अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा उचित माना गया अतिरिक्त समय।

12.2 अतिरिक्त मदें एवं मूल्य निर्धारण

उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, संवर्धन/परिवर्तन के कार्यों सहित अनुरक्षण कार्यों के लिए:

अतिरिक्त मदें, जो अनुसूचित मदें हैं, (जैसा अनुसूची 'एफ' में उल्लेखित है), के मामले में, इनके लिए अनुसूचित दर और प्रस्तावित संविदा राशि के अधिक/ कम प्रतिशत को जोड़ते/घटाते हुए भुगतान किया जाएगा। गैर-अनुसूचित मदों (गैर एस.ओ.आर. मदें) के मामले में अतिरिक्त मदों के लिए भुगतान प्रचलित बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।

12.3 प्रतिस्थापित मद, मूल्य निर्धारण

उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, संवर्धन/परिवर्तन के कार्यों सहित अनुरक्षण कार्यों के लिएः

प्रतिस्थापित मदों, जो अनुसूची की मद है (एस.ओ.आर. जैसा अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित है) के मामले में भुगतान संविदा की राशि में प्रस्तावित अधिक/कम प्रतिशत को जोड़ते/घटाते हुए किया जाएगा। गैर-अनुसूचित मद के मामले में प्रतिस्थापित मद का भुगतान (गैर एस.ओ.आर., जैसा अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित है), प्रचलित बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।

12.4 परिमाण में विचलन, मूल्य-निर्धारण

उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत संवर्धन/परिवर्तन के कार्यों सहित अनुरक्षण कार्यों के लिएः

ऐसी संविदा की मदें जो अनुसूची 'एफ' में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाती हैं, उनके मामले में ठेकेदार को परिमाण की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

12.5

प्रमुख/पूंजीगत कार्यों के लिएः

उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, संवर्धन/परिवर्तन के कार्यों सहित अनुरक्षण कार्यों के लिएः

अनुसूची 'एफ' में दी गई सीमा से अधिक कार्य के लिए मदों की प्रचलित बाजार दर में गिरावट के मामले में, प्रभारी अभियंता ऐसी वृद्धि के घटने के एक माह के अंदर ठेकेदार को सूचना देते हुए और उस सूचना की प्राप्ति के बाद पन्द्रह दिनों के अंदर ठेकेदार द्वारा भेजे गए उत्तर पर विचार करते हुए, बाजार भाव को ध्यान रखते हुए पन्द्रह दिनों के अंदर उक्त अवधि की समाप्ति के पहले उक्त कार्य हेतु दरों में संशोधन करेगा।

सीमा के विचलन के उपयोग के उद्देश्य हेतु, निम्नलिखित कार्यों को नींव संबंधी कार्य माना जाएगा जब तक कि ठेके में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो:

- i) भवन के लिए: भूमि से 1.2 मीटर ऊपर तक या पहली मंजिल तक, जो भी नीचा हो, के सभी कार्य।
- ii) पीलपाया, स्तंभ तथा कुएँ में दीवार के लिएः तल (संस्तर) से 1.2 मीटर ऊपर के सभी कार्य।
- iii) दीवार, पार्श्व, दीवार, परकोटा, चिमनी, ऊपर की पानी की टंकी तथा अन्य ऊँची संरचनाओं को बनाने के लिए: भूमि से 1.2 मीटर ऊपर के सभी कार्य।
- iv) जल टंकियों (ऊपर/छत की टंकियों के अलावा)ः भूमि से 1.2 मीटर ऊपर के सभी कार्य
- v) तहखाने के लिए: भूमि से 1.2 मीटर ऊपर या पहली मंजिल तक, जो भी कम नीचा हो, के सभी कार्य
- vi) सड़क के लिए, खुदाई तथा भरण के सभी कार्य, जिनमें उप तल का कार्य भी शामिल है।

12.6

उपरोल्लिखित परिमाण की अनुसूची में या दरों की सूची में शामिल मद के सही निष्पादन हेतु किया गया कोई कार्य, चाहे वह मद के विवरण में और संबद्ध विनिर्देश में विशेष रूप से वर्णित हो या नहीं, निविदाकार द्वारा प्रस्तावित दरों में या दरों की उक्त सूची में दिए गए दर में, जैसी स्थिति हो, शामिल माना जाएगा। ऐसे कार्य के लिए कुछ भी अतिरिक्त स्वीकार्य नहीं होगा।

खण्ड 13

कार्य के क्षेत्र का परित्याग या कटौती के कारण ठेके का पूर्व-समापन

निविदा की स्वीकृति के पश्चात्, यदि कभी भी प्रभारी अभियंता किसी भी कारण कार्य के क्षेत्र का त्याग करने या उसमें कटौती करने का निर्णय लेता है, और इसलिए सम्पूर्ण या आंशिक कार्य को करने की आवश्यकता न हो तो प्रभारी अभियंता उस आशय की लिखित में ठेकेदार को सूचना देगा और ठेकेदार उस मामले में तद्नुसार कार्रवाई करेगा। ठेकेदार संपूर्ण कार्य करने पर प्राप्त मुनाफे या लाभ के लिए, जो वह कार्य की पूर्व समाप्ति के कारण प्राप्त नहीं कर सका उसके लिए) किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या अन्यथा के भुगतान के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

खण्ड 14 जोखिम और लागत हटा दिया गया

खण्ड 15 कार्य का निलंबन

ठेकेदार, प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में ऐसा कहे जाने पर कार्य या उसके किसी भाग या भागों के निष्पादन को निलंबित कर देगा और उसके द्वारा लिखित रूप में निदेश प्राप्त होने तक कार्य को नहीं करेगा। ठेकेदार को निलंबित अविध की उस अविध के समान अविध के लिए समय बढ़ाया जाएगा परन्तु, इस संबंध में क्षतिपूर्ति या अन्यथा कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

खण्ड 16 कार्य विनिर्देशन के अनुसार न किए जाने के मामले में कार्रवाई

सभी कार्य निष्पादित होने के दौरान या करार के अनुसार निष्पादित होने के क्रम में प्रभारी अभियंता, उनके अधीनस्थ अधिकृत प्रभारी और सभी वरीय अधिकारी, विभाग के गुणवत्ता प्रमाणिक अधिकारी, का विभाग द्वारा नियुक्त गुणवत्ता प्रमाणिक विभाग और मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए हर समय खुले एवं पहुँच के अंदर होने चाहिए। ऐसे अधिकारी, जिनके द्वारा निरीक्षण करने की सूचना ठेकेदार को पहले दी चुकी है, इन अवसरों पर या तो ठेकेदार को स्वयं उपस्थित रहना चाहिए या ठेकेदार द्वारा नामित कोई अन्य अभिकर्ता को जो इन अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश को लिखित रूप में अभिलेखित करे। ठेकेदार के अभिकर्ता को दिए गए आदेश ठेकेदार पर भी समान रूप से लागू होंगे।

यदि प्रभारी अभियंता या उनके अधीनस्थ अधिकृत कार्य-प्रभारी या गुणवत्ता प्रमाणिकता प्राधिकारी या इनके अधीनस्थ अधिकारी या गुणवत्ता प्रमाणिक विभाग से संगठन के लिए नियुक्त अधिकारी या मुख्य तकनीकी परीक्षक या इनके अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कार्य अनुपयुक्त, अनुचित या दक्षहीन कार्मिकों द्वारा किए गए हैं या कोई सामग्री या वस्तु जिसका उपयोग कार्य के दौरान हुआ है और जो करार के अनुसार घटिया या अनुपयुक्त है या जो करार के अनुरूप नहीं है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को कार्य पूरा होने के 12

महीने के भीतर (10 लाख या इससे कम लागत वाले कार्य; सड़क-कार्य को छोड़कर; के लिए 6 महीने की अवधि तक) लिखित रूप में यह आश्वासन देना होगा कि जिन कार्यों या सामग्रियों एवं वस्तुओं या निर्माण-कार्य में प्रयोग हुआ है तथा जिनके लिए शिकायात दर्ज की गई है उन्हें स्वीकृत, प्रमाणित, या भुगतान कर दिया गया हो उन्हें आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में आवश्यकतानुसार या स्थिति के अनुसार सुधार दिया जाएगा या पूरी तरह हटा दिया जाएगा या पूरी तरह हटा दिया जाएगा या वस्तु का लागत-भार स्वयं वहन करेगा। यदि प्रभारी अभियंता द्वारा तय सीमा के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा काम पूरा नहीं हो पाता है तो करार की धारा के 2 (समय पर काम पूरा नहीं करने की स्थिति में) सालाना दर से उसे क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

ऐसी स्थिति में प्रभारी अभियंता कार्य के लिए करार में उल्लिखित दर से कार्य को स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे परन्तु अनुसूची 'एफ' में वर्णित विशेषाधिकार के तहत कम दर पर कार्य को स्वीकृति प्रदान करेंगे या लेखा बिल या अंतिम बिल तैयार करते समय यह विचार करेंगे कि कृत कार्य सुरक्षा एवं उपयोग की दृष्टि से हानिकारक नहीं है या भुगतान को पूरे तौर पर निरस्त कर देंगे या इनसे जुड़े सभी मद का परिष्करण करायेंगे या ठेकेदार की लागत पर हटाकर पुनर्निर्मित करा लेंगे। प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को इस बाबत की गई लिखित सूचना अंतिम एवं अधिमान्य होगी।

खण्ड 16क

कार्य समाप्त करने के पूर्व सूचना देना

ठेकेदार किसी कार्य को पूरा करने या अन्यथा उसको ऐसी स्थित में लाने जिसमें उसका मापन हो सके, इससे पूर्व प्रभारी अभियंता अथवा उसके प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, जो उस कार्य का प्रभारी है, कम से कम 7 दिन की लिखित सूचना देगा तािक उसके इस प्रकार पूरा किए जाने या कार्य का जिसमें उसका मापन हो सके, लाये जाने से पूर्व उसकी सही लंबाई चौड़ाई आदि नापी जा सके और ठेकेदार किसी भी कार्य को प्रभारी अभियंता या उसके उस प्राधिकृत अधिनस्थ व्यक्ति की लिखित सम्मति के बिना जो प्रभारी अभियंता है न तो पूरा और न ऐसी स्थिति में रखेगा की उसका अधिनस्थ उस कार्य का प्रभारी अभियंता और उसका प्राधिकृत अधिनस्थ जो उस कार्य का प्रभारी है, 7 दिन की उपयुक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कार्य बिना ऐसी सूचना देकर अथवा प्रभारी अभियंता की सहमित प्राप्त किए बिना पूरा किया जाएगा या ऐसे स्थिति में ले आया जाएगा कि उसका मापन हो सके तो वह कार्य ठेकेदार के खर्च पर किया जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार के कार्य या उस सामग्री के लिए जिसकी मदद से उसे निष्पादित किया गया था कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

खण्ड १७क

अनुरक्षण की अवधि के दौरान क्षति, त्रुटि के लिए टेकेदार जिम्मेदार

यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार किसी ऐसे भवन के, जिसमें वे काम कर रहे हैं, किसी भाग को या उस परिसर से जिस पर कोई कार्य या उसका कोई भाग निष्पादित किया जा रहा है लगे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के मोड़, बाड़ अहाते, पानी के नल, केबल, नालियों, विद्युत या टेलिफोन के खंभों या तारों, पेड़ों को तोडेगा, घास या घास का मैदान या जोती हुई भूमि को

विरूपित करेगा, नुकसान पहुँचाएगा या नष्ट करेगा या कार्य में उसकी प्रगित के दौरान कोई नुकसान किसी भी कारण से हो जाएगा या कार्य में कोई खराबी, सिकुड़न या कोई अन्य दोष प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य के पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाणपत्र के यथापूर्वोत दे दिए जाने के पश्चात बारह माह के भीतर प्रकट होते हैं, (किसी भी कार्य के लिए छः माह, केवल सड़क के कार्य के अलावा, दूसरा कोई कार्य जो 1,00,000/- व उससे कम हो) जो त्रुटिपूर्ण या अनुचित सामग्री या कार्य कौशल से पैदा हुए है तो ठेकेदार, उस निमित लिखित रूप में सूचना प्राप्त होने पर उसे अपने खर्चे पर ठीक करेगा और इसमें व्यतिक्रम होने पर प्रभारी इंजीनियर उसे अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च की (जिसके विषय में प्रभारी इंजीनियर का प्रमाणपत्र अंतिम होगा) कटौती ऐसी किसी राशि में से जो उस समय या तत्पश्चात किसी समय ठेकेदार को देय हो जाए या उसके प्रतिभूति जमा में से अथवा उसके या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय से कर सकेगा। ठेकेदार का प्रतिभूति जमा कार्य पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाणपत्र के दिए जाने के पश्चात् 12 मास की समाप्ति से पूर्व या जब तक कि अंतिम बिल पास नहीं हो जाता है, भी पश्चातवर्ती हो लौटाया नहीं जाएगा।

प्रभारी अभियंता किसी भी त्रुटि के बारे में त्रुटि निवारण अविध के समापन, जो कार्य समापन की तिथि से प्रारंभ हो जाती है, से पूर्व ही ठकेदार को सूचित करेंगे। जब तक त्रुटि का निवारण नहीं हो जाता तब तक त्रुटि निवारण अविध को स्वतः विस्तृत माना जाएगा। जब कभी भी ऐसी सूचना दी जाती है तो ठेकेदार को प्रभारी अभियंता द्वारा तय समय-सीमा के अंतर अधिसूचित त्रुटि का निवारण कर देना चाहिए।

तथापि, खास कार्य जैसे मिट्टी से संबंधित जमा, यदि कोई प्रदत्त हो, उसे कार्य या वन की सफाई का कार्य के लिए जहाँ त्रुटि दायित्वाविध संगत नहीं है, प्रतिभूति निक्षेप अंतिम बिल के भुगतान के साथ में लौटाया जाएगा।

आगे, संविदा में जहाँ यह प्रावधान हो कि कार्य चरणवार पूरा किया जाए वहाँ प्रभारी अभियंता अपने विवेक से प्रत्येक चरण के पूरा होने के 12 महीने (₹10,00,000 एवं उससे कम के सड़क निर्माण कार्य के अलावा, किसी अन्य कार्य के मामले में छः महीने) की अवधि के बाद प्रतिभूति जमा के कुछ भाग का भुगतान कर सकता है, परंतु, पूरे ठेके के अंतिम बिल के भुगतान से पहले नहीं।

अनुरक्षण एवं प्रचालन कार्यों के मामले में ठेकेदार से ली गई प्रतिभूति जमा अंतिम भुगतान के दिनांक से एक माह के अंदर लौटाई जाएगी अथवा अनुरक्षण ठेके के पूरा होने के दिनांक से एक माह के अंदर, जो भी पहले हो।

खण्ड 17ख

ठेकेदार द्वारा समूचे कार्य के मूल्य के लिए बीमा करवाने हेतु विशेष शर्त हटा दिया गया

अ.वि./ इसरो भाग-II: निविदा-पश्च चरण H-35

खण्ड 18

ठेकेदार द्वारा उपकरणों एवं संयंत्रों, इत्यादि की आपूर्ति।

ठेकेदार कार्य के ठीक निष्पादन के लिए अपने व्यय पर सब सामग्री (ऐसी विशेष सामग्री यदि कोई हो सिवाय जिनका प्रदाय संविदा के अनुसार प्रभारी इंजीनियर के भंडारों से किया जा सकता हो) संयंत्र, औजारों उपयंत्रों, उपस्करों, सीढ़ियों, गरारी पाड़ तथा कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित या उचित अस्थायी संकर्मों की व्यवस्था करेगा चाहे वे मूल, परिवर्तित या प्रतिस्थापित हो और चाहे संविदा के भाग के रूप में विनिर्देश या अन्य दस्तावेजों में सिम्मिलत या इन शर्तों में निर्दिष्ट किए गए हो, या नहीं या जो किसी ऐसे विषय के बारे में प्रभारी इंजीनियर की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, जिनके बारे में वह इन शर्तों के अधीन इस बात का हकदार है कि उसका समाधान होना चाहिए या जिनकी वह कार्यस्थल तक और वहां से उनके लाने ले जाने, सिहत अपेक्षित है।

ठेकेदार साधनों और सामग्री सिहत अपेक्षित व्यक्तियों को बिना प्रदाय के भेजेगा, जो काम को आरंभ करते समय और किसी भी समय और समय-समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना, तोल आवश्यक हों। उसके ऐसा करने में असफल रहने पर प्रभारी इंजीनियरी ठेकेदार को देय किसी धन में से या उसके विक्रय से प्राप्त में से लेकर कटौती करेगा/करेंगे।

खण्ड 18क

मजदूरों को की गई क्षतिपूर्ति की वसूली

ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के धारा 12 की उपधारा (i) के उपधों के आधार पर, सरकार ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है, सरकार इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल कर लेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (ii) अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, या सरकार द्वारा ठेकेदार को देय किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल कर सकेगी। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (i) के अधीन उसके विरूद्ध किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तथा बाध्य होगी, जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की है और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए, जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप देय होगी, पूर्ण प्रतिभृति दे दी है, अन्यथा नहीं।

खण्ड 18ख

ठेकेदार के असफल होने पर मजदूरों को भुगतान एवं सुविधाएँ सुनिश्चित करना

ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971, के उपबंधों के अधीन सरकार किसी ऐसे कर्मकार की मजदूरी की उसकी राशि का संदाय करने के लिए बाध्य है जिसे ठेकेदार ने संकर्म के निष्पादन में नियोजित किया है या कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी ऐसी सुखसुविधाओं की व्यवस्था करने में कोई खर्च उठाने के लिए बाध्य है जिनके बारे में उक्त अधिनियम और नियम खंड 19 एच. या ठेकेदार के श्रम विनियमों या सरकार द्वारा कर्मकारों के स्वास्थ्य की संरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रबंधों के समय-समय पर बनाए गए नियमों के अधीन यह अपेक्षा है कि उनकी व्यवस्था की जाए। सरकार इस प्रकार संदत्त मजदूरी की

रकम या इस प्रकार किया व्यय की रकम ठेकेदार से वसूल करेगी और कार्य का श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम नियम 1970 की धारा 20 की उपधारा (2) और धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसी रकम या उसका कोई भाग प्रतिभूति जमा में से या सरकार द्वारा ठेकेदार को चाहे इस संविदा के अधीन या अन्यथा देय किसी राशि में से कटौती करके वसूल कर सकेगी। जब ठेकेदार लिखित अनुरोध करेगा और जब वह सरकार के ऐसे सभी खर्च के लिए पूरी प्रतिभूति दे देगा जिनके लिए सरकार को ऐसे दावों का प्रतिवाद करने में दायी हो सकती है, तभी सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन उसके (सरकार के) विरुद्ध किए गए दावे का प्रतिवाद करने के लिए आबद्ध होगी, अन्यथा नहीं।

खण्ड 19

ठेकेदार द्वारा श्रम कानून/सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन

ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को काम में लगाने, मजदूरी देने एवं अन्य संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जारी नियम, अधिनियम एवं कानून का अनुपालन करना चाहिए और उक्त श्रम कानून के अनुपालन के दौरान किसी भी प्रकार के किए गए भुगतान के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए।

संबंधित प्रभारी अभियंता को यह अधिकार है कि वह ठेकेदार को देय राशि में से ऐसी राशि की कटौती कर लें जो उस हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित होने के लिए प्राक्कलित है, जो किसी कर्मकार या कर्मकारों ने संविदा की कर्मकारों की फायदे वाली शर्तों के अपालन, मजदूरी के अंसदाय या उसकी या उनकी मजदूरी में ऐसी कटौतियों के, जो उनके संविदा के निबंधनों के या उनके द्वारा विनियमों के अपालन के आधार पर न्यायोचित नहीं हैं, के कारण उठाई गई है।

आगे, मजदूरों के लिए इसरो की सुरक्षा मैनुअल (अनुसूची 'एच') के अनुरूप सुरक्षा प्रावधान, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई की व्यवस्था इसके विस्तृत नियम के अनुरूप, ठेकेदार अपने खर्च पर व्यवस्थित एवं अनुपालित करेगा।

खण्ड 20

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 और उनके अधीन बनाए गए नियमों के और ठेका श्रम को प्रभावित करने वाली अन्य विधियों के, जो समय-समय पर प्रवृत्त की जाएँ सभी उपबंधों का पालन करेगा।

खण्ड 21

कार्य को उप-पट्टे पर न दिया जाए - दिवालिया होने की स्थिति में कार्रवाई

प्रभारी अभियंता के लिखित अनुमोदन के बिना संविदा का न तो समनुदेशन किया जाएगा और न वह उप-पट्ट पर दी जाएगी। यदि ठेकेदार अपनी संविदा को समनुदेशित करेगा या उप-पट्टे पर देगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा या दिवालिया हो जाएगा या दिवालिया विषयक कार्यवाहियाँ प्रारंभ करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा या यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या

अभिकर्ता किसी लोक अधिकारी या सरकार के नियोजन में किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में उसके पद या नियोजन के संबंध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान, उधार, परिलिब्ध, ईनाम या अनुलाभ या अन्यथा फायदा पहुँचाएगा, देने का वायदा या प्रस्थापना करेगा या यदि ऐसा कोई अधिकारी या व्यक्ति संविदा में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हितबद्ध हो जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रभारी अभियंता को खंड 3 में निर्दिष्ट कोई भी कार्रवाई, जिसे वह सरकार के हित में सर्वोत्तम रूप से हितकर समझे, करने की शक्ति होगी और यदि इनमें से कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके वे ही परिणाम होंगे जो खंड 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

खण्ड 22

वास्तविक हानि या क्षति के संदर्भ के बिना देय क्षतिपूर्ति

इन शर्तों में से किसी शर्त के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय सब राशियाँ वास्तविक रूप से हुई हानि या नुकसान के प्रति निर्देश के बिना और चाहे कोई नुकसान हुआ हो या नहीं सरकार के उपयोग में लाए जाने के लिए उचित प्रतिकर समझी जाएंगी।

खण्ड 23

फर्म के गठन में परिवर्तन की सूचना

ठेकेदार द्वारा भागीदारी फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व प्रभारी अभियंता का लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा। जहाँ ठेकेदार व्यक्ति है या अविभक्त हिंदु परिवार का व्यवसाय है वहाँ इससे पूर्व की ठेकेदार कोई ऐसा भागीदारी करार करे जिसके अधीन भागीदारी फर्म को वह कार्य करने का अधिकार होगा जो ठेकेदार ने इसके द्वारा अपने हाथ में लिया है उक्त अनुमोदन उसी प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। यदि उपर्युक्त पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि संविदा का समनुदेशन इसके, खंड 21 का उल्लंघन करते हुए किया गया है और उस पर वही कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसके वे ही परिणाम होंगे जो उक्त खंड 21 में उपबंधित है।

खण्ड 24

हटा दिया गया है।

खण्ड 25

विवाद का निपटारा और मध्यस्थता

- क) यदि कार्य प्रभारी अभियंता, सी.एम.डी. और ठेकेदार के बीच निम्नांकित विषय पर किसी भी तरह के विवाद या भिन्नता हो जाए:
 - i) इसमें पूर्व उल्लिखित विनिर्देशों, रेखाचित्रों, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ।
 - ii) कर्म कौशलता की गुणवत्ता या कार्य सामग्रियों का प्रयोग।
 - iii) यदि कार्य की प्रगति के दौरान, समाप्ति या परित्याग के बाद ठेके, रेखाचित्र, आरेखनों, विनिर्देश, प्राक्कलन, अनुदेश या आदेश या उनके निष्पादन में असफलता के कारण उत्पन्न या उन शर्तों के संबंध में दावा अधिकार, मामले, किसी भी तरह के प्रश्न उठ खड़े हो जाएँ तो विवाद को पहले ठेके में उल्लिखित कार्य जिन समूह प्रधान, सी.एम.जी./

प्रधान, सी.एम.डी. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं, उसके ध्यान में और इसके साथ सहायक दस्तावेज जैसे - दरों का विश्लेषण, रोकड़ बही और अन्य तत्संबंधी ब्यौरे को भी प्रस्तुत करना होगा। समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान, सी.एम.डी. उस दिन से जिस दिन से ठेकेदार वैसा करने का अनुरोध करता है या उस दिन से जिस दिन अपेक्षित ब्यौरे की प्रस्तुती करता है, जो भी बाद में हो, 60 दिनों की अवधि के अंदर अपना निर्णय ठेकेदार को लिखित सुचना के रूप में देगा।

यदि समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान, सी.एम.डी. (i) ठेकेदार के उपर उल्लिखित जैसे विवाद या भिन्नता को निपटाने हेतु लिखित रूप से अनुरोध या (ii) ठेकेदार अपनी सहायता हेतु तत्संबंधी ब्यौरे की प्राप्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, 60 दिनों के अंदर अपना निर्णय देने में असमर्थ रहें तो। अथवा

ठेकेदार, समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान, सी.एम.डी. के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह केन्द्र/यूनिट के निदेशक के ध्यान में उपर उल्लिखित 60 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद 15 दिनों की अवधि के अंदर लाया जा सकता है। केन्द्र/यूनिट के निदेशक, उस दिन से जिस दिन ठेकेदार का अनुरोध या दावे के सहायक रूप से ठेकेदार के तत्संबंधी ब्यौरे की प्राप्ति जो भी बाद में हों, से और 90 दिनों की अवधि के अंदर ठेकेदार को अपने निर्णय का नोटिस देगा।

- ख) इसके बाद किए अन्य तरह के निपटानों का आधार बशर्ते केन्द्र/यूनिट के निदेशक के निर्णय प्रत्येक विवाद या भिन्नताओं पर अंतिम होगा और वह ठेकेदार पर बाध्यकार होगा। निर्णय तत्काल लागू करना होगा और ठेकेदार को कार्य को पूर्ण परिश्रम से निपटाना होगा।
- ग) उपाय
 - 1. जब केन्द्र/यूनिट के निदेशक का निर्णय निविदाकार को स्वीकार्य नहीं है अथवा
 - 2. केन्द्र/यूनिट के निदेशक 90 दिनों के अंदर निर्णय देने में असफल रहता है।

जब ठेकेदार, केन्द्र/यूनिट के निदेशक के निर्णय से असंतुष्ट है या मुख्य अभियंता उपर उल्लिखित 90 दिनों की अवधि के अंतर्गत अपना निर्णय देने में असमर्थ रहे तब ठेकेदार विवाद को निपटाने हेतु मुख्य अभियंता को इस संबंध में लिखित सूचना देने के बाद, न्यायालय में जा सकता है।

- घ) दावा समूह प्रधान, सी.एम.जी./ केन्द्र/ यूनिट के निदेशक या विधि न्यायालय को सौंपा गया है, जैसी भी स्थिति हो, निविदाकार कार्य के निष्पादन की ओर बढ़ता जाएगा और उक्त विवादों के या मतभेदों के निपटारे को लंबित रखकर नियम तत्परता से कार्य को पूरा करेगा।
 - विवाद के विचाराधीन के दौरान कार्यप्रभारी अभियंता और ठेकेदार के दायित्वों पर निर्णय नहीं लेगा।
- ड.) किसी बात के न होते हुए भी कि कार्य समाप्त की गई या समाप्त का अभिकथन किया गया है किसी भी विवाद या विवादें या भिन्नताओं के संदर्भ में समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान सी.एम.डी. या केन्द्र/ यूनिट के निदेशक या न्यायालय आगे बढ़ता है बशर्ते कार्य की प्रगति

के दौरान समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान सी.एम.डी./ केन्द्र/ यूनिट के निदेशक या न्यायालय को संदर्भित विवाद या भिन्नता के कारण कार्य प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के दायित्वों का परिवर्तन नहीं करेगा।

खण्ड 25क

सी.एम.जी. तथा केंद्रीय सरकार के उद्यम के बीच विवादों का निपटान

यदि सी.एम.जी./अंतिरक्ष विभाग और केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर उद्यम के बीच ठेके हो जाने पर, ठेके के उपरोक्त खंड 25 शर्तों का अधिक्रमण करते हुए निम्निलिखत खंड लागू होगाः करार के उपबंधों की व्याख्या तथा अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद या मतभेद होने की स्थिति में, ऐसे विवाद या मतभेद को दोनों में से किसी एक पक्षकार द्वारा सरकारी उद्यम विभाग के किसी एक मध्यस्थ के लिए सींपा जाएगा जिसे सचिव, भारत सरकार प्रभारी सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों द्वारा नामित किया जाएगा। इस खंड के तहत मध्यस्थ के लिए मध्यस्थ अधिनियम 1940 लागू नहीं होगा। मध्यस्थ का निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो वे विधि सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्राधिकृत कर दिए जाने के बाद विधि सचिव, अतिरिक्त सचिव के साथ निर्णय को रद्द करने अथवा उसमें संशोधन करने के लिए चर्चा कर सकते हैं। ऐसी चर्चा के बाद, विधि सचिव या विशेष सचिव द्वारा विवाद को सुलझा दिया जाएगा, जिसका निर्णय पक्षकारों पर अनंतिम/ और निश्चयात्मक रूप से बाध्यकारी होगा। विवाद से संबंधित पक्षकार मध्यस्थ की लागत को समय रूप से बाँट लेंगे, जोिक मध्यस्थ द्वारा सूचित की जाएगी।

खंड 25 के प्रावधान उन ठेकों पर लागू नहीं होगा जहाँ यह खंड 25क लागू है और जिन ठेकों पर खंड 25क लागू नहीं है खंड 25 लागू होगा।

खण्ड 26 पेटेंट अधिकार हटा दिया गया

खण्ड 27 हटा दिया गया है।

खण्ड 28

खण्ड 11 क के रूप में पुनः क्रमांकित

खण्ड 29

ठेकेदार से बकाया राशि का पुनर्ग्रहण एवं नियंत्रणः

(i) ठेकेदार के प्रति या ठेके के अंतर्गत या ठेके के कारण किसी धनराशि के भुगतान का दावा या जब कभी भी कोई अन्य दावा किया जाता है तब ऐसी स्थिति में, प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग प्रतिभूति जमा राशि को पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप में पुनर्प्रहित या नियंत्रित करने के लिए अधिकृत हैं यदि ऐसी कोई राशि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उद्देश्य के लिए जमा कराई गई हो, प्रभारी अभियंता सरकार/विभाग को ऐसी किसी भी प्रतिभूति जमा का पुनर्प्रहण का अधिकार है जिस पर दावा किया जा सके या फिर दावे के अंतिम रूप से निपटारे या

न्यायिक निर्णय तक रोक लगाये रखने का अधिकार है। यदि प्रतिभूति राशि, दावे की राशि या राशियों के भुगतान के लिए अपर्याप्त है या ठेकेदार से ऐसी कोई राशि नहीं ली गई है, ऐसी स्थिति में, प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग इसका पुनर्ग्रहण करने के लिए अधिकृत है तथा उपयुक्त राशि या राशियों पर रोक लगाने (नियंत्रण रखने) के लिए भी अधिकृत है जिन राशियों का भुगतान या उसी ठेके के अंतर्गत या सरकार/विभाग के प्रभारी अभियंता के साथ किसी अन्य करार के अंतर्गत या ऐसे किसी अन्य दावे के न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम रूप से निपटारे के लिए प्रभारी अभियंता के साथ किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किए गए करार के अंतर्गत देय हो।

करार के अंतर्गत ऐसी सहमित है कि जिसे प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग पुनर्ग्रहित राशि के रूप में स्वीकार करते हैं, उस पर रोक लगाए रखने या नियंत्रित रखने का अधिकार प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग को है जब तक कि सक्षम न्यायालय का इस पर कोई निर्णय न प्राप्त हो जाए और इस बाबत ठेकेदार द्वारा कोई ब्याज या नुकसान का दावा नहीं किया जा सकता जिसकी सूचना ठेकेदार को जारी कर दी गई है। इस धारा के परिपेक्ष्य में, यदि ठेकेदार, साझीदार/निगमित कम्पनी है तो ऐसी स्थिति में प्रभारी अभियंता या सरकार को, पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से देय जमानत राशि को पुनर्ग्रहित या नियंत्रित करने का अधिकार है चाहे ऐसा निजी तौर पर हो या अन्यथा हो।

(ii) सरकार/विभाग को ठेकेदार के कार्य और अंतिम बिलों की जिनके अंतर्गत सभी समर्थक वाउचर, संक्षिप्त आदि भी है, अंतिम बिलों के संदाय और तकनीकी परीक्षा के पश्चात् लेखापरीक्षा और तकनीकी परीक्षा कराने का अधिकार होगा और यदि ऐसी लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा संविदा के अधीन किए गए किसी कार्य की बाबत ठेकेदार का दावा है कि उसने उसे संविदा के अधीन किया है, यह पाया जाता है कि वह निष्पादित नहीं किया गया है तो ठेकेदार उस अतिसंदाय को वापस करने के लिए दायी होगा जो उसे किया गया है और सरकार/विभाग के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह उसे इस खंड के उपखंड (1) में विहित रीति में या विधि द्वारा अनुज्ञेय किसी अन्य रीति में वसूल कर ले और यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार को संविदा के अधीन निष्पादित किसी कार्य की बाबत संविदा के अधीन उसे देय से कम संदाय किया गया हो, तो सरकार/विभाग ऐसे न्यून संदाय की रकम का ठेकेदार को सम्यक रूप में संदाय करेगी, उस पर किसी भी प्रकार के ब्याज के बिना।

बशर्ते कि सरकार/विभाग किसी अतिसंदाय को वसूल करने की या ठेकेदार किसी न्यून संदाय की राशि के संदाय के लिए तब हकदार नहीं होगा जब कि ऐसे संदाय की बाबत प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारण के पश्चात् कार्य की अनुमित देने वाले संविदा के निबंधन के अधीन एक ओर प्रभारी अभियंता और दूसरी ओर ठेकेदार के बीच सहमित हो गई है।

खण्ड 29क

अन्य संविदाओं के दावों के संबंध में पुनर्ग्रहण

प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग या प्रभारी अभियंता के द्वारा किए गए दावे के विरोध में प्रभारी अभियंता के संपर्क में आने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों या सरकार/विभाग या अन्य कोई व्यक्ति या जिन्हें प्रभारी अभियंता सरकार/विभाग के साथ ठेकेदार द्वारा ऐसे कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों

द्वारा करार के अंतर्गत ठेकेदार को दी जाने वाली किसी भी बकाया राशि (जिनमें जमानती जमा राशि जिन्हें वापस करना हैं, शामिल है) पर पुनर्ग्रहण के अंतर्गत रोक लागाया जा सकता है।

करार के अंतर्गत ऐसी सहमित है कि प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग द्वारा पुनर्ग्रहित/नियंत्रित धनराशि इनके जिम्में ही रहेगी जबतक कि समान करार या अन्य करार की अवधि तक किसी दावे पर आपसी सहमित न बन जाए या न्यायालय द्वारा कोई निर्णय न हो जाए। जो भी हो, ठेकेदार इस आधार पर या इस धारा के अंतर्गत रोक ली गई धन राशि को किसी अन्य आधार पर ब्याज या नुकसान का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अधिसूचना ठेकेदार को जारी कर दी गई होती है।

खण्ड 30

ठेकेदार की मृत्यु पर संविदा की समाप्ति

यदि ठेकेदार स्वर्गवासी हो जाता है तो प्रभारी अभियंता को यह विकल्प होगा कि वह किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार को कोई प्रतिकर दिए बिना, राष्ट्रपति की ओर से इस संविदा को समाप्त कर दे।

खण्ड 31

जल आपूर्ति

ठेकेदार काम पूरा करने के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था स्वयं करेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए निम्न शर्तें लागू होंगी:-

- i) ठेकेदार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला जल प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के अनुरूप निर्माण-कार्य के लिए उपयुक्त होगा।
- ii) यदि प्रभारी अभियंता की राय में ठेकेदार द्वारा की गई जल की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है तो प्रभारी अभियंता जल की वैकल्पिक व्यवस्था ठेकेदार की जोखिम और खर्चे पर करेगा।

विभाग द्वारा आपूर्ति, यदि कोई हो:

निम्न शर्तों के आधार पर, एकल विषय बिन्दु पर ठेकेदार को विभाग द्वारा जल की आपूर्ति की जा सकती है यदि जल उपलब्ध एवं अतिरिक्त हों:-

- i) कृत कार्य की कुल राशि का 1 % जल शुल्क या खर्च के रूप में वसूला जाएगा।
- ii) जलापूर्ति के विद्यमान मुख्य स्त्रोत से पाइप लाइन बिछाने तथा जल के संयोजन की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं करेगा/करेंगे।
- iii) विभाग, अबाध जलापूर्ति व्यवस्था की गारंटी नहीं देता; सरकारी/विभागीय जलापूर्ति व्यवस्था में तत्कालिक व्यवधान (अस्थायी मरम्मत की जरूरत) होने पर ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपने खर्च पर वह वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवसाय सुनिश्चित करे ताकि काम की प्रगति जलाभाव के कारण बाधित न हो। ऐसे किसी भी टूट-फूट या मरम्मत का दावा या जल शुल्क के भुगतान का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

वैकल्पिक जल व्यवस्था:

- i) जहां नल द्वारा जल के प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं है और ठेकेदार सरकार/विभाग द्वारा बनाए गए कुएं या हैंड पंप से जल लेता है, वहां उसके लिए ठेकेदार से कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा, किंतु ठेकेदार दिन के ऐसे घंटों में पानी लेगा कि उससे उसके सामान्य उपयोग में कोई विघ्न न पड़े, जिसके लिए हैंडपंप और कुएं बनाए गए हैं। वह अपने उपयोग से होने वाले सभी नुकसान और असामान्य मरम्मतों के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसकी लागत उससे वसूल की जा सकेगी। प्रभारी अभियंता इसके लिए ठेकेदार से वसूल की जा सकने वाली लागत अवधारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।
- ii) ठेकेदार को प्रभारी अभियंता से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लेने पर ही, निर्माण के प्रयोजनों के लिए जल लेने के हेतु सरकार/विभाग की भूमि पर अस्थायी कुओं का निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। ठेकेदार से इसके लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे, ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह दुर्घटनाएं न होने देने के लिए और पार्श्व भवनों, सड़कों और सर्विस लाइनों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करे। वह कुओं के बनवाने और तत्पश्चात् उनके अनुरक्षण के कारण हुई दुर्घटनाओं या नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा और कार्य के हो जाने पर कुओं को भर कर भूमि को मूल दशा में ले आएगा।

खण्ड 32 विद्युत

विद्युत यदि परिसर में उपलब्ध हों और अतिरिक्त हों तो एकल विषय बिन्दु के आधार पर ठेकेदार को मुहैया कराया जा सकता है:-

- i) प्रभारी अभियंता द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 3 फेज या एकल फेज में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करना होगा। विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता मीटर के आधार पर करना होगा। विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता मीटर के आधार पर की जाएगी। खपत के आधार पर विद्युत-उपयोग प्रभार लिया जाएगा।
- ii) किसी भी सूरत में, जहाँ या जब विद्युत मीटर नहीं लगाई गई हो, खराब मीटर नहीं बदली गई हो या जिसे तत्काल नहीं सुधारा गया हो, ऐसी स्थिति में विद्युत उपयोग का शुल्क, भार के कुल वॉट एवं इस्तेमाल किए गए घंटे के गुणनफल के आधार पर किया जाएगा। ऐसे सभी घटनाओं के लिए ठेकेदार एक लॉग-बुक में विद्युत उपयोग के घंटे के सही समय पर प्रभारी अभियंता से अभिप्रमाणित कराएगा। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी: कृपया कार्यस्थल पर अस्थायी विद्युत आपूर्ति एवं सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश का अनुसरण करें।

खण्ड 33

सरकार की अधिशेष सामग्री की सरकार को वापसी हटा दिया गया है।

खण्ड 34 - हटा दिया गया है।

खण्ड 35 - हटा दिया गया है।

खण्ड 36

रनातक/डिप्लोमा धारी इंजीनियरों का नियोजन

ठेकेदार अधीक्षक, पर्यवेक्षक, तकनीकी स्टाफ एवं कर्मचारी

(i) ठेकेदार कार्य निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक अधीक्षण मुहैया कराएगा तथा करार के अंतर्गत उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए इसके बाद भी आवश्यकतानुसार सुविधा मुहैया करायेंगे।

ठेकेदार, निविदा के स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के तुरंत बाद तथा कार्यारम्भ से पूर्व, मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि एवं अन्य तकनीकी पर्यवेक्षक जो कार्य की निगरानी करेंगे, के नाम, शैक्षणिक योग्यताएँ, कार्यानुभव, आयु, पता एवं अन्य जानकारी प्रमाण-पत्र सिहत प्रभारी अभियंता को लिखित में सूचित करेंगे।

यदि प्रभारी अभियंता, जिनका निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए अनुमान्य है, आश्वस्त है कि ऐसे किसी तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति कारगर ढंग से नहीं हुई है या प्रभावकारी ढंग से काम पर नहीं रहे हैं या खंड के प्रावधान के अनुरूप नहीं है तो ठेकेदार से अनुसूची 'एफ' के अनुरूप उगाही (अप्राप्य) की जाएगी।

(ii) ठेकेदार, वैसे तकनीकी सहायकों को भर्ती कर कार्यस्थल पर मुहैया करायेगा जो अपने-अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष और अनुभवी हैं और वैसे फोरमैन एवं पर्यवेक्षकों को कार्य की निगरानी सौंपेगा जो सुयोग्य हों।

ठेकेदार, कार्य को सही ढंग से समय पर निष्पादित करने के लिए आवश्यक दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष श्रमिकों की भर्ती कर मुहैया करायेगा।

प्रभारी अभियंता को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने की छूट है। यदि इन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, यह अयोग्य है या काम पर ध्यान नहीं देता या किसी कर्मचारी की नियुक्ति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है तो ठेकेदार उसे काम से मुक्त कर दे। कार्यस्थल पर ऐसे व्यक्ति की पुनः नियुक्ति प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमित के बिना नहीं की जायेगी और ऐसे व्यक्ति के बदले एक सक्षम विकल्प तुरंत मुहैया कराया जायेगा।

खण्ड 37 - हटा दिया गया है।

खण्ड 38 - हटा दिया गया है।

खण्ड 38क - हटा दिया गया है।

खण्ड 39

विभाग में कार्यरत रिश्तेदार

यह प्रकल्पित किया जाता है कि ठेकेदार की अंतरिक्ष विभाग के किसी अधिकारी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। यदि उसके कोई रिश्तेदार हैं तो उनकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

खण्ड 40

सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी के नियोजन पर प्रतिबंध

भारत सरकार के किसी इंजीनियर विभाग में इंजीनियर या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित राजपत्रित ओहदे का कोई इंजीनियर या अन्य राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के पूर्व

अनुमोदन के बिना अपनी सेवा निवृत्ति से एक वर्ष की अवधि तक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमत नहीं है। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों जिसने यथास्थिति निविदा प्रस्तुत करने या ठेकेदार को सेवा लगाने से पूर्व भारत सरकार से उपयुक्त अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली थी तो यह संविदा रद्द की जाएगी।

खण्ड 41

सामग्री की वापसी एवं जारी अतिरिक्त सामग्री के लिए वसूली हटा दिया गया है।

खण्ड 42 - हटा दिया गया है।

खण्ड 43

प्रशिक्षु अधिनियम का अनुपालन हटा दिया गया है।

खण्ड 44 - हटा दिया गया है।

खण्ड 45

श्रम जाँच के बाद प्रतिभूति जमा की वापसी हटा दिया गया है।

अ.वि./ इसरो भाग-II: निविदा-पश्च चरण H-45

ग. सामान्य दिशानिर्देश (संविदा की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के साथ पढ़ा जाए)

1. भण्डार एवं सामग्री, निरीक्षण एवं विभाग के क्रियाकलापों के लिए होने वाली असुविधा को दूर करना

कार्यों के लिए अपेक्षित सामान और सामग्री ठेकेदार को ही उन स्थानों पर जमा करनी होगी जो प्रभारी अभियंता द्वारा बताई जाए। ऐसे किसी सामान या सामग्री का, जिसका उपयोग कार्य में या उस पर किए जाने का आशय है, कार्य स्थल पर या ऐसे किसी कारखाने या कार्यशाला या अन्य स्थानों पर जहाँ ऐसे सामान या सामग्री का निर्माण या विनिर्माण या प्रसंस्करण किया जा रहा है अथवा ऐसे किसी स्थान पर जहाँ से वे प्राप्त किए जा रहे हैं किसी भी समय निरीक्षण और परीक्षण करने का अधिकार प्रभारी अभियंता को प्राप्त होगा और ठेकेदार ऐसे निरीक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएँ देगा।

प्रभारी अभियंता, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए सामान या सामग्री का किसी अनुमोदित प्रयोगशाला में परीक्षण करवाए, ठेकेदार अपने खर्चे पर सभी सुविधाएँ जैसे:- नमूने लेने की व्यवस्था, परिवहन, संवेष्ठन आदि को देगा, जिनकी प्रभारी अभियंता इस प्रयोजन के लिए अपेक्षा करेगा, परीक्षण की लागत विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

कार्य में उपयोग के लिए कार्य - स्थल पर लाया गया सामान और सामग्री कार्य स्थल से प्रभारी अभियंता के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना हटाई नहीं जाएगी, किंतु कार्य के अंतिम स्तर के पूरा हो जाने पर ठेकेदार ऐसे सभी बचे हुए सामान और सामग्री को जिसे मूल रूप से वह लाया था, कार्य स्थल से स्वयं अपने खर्च पर हटाएगा।

ठेकेदार ऐसे किसी भी स्थल पर सामग्री को जमा नहीं करेगा जिससे विभाग को क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार की असुविधा हो। प्रभारी अभियंता की इच्छानुसार ठेकेदार स्थल को पूरी तरह साफ करेगा। सभी अतिरिक्त सामग्री, कचरा, तथा हानिकारक सामग्री/ जो विभाग के क्रियाकलापों में असुविधात्मक हों, ठेकेदार द्वारा उसी के खर्चें पर हटाई जाए और प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित स्थान पर जमा की जाए।

2. विनिर्देशन एवं आहरण

ठेकेदार को दिए गए आरेखनों की व्याख्या और उसकी पहचान चित्रित आयामों और उसमें उपवर्णित नामपद्धति द्वारा की जाएगी। आरेखन को किसी भी अवसर पर अलग करके कार्य स्थल को अंतरित नहीं किया जाएगा।

ऐसे सभी मामलों में जिनमें कार्य के किसी घटक के लिए विस्तृत और ब्योरेवार आरेखन दिए जाते हैं, उनमें ये आरेखन उन आरेखनों पर अग्रता प्राप्त करेंगे जो अपेक्षाकृत छोटे पैमाने के साधारण आरेखन में समाविष्ट है।

(क) कार्य के निष्पादन में पूर्व ठेकेदार सभी आरेखनों, विनिर्देशों की जांच पड़ताल करेगा और उनमें जो त्रुटियाँ विसंगतियाँ और/या हेरफेर पाए जाये उनकी तत्काल रिपोर्ट प्रभारी अभियंता को करेगा तथा उसके संबंध में उपयुक्त आदेश प्राप्त करेगा। प्रभारी अभियंता के पूर्व अनुमोदन के बिना ठेकेदार जो भी समायोजन करेगा वह उसकी जोखिम पर होगा मात्राओं की अनुसूची में मद का प्रत्येक वर्णन ससंगत आरेखनों और विनिर्देशों के साथ

पढ़ा जाएगा और ठेकेदार की दर से संबंध में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे संपूर्ण कार्य के लिए है जब निविदा देते समय ठेकेदार ने अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया हो।

- (ख) सभी कर्मशाला आरेखनों संविरचना आरेखनों (फेब्रिकेशन ड्राइंग) या (फार्म वर्क ड्राइंग्स) का खर्च तथा ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले ब्यौरे की बाबत यह समझा जाएगा कि वे कार्य के लिए उसकी निविदित दरों में सम्मिलित है। कार्यशाला आरेखन (शॉप ड्राइंग्स) या अन्य विरचना आरेखनों का अनुमोदन किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी अतिरिक्त कार्य के किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है और जब तक ये आरेखन एक अलग संरक्षा स्कीम के संबंध में जो उन विनिर्देशों द्वारा शासित है जिसके लिए ठेकेदार पहले ही कोटेशन दे चुका है तब तक उन सभी आवश्यक संघटकों के लिए जो कार्य को सभी दृष्टि से पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से निष्पादित किए जाने है, कोई अतिरिक्त संदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (ग) अनुमोदन के लिए निवेदन करने से पूर्व ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि आरेखन संविदा विनिर्देशों का आशय और अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं और यहाँ की वे समग्र भवन अभिन्यास में ठीक बैठते हैं, सभी आरेखनों की भली प्रकार जांच पड़ताल करने के लिए जिम्मेदार होगा। जो आरेखन गलत पाया जाएगा/कोई गलती होगी, उसे ठेकेदार ठीक किए जाने के लिए लौटाएगा।
- (घ) ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आरेखनों के लिए ठेकेदार प्रत्येक आरेखन की 2 (दो) प्रतियाँ अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (ड.) प्रभारी अभियंता द्वारा आरेखन के लिए अनुमोदन का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा की बीमा संबंधी पूरी जांच पड़ताल की गई है, बिल्क उससे केवल यह उपदर्शित होगा कि निर्माण और विवरण का सामान्य तरीका समाधानप्रद है। ठेकेदार विमाओं तैयार की गई पद्धित की डिजाइन सुरक्षा के लिए पूरी तौर से जिम्मेदार होगा और इसमें ऐसे अंतर्योजित संबंद्ध संक्रियात्मक उपसाधन की व्यवस्था करना भी सिम्मिलित है जो कार्य के समाधानप्रद रूप से संपन्न होने के लिए पर्याप्त हों।
- (च) आरेखों और विनिर्देशों के बीच अंतर होने की दशा में विनिर्देश प्रभावी होंगे। यदि कोई चीज विनिर्देशों में उल्लिखित है, किंतु आरेखनों में नहीं दिखाई गई है अथवा यदि कोई चीज आरेखनों में दिखाई गई है किंतु विनिर्देशों में उल्लिखित नहीं हो तो उसका प्रभाव वही होगा मानो वह दोनों में दिखाई गई या उल्लिखित है।

3. कार्य का क्रम

कार्य का क्रम आमतौर पर प्रभारी अभियंता द्वारा अन्य संबंधित कार्यो को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।

4. अन्य ठेकेदारों के साथ समन्वय

ठेकेदार कार्य करने वाले अन्य ठेकेदारों को जो पहले ही साईट पर कार्य कर रहे हों उन्हें पूरा सहयोग देगा।

कार्य का निरीक्षण

कार्य प्रभारी अभियंता के निदेश के अधीन किया जाएगा और प्रभारी अभियंता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने के लिए उसका निरीक्षण करेगा कि संविदा के निबंधनों, विनिर्देशों और शर्तों का यथावत् अनुपालन किया जा रहा है। कार्य का निरीक्षण किए जाने के दौरान यदि

प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि किसी त्रुटिपूर्ण कार्य का पता लगाने में या ऐसी सामग्री को, उचित मानक की नहीं है,अस्वीकार करने में असफल रहता है, तो इससे यह नहीं समझा जाएगा की उसके संबंध में उसने आग्रह छोड़ दिया है। निर्माण के दौरान या कार्य संपन्न होने के पश्चात् कार्य संपन्न-प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख से 12 माह (सड़क कार्य की लागत 10,00,000/- एवं इससे कम के अलावा किसी अन्य कार्य की स्थिति में 6 माह) की अवधि में यदि कोई त्रुटियाँ पायी जाती है तो ठेकेदार विभाग को समाधानप्रद रूप में अपने खर्च पर सभी मरम्मत/ परिशुद्धियाँ करने के लिए दायी होगा। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार निम्न/ घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करता है जिसे भविष्य में संरचनात्मक कारणों अन्यथा बदलना संभाव्य नहीं होगा और यदि ऐसी संरचना को कायम रखने के लिए सहिमति दे दी जाती है, तो प्रभारी अभियंता को अपने विवेकानुसार विनिश्चित अनुपात तक राशि वसूल करने का यथोचित प्राधिकार प्राप्त होगा। यदि प्रभारी अभियंता की राय में अवमानक या घटिया सामग्री के उपयोग से बनाई गई संरचना को कार्य में कायम नहीं रखा जा सकता है तो ऐसी संरचना/ कार्य का भाग या के भाग तोड़ दिए जाएँगे और उनके स्थान पर ठेकेदार अपने खर्च के नई संरचना करेगा। परिसर के आंशिक या पूर्ण अधिभोग का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि कार्य को या कार्य में समाविष्ट को स्वीकार कर लिया गया है। प्रभारी अभियंता से प्राप्त लिखित प्राधिकार के बिना विनिर्देशों के किसी उपबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

6. मापन

जहाँ मापन का तरीका विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, मापन की पद्धति के प्रचलित आई.एस. कोड के अनुसार स्थल पर ही मापन किया जाएगा। ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि, जब कभी आवश्यकता पड़े प्रभारी अभियंता के साथ, मापन में सहयोग करेगा और स्थल पर रिकार्ड किए गए मापन पर सहमति जतायेगा। सामान्यतया सभी कार्यों के मापन आयाम के अनुसार किए जाएँगें।

सभी मापन स्टील के टेप से ही किए जाएँगें। मापन हेतु आवश्यक ढांचें, मंच निर्माण व सीढ़ी ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर प्रदान किए जाएँ। साथ ही, ऐसे मापन हेतु श्रमिकों की सेवा भी प्रदान की जाएँ।

यदि मापन के समय, ठेकेदार प्रभारी अभियंता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ नहीं आ पाते तो उन्हें प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि द्वारा रिकार्ड किए गए मापनों को ही मानना पड़ेगा।

7. सामग्री का निर्माता एवं अन्य विवरण

ठेकेदार काम पर जिन विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करने की प्रस्थावना करता है उनके मेक और अन्य विवरण की एक सूची प्रस्तुत करेगा और इस सूची के लिए यह आवश्यक होगा कि उसका अनुमोदन विभाग कर दे।

8. नमूने

कार्य में समाविष्ट किए जाने वाले सभी सामग्री के नमूने प्रभारी अभियंता को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे और उनके लिए किसी अतिरिक्त खर्च का दावा नहीं किया जाएगा। अनुमोदित नमूने कार्य के संपन्न होने तक प्रभारी अभियंता के पास रखे जाएंगे। जो सामग्री नमूनों के सर्वथा अनुरूप नहीं होगी, उसे अस्वीकार किया जा सकेगा।

9. विभाग की संपत्ति को क्षति न पहुँचाना

विभाग की संपत्ति, भवन या वृक्षों को कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिए और यदि ऐसा होता है तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह प्रभारी अभियंता के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, क्षतिपूर्ति करे।

10. सुरक्षा प्रावधान/दुर्घटना, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित व्यय का ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना

जनता को किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाने के लिए ठेकेदार को परकोटे पर बिजली लगवाने के सभी आवश्यक कार्य करने होंगे तथा उपरोक्त सावधानी न बरतने के कारण किसी व्यक्ति को हुई हानि और उसके द्वारा दायर किसी मुकदमें के प्रति बचाव में होने वाले व्यय को और ऐसे मुकदमें से लगाये गए क्षति पूर्ति के खर्च का भुगतान या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावे के लिए ठेकेदार द्वारा सहमत भुगतान के संबंध में व्यय ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा।

11. सुरक्षा के विनियमों का अनुपालन

कार्य-स्थल पर कार्मिकों, सामग्री आदि के प्रवेश से संबंधित विभाग के विनियमों तथा समय-समय पर लागू अन्य विनियमों का ठेकेदार को सख्ती से पालन करना होगा। ठेकेदार के कार्मिकों/मजदूरों को वैध पास धारण करने होंगे और सुरक्षा कर्मियों/विभाग के प्राधिकारियों द्वारा माँग किए जाने पर पास दिखाने होंगे। ठेकेदार के कार्मिक/मजदूर पास जारी किए गए विभाग के परिसर के अलावा अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे और कार्य-घण्टों के बाद /पहले, पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रवेश नहीं करेंगे। कार्य-घण्टों के दौरान या कार्य-घण्टों के बाद या पहले प्राधिकृत पास के बिना विभाग के परिसर में घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर विभाग की प्रक्रिया और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्य-स्थल पर ठेकेदार द्वारा लायी जाने वाली सभी सामग्री और वस्तु के संबंध में सुरक्षा द्वार पर बताना होगा। इसी प्रकार विभाग के परिसर से कोई भी सामग्री गेट-पास के बिना बाहर नहीं ले जाई जानी चाहिए, ठेकेदार को गेट पास लिखित अनुरोध पर अभियंता जारी करेंगे/करवायेंगे। यह ध्यान रखें कि ठेके की सामग्री को विभाग के कार्मिकों की मौजूदगी में वाहन एवं ट्रकों में रखवाया जाए। ठेकेदार के प्रतिनिधि को सुरक्षा जाँच पूरी होने तक सामग्री के पास रहना होगा।

रविवार, छुट्टी के दिन और कार्य-घण्टों के बाद काम करने के लिए, यद्यपि प्रभारी अभियंता से अनुमित है, तथापि, ठेकेदार को सुरक्षा अनुभाग को आवेदन देना होगा और समय-पूर्व सूचित करना होगा।

उपरोक्त समय-समय पर लागू सुरक्षा विनियमों एवं नियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। विभाग द्वारा सुरक्षा विनियमों के अवलोकन के लिए किसी प्रकार के दावे को माना नहीं जाएगा।

12. प्रस्तावित दरों का विश्लेषण

विभाग द्वारा माँग किए जाने पर ठेकेदार को निविदा की प्रत्येक मद के प्रति उसके द्वारा दिए गए भावों की पुष्टि में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए। विभाग के पास, ऐसे ठेके से

उत्पन्न होनेवाले कोई विचलन या दावों के निपटान को इस प्रकार दिए गए विश्लेषण का उपयोग करने का अधिकार रहेगा।

ठेके के सामान्य निबंधनों के खण्ड के अनुसार, प्रचलित बाजार दर की लागत पर दर/दरों को निर्धारित करते समय ठेकेदार के खर्चे एवं लाभ हेतु 15% रखा जाएगा।

13. विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज नहीं होगा

ठेके की सामान्य शर्तों में तथा ठेके के अन्य किसी भाग में जहाँ कहीं विभाग द्वारा भुगतान एवं बैंक गारंटी के निर्गम, इत्यादि हेतु समय-सीमा विनिर्दिष्ट की जाए, विभाग यदि समय-सीमा से परे, अपरिहार्य कार्यालयीन कारणों से हुए विलंब के लिए कोई ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।

PREFACE

- This book contains Notice Inviting Tender (NIT) and conditions of contract for item rate indivisible works contract applicable for minor and maintenance works (for civil and allied works) of Department of Space (DOS).
- 2. This consists of three parts viz., Part I- Tender stage, Part II- Post Tender stage and Part III Formats to be filled in by the tenderers/ contractors, while submission of tenders.
- 3. All blank spaces are to be filled-in appropriately by the authority approving the Notice Inviting Tender before issue of tender documents.
- 4. The intending tenderer has to quote their rates strictly in Schedule A appended herewith.

TABLE OF CONTENTS

SI.No	DESCRIPTION	PAGE NO.
PART-I:	TENDER STAGE	E-1
A.	Notice Inviting Tender	E-2
B.	Declarations/ Submission of Tender	E-7
PART-II:	POST- TENDER STAGE	E-10
A.	Definitions	E-11
B.	General Conditions of Contract (GCC)	E-14
C.	General Guidelines [To be read in conjunction with the General Conditions of Contract (GCC)]	E-43
D.	Schedules	E-48
PART-III:	FORMATS	E-53

DOS/ISRO III

PART- I TENDER STAGE

A. NOTICE INVITING TENDER

GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF SPACE

1.	On Behalf	of ·	the	President	of	India,	sealed,	item-rate	tenders	are	invited	for	the
	following w	ork.											

SI.No	Description	Details
1.	Title of work	
2.	Estimated cost put to tender	₹
3.	Period of completion in months reckoned from the 15th day of date of issue of work order.	
4.	Cost of tender document	₹
5.	Period during which the request for tender document can be made.	
6.	Issue of tender document closes on.	
7.	Last date and time for receipt of tenders.	
8.	Due date and time of opening of tenders.	
9.	Earnest money deposit (EMD)	₹

2. Eligibility Criteria for Issue of Tender Documents -

Tender documents will be issued only to those who satisfy the following eligibility criteria:

SI. No	Eligibility Criteria	Documentary proof for the eligibility (Self attested copies to be submitted)				
a.	Should have satisfactorily completed the works as mentioned below during the last Seven years. i. Three similar works each costing not less than 40% of the estimated cost (or) ii. Two similar works each costing not less than 60% of the estimated cost (or) iii. One similar work costing not less than 80% of the estimated cost.	completion certificates issued by the authority concerned to establish work experience.				
	Note:					
	i. Similar work shall mean works of					
	ii. The value of executed works shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of 7% per annum, calculated from the date of completion to last date of receipt of application for bids.					

b.	Applicable only for maintenance works -	Сору	of	PF	and	ESI	registration
	Should have PF and ESI registration	number					

- Issue of tender documents on the basis of the documentary eligibility alone will not make a tenderer eligible for participating in the bidding. The documents furnished by the tenderers will be subjected to verification subsequently by Department. If found not meeting the requirement, such offers will be rejected.
- 4. On request in writing, with requisite fee in the form of Demand Draft and eligibility documents specified above, tender documents along with all required documents can be obtained from Office of the Group Head/ Head, Construction and Maintenance Group/ Division (full address with contact Nos)., on any working day during the period mentioned in Para 1 above, except on Saturdays, Sundays and Public holidays.
- 5. Tenders should be accompanied with Earnest Money Deposit for value specified in Para 1 above, in the form of Deposit at Call receipt/ Term Deposit Receipt of any Scheduled Bank issued in favour of(or) in the form of Bank guarantee issued by a scheduled bank. Earnest Money Deposit shall be valid for 180 days from the due date of receipt of tenders.
- 6. Tenders should be submitted in three sealed cloth lined covers as below,
 - Cover i. Containing Earnest money Deposit -This cover shall be super-scribed with 'Earnest money Deposit' and also the name of the work, NIT number and name of tenderer. Tenders without requisite EMD with full validity as specified in Para (5) above will be summarily rejected.
 - Cover ii. Containing Techno-Commercial bid -This cover shall be super-scribed with 'Technical & Commercial Bid' and also the name of the work, NIT number and name of tenderer. This cover shall contain the full set of tender documents issued to the tenderer, (except the price bid which should be in cover iii), duly filled in and signed. In case the tenderer intends any observation / comments / remarks on Departmental conditions and specifications, the same shall be brought out in the technical & commercial bid. Or else a confirmation that the tenderer agrees to the terms and conditions and specifications of the tender 'in toto' shall be enclosed.
 - Cover iii. Containing price bid This cover shall be super-scribed with 'Price Bid' and also the name of the work, NIT number and name of tenderer. The tenderers shall quote rates in figure as well as in words and amounts tendered by them. The amount for each item shall be worked out and requisite amount given. All corrections shall be attested by the dated initials of the tenderer. The rates shall be filled only on the price bid format furnished along with the tender document. Any conditions in the price bid will make the price bid invalid and liable for rejection.

DOS/ ISRO PART-I: TENDER STAGE E-4

All the three covers mentioned above shall be put in another sealed cloth lined cover super-scribing the name of work, NIT number and Name of Tenderer. Tenders submitted in any other manner will be rejected.

- 7. Tender documents will be issued only on hard copy form. Price shall be quoted only on the price schedule / bill of quantities forming part of the original set of tender documents issued by Department and returned in original in cover (iii) specified in Para 6 above.
- 8. Tenderers shall sign all the pages of Technical & Commercial bid and Price bid without fail. The original full set of tender document, duly filled in at required pages, along with drawings should be returned along with the tender.
- 9. Tenders will be received and opened at the Office of the Group Head/ Head, Construction and Maintenance Group/ Division on the stipulated date and time specified in Para 1 above. Delayed and late tenders will be summarily rejected. Tenders will be opened in the presence of attending tenderers or their authorized representatives.
- 10. On the due date of opening, the Cover (i) will be opened initially. Subsequently, on the same day Cover (ii) of those tenderers who furnished valid EMD only will be opened. On opening of Cover ii, Technical & commercial bid, further detailed scrutiny / evaluation will be carried out. During the evaluation of techno-commercial bids, the documents furnished by the tenderers will be scrutinized in detail. Any tender, found as not fulfilling the eligibility criteria will be rejected at this stage and such offers will not be considered for further processing. The price bid of only those tenderers who have been qualified during the scrutiny and technical evaluation will be opened separately on a specified date (with due intimation to the qualified bidders) and further processed, as per tender procedure/ stipulations.
- 11. Earnest money of the successful contractor will be converted into Performance guarantee. On completion of the work, the same will be converted as security deposit. In cases of exemption for payment of Earnest money, separate performance guarantee at 2% of the estimated cost put to tender to be submitted immediately on receipt of letter of acceptance/ work order.
- 12. Intending tenderers may inspect the site before submitting the tenders, with the prior permission of Group Head, CMG/ Head CMD/ Engineer-SG / Engineer-SF/ Engineer-SD
- 13. The tender accepting authority on behalf of President of India is not bound to accept the lowest or any other tender and reserves the authority to reject any or all the tenders received without assigning any reason. All tenders in which any of the prescribed condition is not fulfilled or any condition including that of conditional rebate is put forth by the tenderer shall be summarily rejected.

- 14. The tender accepting authority on behalf of President of India also reserves the right to alter the scope/ or reduce quantum of work before issue of work order and the tenderer shall not have any claim what so ever on this account.
- 15. The tender accepting authority on behalf of President of India reserves the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rate quoted.
- 16. Canvassing directly or indirectly, in connection with tender is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be liable for rejection.
- 17. The tender accepting authority reserves the option to give preferences to the offers in accordance with the policies of the Government from time to time.
- 18. The contractor shall not be permitted to tender for works in the Division of that particular Centre of the Department responsible for award and execution of contracts for which his/her near relative is working. He/she shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazetted Officer in the Department of Space. Any breach of this condition by the contractor would render him liable for rejection of tender or cancellation of contract.
- 19. The tender should be valid for minimum period of 120 days from the due date of receipt of the tender specified in Para 1 above. If any tenderer withdraws the offer within the validity period or makes any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the Department, the Government shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 50% (Fifty Percent) of the Earnest Money Deposit absolutely. Further, the tenderer shall not be allowed to participate in the re-tendering process of the work.
- 20. On concluding the tender, an agreement shall be drawn with the successful tenderer.

Group Head, CMG/ Head CMD	Group	Head,	CMG/	Head	CMD	
---------------------------	-------	-------	------	------	------------	--

B. DECLARATIONS BY THE TENDERER/ CONTRACTOR

Item Rate Tender for Works

Memorandum

a) Tender Notice No. Date and Title of work

conditions so far as applicable.

,	•	
b)	Estimated cost	Rs
c)	Earnest Money	Rs
d)	Performance guarantee	Rs
e)	Security Deposit	Rs
f)	Time allowed for completion of the work from the 1 order Months/ Period of contract in ca	•

- 2. Should this tender be accepted in whole or in part, I/We hereby agree to abide by and fulfil all the terms and provisions of General conditions of contract (GCC) and General Guidelines to be read in conjunction with GCC, annexed here to and all the terms and provisions contained in NIT, which has been read by me/ us and explained to me/ us so far as applicable or in default there of to forfeit and pay to the President of India or the successors in Office the sums of money mentioned in the said conditions.
- 3. A sum of Rs...... is hereby forwarded by crossed D.D, Fixed deposit, Bank Guarantee by approved Scheduled bank, Call Receipt of a Scheduled Bank guaranteed by the Reserve Bank of India as Earnest Money. If I/ We fail to commence the work specified in the above Memorandum, I/ We agree that the said President or his successors in office shall, without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forfeit the said EMD absolutely.
- 4. In the event of accepting my/ our offer by Department, I/ We agree to revalidate the earnest money deposited as Performance Guarantee within 15 days from the date of issue of letter of intent/ work order. In case, if I/ We fail to revalidate the same within the period specified including the extended period if any, I/ We agree that the said President or his successors in office shall, without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forfeit the said EMD absolutely.
- 5. I/ We agree to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred therein and to carry out such deviation as may be ordered subject to the condition of clause 12 herein after referred to as the deviation limit at the rates quoted in the tendered documents and those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provision contained in clause 12 of the General conditions of Contract (GCC)
- 6. I/We hereby declare that I/ We shall treat the tender documents, drawings and other records connected with the work as secret/ confidential documents and shall not

of the country. I/ We declare that I/We possess a copy of the Specifications of Civil 7. Engineering works/ Specification for Electrical works/ Specification for Air conditioning works of Construction and Maintenance Group,______ Department of Space, Government of India,. I/We have signed the Master copy of the Specifications available in the office of the Group Head, CMG/ Head CMD, in token of noting the contents therein. I/We also declare that I/We have perused in detail and examined closely the specifications and I/We agree to be bound by and comply with all such specifications for this work. I/We declare that the work will be carried out as per the specification in tender document and as per the specifications said above. The items of work not covered in the specifications said above will be carried out as per the specifications in the relevant CPWD specifications, and if not covered in CPWD specifications the work will be carried out as in the relevant specifications of Bureau of Indian Standard. and if not covered in any of the above, the work will be carried out as directed in writing by the Engineer-in-charge. I/We declare that I/We..... are not associated, nor has been associated in the past, directly or indirectly with the consultant or any other entity that has prepared the design, specification and other documents for the project for which tenders are invited. I/We also declare that I/We are not associated, nor has been associated in the past, directly or indirectly with the consultant or any other entity who has been engaged by the Department to provide consulting services for the preparation of supervision of the works for which tenders are invited. I/We declare that the rates quoted by me/us are on the basis of the above. Dated theday of20....... Witness Address Signature of the tenderer/ Contractor Occupation The above tender for a sum of Rs.....) is hereby accepted by me on behalf of the President of India. Dated theday of20...... Signature of tenderer/ Contractor Signature of the Officer by whom accepted with legal address/ Witness before Submission of tender

communicate the same or use the information in any matter prejudicial to the safety

PART- II POST- TENDER STAGE

A. DEFINITIONS

1. CONTRACT:

The 'Contract' means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the President of India and the Contractor, together with the documents referred to therein including these conditions, the specifications, design, drawings and instructions issued from time to time by the Engineer-in-charge and all these documents taken together shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.

2. CONTRACTOR:

The 'Contractor' means the individual or firm or company, whether incorporated or not, undertaking the work and shall include the legal personal representatives of such individual or the persons composing such firm or the successors of such firm or company and the permitted assignee of such individual or firm or firms or company.

3. PRESIDENT:

The 'President' means the President of India and his successors.

4. GOVERNMENT:

'Government' or 'Government of India' means the President of India.

5. DEPARTMENT:

'Department' means Department of Space, Government of India.

6. ENGINEER-IN-CHARGE:

The 'Engineer-in-charge' means the Group Head, CMG/ Head CMD/ Engineer-SG/ Engineer-SF/ Engineer-SE/ Engineer-SD, as the case may be, or the appropriate competent authority declared by the Government who shall supervise and be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the President.

7. WORK (S):

The expression 'Works' or 'Work' shall unless there is something either in the subject or context repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent and whether original, altered, substituted or additional.

8. SITE:

The 'Site' means the land/or other places on, into or through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may be allotted or used for the purpose of carrying out the contract.

9. MARKET RATE:

'Market Rate' shall be the rate as decided by the Engineer-in-charge on the basis of the cost of materials and labour at the site including applicable taxes, duties and also the transportation charge to where the work is to be executed plus the percentage mentioned in schedule `F' to cover all overheads and profits.

10. SCHEDULE (S):

'Schedule(s)' referred to in these conditions shall mean the relevant schedule (s) annexed to the tender papers.

11. SCHEDULE OF RATES (SOR):

'Schedule of Rates' of the Department mentioned in the schedule `F' here under, with the amendments thereto issued upto the date of receipt of tender.

12. TENDERED VALUE:

'Tendered Value' means the value of the entire work as stipulated in the letter of award or work order.

B. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC)

INDEX

Clause No.	Description	Page. No
Clause 1	Performance Guarantee	E-18
Clause 1A	Security Deposit	E-18
Clause 2A	Compensation for Delay	E-18
Clause 2B	Deleted	
Clause 3	Determination of Contract	E-18
Clause 3A	Closing of contract by either party	E-20
Clause 4	Contractor liable to pay compensation even if action is not taken under clause 3.	E-20
Clause 5	Time & Extension for Delay	E-21
Clause 6	Measurement of work done	E-22
Clause 6A	Computerized Measurement Book	E-23
Clause 7	Payment	E-25
Clause 8	Completion certificate	E-26
Clause 8A	Contractor to keep site clean.	E-26
Clause 8B	Deleted	
Clause 9	Payment of final bill	E-27
Clause 9A	Payment of contractor's bill to banks	E-27
Clause 10	Deleted	
Clause 10A	Materials to be provided by the Contractor	E-27
Clause 10B (i)	Deleted	
Clause 10B ii)	Deleted	
Clause 10C i)	Deleted	
Clause 10C ii)	Deleted	
Clause 10D	Dismantled materials belong to Government	E-28
Clause 10E	Deleted	
Clause 11	Works to be executed in accordance with specification, drawings, orders etc.,	E-29
Clause 11A	Action where no specification.	E-29
Clause 12	Deviations/ Variations, Extent and Pricing	E-29

Clause 13	Foreclosure of Contract due to abandonment or reduction in scope of work	E-31
Clause 14	Deleted	
Clause 15	Suspense of works	E-31
Clause 16	Action in case of work not done as per specification	E-31
Clause 16A	Notice to be given before covering up.	E-32
Clause 17A	Contractor liable for damages, defects during maintenance period.	E-33
Clause 17B	Deleted	
Clause 18	Contractors to supply tools and plants.	E-33
Clause 18A	Recovery of compensation paid to workmen	E-34
Clause 18B	Ensuring payment and amenities to workers if contractor fails.	E-34
Clause 19	Labour Laws/ Safety Provisions to be Complied by the Contractor	E-34
Clause 20	Minimum wages act	E-35
Clause 21	Work not to be sublet. Action in case of insolvency.	E-35
Clause 22	Compensation payable are without reference to actual loss or damages.	E-35
Clause 23	Change in firm's constitution to be intimated.	E-35
Clause 24	Deleted	
Clause 25	Settlement of Disputes and Arbitration.	E-36
Clause 25A	Settlement of dispute between CMG/ CMD & Central Govt.	E-37
Clause 26	Deleted	
Clause 27	Deleted	
Clause 28	Renumbered as Clause 11A	
Clause 29	Withholding and lien in respect of sums due from Contractor.	E-38
Clause 29A	Lien in respect of claims in other Contracts	E-39
Clause 30	Termination of Contract on death of contractor	E-39
Clause 31	Water Supply	E-39
Clause 32	Electricity	E-40
Clause 33	Deleted	
Clause 34	Deleted	
Clause 35	Deleted	

Clause 36	Employment of Graduate/ Diploma Engineers	E-41
Clause 37	Deleted	
Clause 38	Deleted	
Clause 38A	Deleted	
Clause 39	Relative working with Department	E-41
Clause 40	Restriction for employing retired Government Servant	E-41
Clause 41	Deleted	
Clause 42	Deleted	
Clause 43	Deleted	
Clause 44	Deleted	
Clause 45	Deleted	

CLAUSE 1

PERFORMANCE GUARANTEE (Only 2% of estimated cost put to tender)

Earnest money deposited by the successful tenderer will be converted into performance guarantee for his proper performance of the contract agreement, and shall be valid upto the stipulated date of completion. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. In cases of exemption for payment of Earnest money, separate performance guarantee at 2% of the estimated cost put to tender to be submitted immediately on receipt of letter of acceptance/ work order.

CLAUSE 1A

SECURITY DEPOSIT (Applicable only for Minor Works and it shall be only 2% of estimated cost put to tender)

On completion of the work, the performance guarantee already submitted will be converted into security deposit and shall be valid for the entire defect liability period mentioned in Clause 17A.

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract shall be deducted from this security deposit.

CLAUSE 2A COMPENSATION FOR DELAY

If the contractor fails to maintain the required progress in terms of clause 5 or to complete the work and clear the site on or before the contract or extended date of completion, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Government on account of such breach, pay as agreed compensation, the amount calculated as stipulated below for every completed day/ month (as applicable) that the progress remains below that specified in Clause 5 or that the work remains incomplete. This will also apply to items or group of items for which a separate period of completion has been specified.

Compensation delay of work	@ 1.5% per month of delay to be computed on per day basis, on
	value of the incomplete work.

Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this Condition shall not exceed 10% of the total tendered value of work or of the tendered value of the item or group of items of work for which a separate period of completion is originally given. The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the contractor under this or any other contract with the Government.

CLAUSE 2B MILESTONES

DELETED

CLAUSE 3 DETERMINATION OF CONTRACT

Subject to other provisions contained in this clause, the Engineer-in-charge may, without prejudice to his any other rights or remedy against the contractor in respect of any delay,

inferior workmanship, any claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases:

- i) If the contractor having been given by the Engineer-in-Charge a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in an inefficient or otherwise improper or unworkman like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a period of seven days thereafter.
- ii) If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of the work or has failed to proceed with the work with due diligence so that in the opinion of the Engineer-in-Charge (which shall be final and binding), he will be unable to secure completion of the work by the date for completion and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer-in-Charge.
- iii) If the contractor fails to complete the work within the stipulated date or items of work with individual date of completion, if any stipulated, on or before such date(s) of completion and does not complete them within the period specified in a notice given in writing in that behalf by the Engineer-in-Charge.
- iv) If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the contract and/ or commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer-in-Charge.
- v) If the contractor shall offer or give or agree to give to any person in Government service or to any other person on his behalf any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of this or any other contract for Government.
- vi) If the contractor shall enter into a contract with Government in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have been previously disclosed in writing to the Engineer-in-Charge.
- vii) If the contractor had secured the contract with Government as a result of wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering or commits breach of Contract or Integrity Agreement.
- viii) If the contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for the time, being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors.
- ix) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or

- the creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order.
- x) If the contractor shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 21 days.
- xi) If the contractor assigns, transfers, sublets (engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or otherwise parts with or attempts to assign, transfer, sublet or otherwise parts with the entire works or any portion thereof without prior written approval of the Engineer-in-charge.

When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Engineer-in-charge on behalf of the President of India shall have powers:

- a) To determine the contract as aforesaid (of which termination notice in writing to the contractor under the hand of the Engineer-in-charge shall be conclusive evidence). Upon such determination, Performance Guarantee under the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the Government.
- b) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such whole, or the balance or part thereof, as shall be un-executed out of his hands and to give it to another contractor to complete the work. The contractor, whose contract is determined as above, shall not be allowed to participate in the tendering process for the balance work.

In the event of above courses being adopted by the Engineer-in-charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reasons of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under the contract unless and until the Engineer-in-charge has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

CLAUSE 3A CLOSING OF CONTRACT BY EITHER PARTY

In case the work cannot be started due to reasons not within the control of the contractor within 1/8th of the stipulated time for completion of work or one month whichever is higher, either party may close the contract. In case contractor wants to close the contract, he shall give notice to the department stating the failure on the part of department. In such eventuality, the Performance Guarantee of the contractor shall be refunded without any interest. The contractor will not be eligible for any compensation for any damages what so ever caused due to closing of contract.

CLAUSE 4 CONTRACTORS REMAIN LIABLE TO PAY COMPENSATION, EVEN IF ACTION NOT TAKEN UNDER CLAUSE 3

In any case in which any of the power conferred upon the Engineer-in-charge by clause-3 thereof shall have become exercisable and the same shall not be exercised, the non-exercise hereof shall not construe a waiver of any of the conditions hereof and such

powers shall not be withstanding exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the Contractor for compensation shall remain unaffected (for which by any clause or clause hereof, he is declared liable to pay compensation amounting to the extent of his security deposit and the liability of the Contractor for past and future compensations shall remain unaffected). In the event of the Engineer-in-charge putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clauses he may. if he so desires after giving a notice in writing to the Contractor, take possession of (or at the sole discretion of Engineer-in-charge which shall be final) use as on hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer-in-charge) all or any tools, plant, materials and stores in or upon the words or the site then of belongings to the Contractor or procured by the Contractor and intended to be used for the execution of the work or any part thereof paying or allowing for the same in account at the contract rates, or in case of these not being applicable at current market rates to be certified by the Engineer-in-charge whose certificate thereof shall be final, otherwise the Engineer-incharge may by notice in writing to the Contractor or his clerk of the works, foreman or authorised agents requesting him/them to remove such tools, plant, materials or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) and in the event of the Contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer-in-charge may remove them at the Contractor's expenses or sell by auction or private sale on account of the Contractor and at his risk in all respects and the certificate of the Engineer-in-charge as to the expenses of any such removal and the amount of the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against the Contractor.

CLAUSE 5 TIME AND EXTENSION FOR DELAY

The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the Contract. The execution of the works shall commence from such time period as mentioned in schedule 'F' or from the date of handing over of the site whichever is later. If the Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid, Government shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the Performance Guarantee absolutely.

- As soon as possible after the Contract is concluded, the Contractor shall submit a Time and Progress Chart for each mile stone and get it approved by the Department. The Chart shall be prepared in direct relation to the time stated in the Contract documents for completion of items of the works. It shall indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various trades of sections of the work and may be amended as necessary by agreement between the Engineer-in-Charge and the Contractor within the limitations of time imposed in the Contract documents, and further to ensure good progress during the execution of the work,
- 5.2 If the work(s) be delayed by:
- i) force majeure, or
- ii) abnormally bad weather, or
- iii) serious loss or damage by fire, or

- iv) civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, affecting any of the trades employed on the work, or
- v) delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in-Charge in executing work not forming part of the Contract, or
- vi) non-availability of stores, which are the responsibility of Government to supply or
- vii) non-availability or break down of tools and Plant to be supplied or supplied by Government or
- viii) Any other cause which, in the absolute discretion of the Engineer-in-Charge is beyond the Contractor's control.
 - Then upon the happening of any such event causing delay, the contractor shall immediately give notice thereof in writing to the authority as indicated in schedule 'F' but shall nevertheless use constantly his best endeavors to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-charge to proceed with the works.
- 5.3 Request for extension of time, to be eligible for consideration, shall be made by the Contractor in writing within fourteen days of the happening of the event causing delay on the prescribed form Engineer-in-charge. The Contractor may also, if practicable, indicate in such a request the period for which extension is desired.
- 5.4 In any such case, Engineer-in-charge may give a fair and reasonable extension of time for completion of work. Such extension shall be communicated to the Contractor by Engineer-in-charge in writing. Non application by the contractor for extension of time shall not be a bar for giving a fair and reasonable extension by Engineer-incharge and this shall be binding on the contractor.

CLAUSE 6 MEASUREMENT OF WORKDONE

Engineer-in-charge shall, except as other wise provided, ascertain and determine by measurement, the value in accordance with the contract of work done. All measurement of all items having financial value shall be entered in Measurement Book and / or level field book so that a complete record is obtained of all works performed under the contract.

All measurements and levels shall be taken jointly by the Engineer-in-charge or his authorized representative and by the contractor or his authorized representative from time to time during the progress of the work and such measurements shall be signed and dated by the Engineer-in-charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance. If the contractor objects to any of the measurements recorded, a note shall be made to that effect with reason and signed by both the parties.

If for any reason the contractor or his authorized representative is not available and the work of recording measurements is suspended by the Engineer-in-charge or his representative, the Engineer-in-charge and the Department shall not entertain any claim from contractor for any loss or damages on this account. If the contractor or his authorized representative does not remain present at the time of such measurements after the contractor or his authorized representative has been given a notice in writing three (3) days in advance or fails to countersign or to record objection within a week from the date of the

measurement, then such measurements recorded in his absence by the Engineer-incharge or his representative shall be deemed to be accepted by the contractor.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for measurements and recording levels.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provisions in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available, then a mutually agreed method shall be followed.

The contractor shall give, not less than seven days notice to the Engineer-in-Charge or his authorized representative in-charge of the work, before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-charge or his authorized representative in-charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurements without such notice having been given or the Engineer-in-charge's consent being obtained in writing, the same shall be uncovered at the Contractor's expense or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-charge or his authorized representative may cause either themselves or through another officer of the Department to check the measurements recorded jointly or otherwise as aforesaid and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that recording of measurements of any item of work in the measurement book and /or its payment in the interim, on account or final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

CLAUSE 6A COMPUTERIZED MEASUREMENT BOOK

Engineer-in-charge shall, except as other wise provided, ascertain and determine by measurement the value of work done in accordance with the contract.

All measurements of all items having financial value shall be entered by the contractor and compiled in the shape of the Computerized Measurement Book having pages of A04 size as per the format of the Department so that a complete record is obtained of all the items of works performed under the contract.

All such measurements and levels recorded by the contractor or his authorised representative from time to time, during the progress of the work shall be got checked by the contractor from the Engineer-in-charge or his authorized representative as per interval or programme fixed in consultation with Engineer-in-charge or his authorized representative. After the necessary corrections made by the Engineer-in-charge, the

measurement sheets shall be returned to the contractor for incorporating the corrections and for resubmission to the Engineer-in-charge for the dated signature by the Engineer-in-charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance.

Whenever bill is due for payment, the contractor would initially submit draft computerized measurement sheets and these measurements would be got checked/ test checked from the Engineer-in-charge and /or his authorized representative. The contractor will, thereafter, incorporate such changes as may be done during these checks/test checks in his draft computerized measurements, and submit to the Department a computerized measurement book, duly bound, and with its pages machine numbered. The Engineer-in-charge and/or his authorized representative would thereafter check this MB, and record the necessary certificates for their checks/test checks.

The final, fair, computerized measurement book given by the contractor, duly bound, with its pages machine numbered, should be 100% correct, and no cutting or over writing in the measurements would thereafter be allowed. If at all any error is noticed, the contractor shall have to submit a fresh computerized MB with its pages duly machine numbered and bound after getting the earlier MB cancelled by the Department. Thereafter, the MB shall be taken in the Divisional Office records, and allotted a number as per the Register of Computerized MBs. This should be done before the corresponding bill is submitted to the Division Office for payment. The contractor shall submit two spare copies of such computerized MBs for the purpose of reference and record by the various officers of the Department.

The contractor shall also submit to the Department separately his computerized Abstract of Cost and bill based on these measurements, duly bound, and its pages machine numbered along with two spare copies of the `bill'. Thereafter, this bill will be processed by Division Office and allotted a number as per the computerized record in the same way as done for the measurement book meant for measurements.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for checking of measurements/levels by the Engineer-incharge or his representative.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurement shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available, then a mutually agreed method shall be followed.

The contractor shall give not less than seven days notice to the Engineer-in-charge or his authorized representative in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of checking and /or test checking the measurement of any work in order that the same may be checked and /or test checked and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of checking and /or test checking measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-charge or his authorized representative in-charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurements without such notice having been given or the

Engineer-in-charge's consent being obtained in writing the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-charge or his authorized representative may cause either themselves or through another officer of the Department to check the measurements recorded by contractor and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that checking and/or test checking the measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account of final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

CLAUSE 7 PAYMENT

Payments will be made through monthly running account bills based on the works executed on the basis of recorded measurements. The running account bills shall be submitted by the contractor for the works executed on the basis of recorded measurements on the format of the Department in triplicate on or before the date of every month fixed by Engineer-In-Charge.

Engineer-In-Charge shall arrange to have the bills verified by taking or causing to be taken wherever required the requisite measurement of the work. Payments on account of the amounts admissible shall be made by the Engineer-In-Charge certifying the sum to which contractor is considered entitled by way of running account bill at such rates decided by the Engineer-In-Charge.

The amount admissible shall be paid by tenth working day after the day of presentation of the bill by the contractor, together with all details. In the event of failure of the contractor to submit the bill, Engineer-In-Charge shall prepare or cause to be prepared such bill in which event no claim or what so ever on delay in payments shall be entertained.

All payments made against running accounts will be treated as intermediate advances which will finally be adjusted in the final bill, prepared on completion of the work and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work to be rejected, removed, taken away and reconstructed or re-erected. Any certificate given by the Engineer-in-Charge relating to the work done or materials delivered forming part of such payment, may be modified or corrected by any subsequent such certificate(s) or by the final certificate and shall not by itself be conclusive evidence that any work or materials to which it relates is/are in accordance with the contract and specifications. Any such interim payment, or any part thereof shall not in any respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer-in-Charge under the contract or any of such payments be treated as final settlement and adjustment of accounts or in any way vary or affect the contract.

Pending consideration of extension of date of completion, interim payments shall continue to be made as herein provided without prejudice to the right of the department to take action under the terms of this contract for delay in the completion of work, if the extension of date of completion is not granted by the competent authority.

Engineer-in-Charge in his sole discretion to the effect that the work has been completed up to the level in question make interim advance payments without detailed measurements for work done (other than foundations, items to be covered under finishing items) up to lintel level (including sunshade etc.) and slab level, for each floor working out at 75% of the assessed value. The advance payments so allowed shall be adjusted in the subsequent interim bill by taking detailed measurements thereof.

CLAUSE 8 COMPLETION CERTIFICATE

Within ten days of the completion of work, the Contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-charge and within ten days of receipt of such notice the Engineer-in-charge shall inspect the work and if there is no defect in the work, shall furnish the Contractor with a certificate of completion, otherwise a provisional certificate of completion indicating the defects (a) to be rectified by the Contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates shall be issued but no such certificate of completion provisional or otherwise shall be issued nor shall the work be considered to be complete until the Contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding surplus material and rubbish and all huts and sanitary arrangements required for this or their work people on the site in connection with execution of works shall have been erected or constructed by the Contractor and cleaned off the dirt from all the wood works, doors, windows, walls, floors or which other parts of any building in upon or about the work is to be executed or any of which he may had possession for the purpose of execution thereof and not until the work shall have been measured by the Engineer-in-charge. If the Contractor shall fail to comply with requirements of this clause as to removal of scaffoldings, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning of dirt on or before the date fixed for the completion of the work, the Engineer-in-charge may, at the expense of the Contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc., and dispose off the same as he thinks fit clean of such dirt as aforesaid, and the Contractor shall forthwith pay the amount of all expense so incurred and shall have no claim in respect of any such scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof.

CLAUSE 8A CONTRACTOR TO KEEP SITE CLEAN

When the annual repair and maintenance work is carried out, the splashes and droppings from whitewashing, color washing, painting etc., on walls, floors, doors, windows etc., shall be removed and the surface cleared simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc., where the work is done without waiting for the actual completion of all the other items or work in the contract. In case the Contractor fails to comply with requirement of this clause, the Engineer-in-charge shall have the right to get this work done at the cost of the Contractor either Departmentally or through another agency. Before taking such action, the Engineer-in-charge shall give ten days notice in writing to the Contractor.

CLAUSE 8B
COMPLETION PLAN
DELETED

CLAUSE 9 PAYMENT OF FINAL BILL

The final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as specified in interim bills within one month of physical completion of the work. No further claims shall be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payments of those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and rates as approved by Engineer-in-Charge, will, as far as possible-be made within one month period being reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in- Charge or his authorised persons, complete with account of materials issued by the Department and dismantled materials.

CLAUSE 9A PAYMENT OF CONTRACTOR'S BILL TO BANKS

Payments due to the Contractor may, if so desired by him, be made to his bank instead of direct to him provided that Contractor furnishes to the Engineer-in-charge;

- 1) an authorization in the form of legally valid documents such as a power of attorney conferring authority on the bank to receive payment and
- 2) his own acceptance of the correctness of the account made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other claims preferred against Government before settlement by the Engineer-in-charge of the account or claim by payment to the Bank. While the receipt given by such bank shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the Contractor should whenever possible present his bills duly receipted and discharged through his bankers.

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank any rights or equities vis-à-vis the President of India.

CLAUSE 10 MATERIALS SUPPLIED BY THE DEPARTMENT DELETED

CLAUSE 10A MATERIALS TO BE PROVIDED BY THE CONTRACTOR

The contractor shall, at his own expense, provide all materials, required for the work other than those which are stipulated to be supplied by the Government.

The contractor shall, at his own expense and without delay, supply to the Engineer-in-charge samples of materials to be used on the work and shall get these approved in advance. All such materials to be provided by the Contractor shall be in conformity with the specifications laid down or referred to in the contract. The contractor shall, if requested by the Engineer-in-charge furnish proof, to the satisfaction of the Engineer-in-charge that the materials so comply. The Engineer-in-charge shall within seven days of supply of samples or within such further period as he may require intimate to the Contractor in writing whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-charge for his approval, fresh samples complying with the specifications laid down in the contract. When materials are required to be tested in accordance with specifications, approval of the Engineer-in-charge shall be issued after the test results are received.

The Contractor shall at his risk and cost submit the samples of materials to be tested or analysed and shall not make use of or incorporate in the work any materials represented by the samples until the required tests or analysis have been made and materials finally accepted by the Engineer-in-charge. The Contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising out of any delay in the work or due to any corrective measures required to be taken on account of and as a result of testing of materials.

The contractor shall, at his risk and cost, make all arrangements and shall provide all facilities that the Engineer-in-charge may require for collecting, and preparing the required number of samples of such tests at such time and to such place or places as may be directed by the Engineer-in-charge and bear all charges and cost of testing unless specifically provided for otherwise elsewhere in the contract or specifications. The Engineer-in-charge or his authorized representative shall at all times have access to the works and to all workshops and places where work is being prepared or from where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility and every assistance in obtaining the right to such access.

The Engineer-in-charge shall have full powers to require the removal from the premises all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default, the Engineer-in-charge shall be at liberty to employ at the expense of the contractor, other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Engineer-in-charge shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default, the Engineer-in-charge may cause the same to be supplied and all costs which may attend such removal and substitution shall be borne by the Contractor.

CLAUSE 10B (i) SECURED ADVANCE

DELETED

CLAUSE 10B (ii)
MOBILIZATION ADVANCE, INTEREST & RECOVERY
DELETED

CLAUSE 10C (i)

REIMBURSEMENT OF ESCALATION CAUSED AS A DIRECT RESULT OF COMING INTO FORCE ANY FRESH LAW OR STATUTORY RULE OR ORDER DELETED

CLAUSE 10C (ii)

PAYMENT DUE TO INCREASE/ DECREASE IN PRICES/ WAGES AFTER RECEIPT OF TENDER FOR WORKS

DELETED

CLAUSE 10D
DISMANTLED MATERIALS ARE GOVERNMENT PROPERTY

The Contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work etc., as Government's property and such materials shall

be disposed off to the best advantage of Government according to instructions in writing issued by the Engineer-in-charge.

CLAUSE 10E - DELETED

CLAUSE 11

WORK TO BE EXECUTED IN ACCORDANCE WITH SPECIFICATIONS, DRAWINGS, ORDERS, ETC.,

The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the design, drawings and instructions in writing in respect of the work signed by the Engineer-in-Charge and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the contract documents together with specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the standard specifications of Construction and Maintenance Group / Division/ CED/ Department of Space or in Central Public Works Department or in any Bureau of Indian Standard or any other, published standard or code or, Schedule of Rates or any other printed publication referred to elsewhere in the contract.

The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care and diligence execute and maintain the works and provide all labour and materials, tools and plants including for measurements and supervision of all works, structural plans and other things of temporary or permanent nature required for such execution and maintenance in so far as the necessity for providing these, is specified or is reasonably inferred from the contract. The Contractor shall take full responsibility for adequacy, suitability and safety of all the works and methods of construction.

CLAUSE 11A ACTION WHERE NO SPECIFICATION

In the case of any class of work for which there is no CED/CMG/CMD specifications such work shall be carried out generally in accordance with CPWD specification and if there is no details of CPWD specification book then it shall be executed as per Bureau of Indian Standard specification. In case there is no such specification in Bureau of Indian Standards the work shall be carried out in all respects in accordance with the instruction and requirement of the Engineer-in-charge.

CLAUSE 12 DEVIATIONS/ VARIATIONS EXTENT AND PRICING

The Engineer-in-charge shall have power (i) to make alteration in, omissions from, additions to, or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions that may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the work(s) in case of non-availability of a portion of the site or for any other reasons and the contractor shall be bound to carry out the works in accordance with any instructions given to him in writing signed by the Engineer-in-charge and such alterations, omissions, additions or substitutions shall form part of the contract as if originally provided therein and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the works, shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects including price on which he agreed to do the main work except as hereafter provided:

- 12.1: The time for completion of the works shall, in the event of any deviations resulting in additional cost over the tendered value sum being ordered, be extended, if requested by the contractor, as follows:
- i) In the proportion which the additional cost of the altered, additional or substituted work, bears to the original tendered value plus.
- ii) 25% of the time calculated in (i) above or such further additional time as may be considered reasonable by the Engineer-in-charge.

12.2: Extra items and pricing

For Maintenance and minor works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration:

In the case of Extra item(s) being the schedule items (SOR as mentioned in schedule 'F'), these shall be paid as per the schedule rate plus/ minus percentage above/ below quoted contract amount. Payment of Extra items in case of non- schedule items (Non-SOR items) shall be made as per the prevailing market rate.

12.3: Substituted item, pricing

For Maintenance and minor works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration:

In the case of Substituted item(s) being the schedule items (SOR as mentioned in Schedule 'F'), these shall be paid as per the schedule rate plus, plus/minus percentage above/ below quoted contract amount. Payment of Substituted items in case of non-schedule items (Non – SOR as mentioned in Schedule 'F') shall be made as per the prevailing market rate.

12.4: Deviated quantities, pricing

For Maintenance and minor works including works of up gradation, aesthetic, special repair, addition/alteration:

In the case of contract items, which exceed the deviation limits as specified in Schedule 'F', the contractor shall be paid with rates specified in the schedule of quantities.

12.5:

DOS/ISRO

For Maintenance and minor works including works of up gradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration:

In case of decrease in the rates prevailing in the market of items for the work in excess of the limits laid down in Schedule F, the Engineer-in-Charge shall after giving notice to the contractor within one month of occurrence of the excess and after taking into consideration any reply received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise the rates for the work in question within one month of the expiry of the said period of fifteen days having regard to the market rates

For the purpose of operation of deviation limit, the following works shall be treated as works relating to foundation unless & otherwise defined in the contract:

i) For Buildings: All works upto 1.2 metres above ground level or upto floor 1 level whichever is lower.

- ii) For abutments, piers and well steining: All works up to 1.2 m above the bed level.
- iii) For retaining walls, wing walls, compound walls, chimneys, over head reservoirs/tanks and other elevated structures: All works upto 1.2 metres above the ground level.
- iv) For reservoirs/ tanks (other than overhead reservoirs/ tanks): All works upto 1.2 metres above the ground level.
- v) For basement: All works upto 1.2 m above ground level or up to floor 1 level whichever is lower.
- vi) For Roads, all items of excavation and filling including treatment of sub base.

12.6:

Any operation incidental for proper execution of the item included in the Schedule of quantities or in the Schedule of rates mentioned above, whether or not, specifically indicated in the description of the item and the relevant specifications, shall be deemed to be included in the rates quoted by the tenderer or the rate given in the said schedule of rates as the case may be. Nothing extra shall be admissible for such operations.

CLAUSE 13 FORE CLOSURE OF CONTRACT DUE TO ABANDONMENT OR REDUCTION IN SCOPE OF WORK

If at any time after acceptance of the tender, Engineer-in-Charge shall decide to abandon or reduce the scope of the works for any reason whatsoever and hence not require the whole or any part of the works to be carried out, the Engineer-in-Charge shall give notice in writing to that effect to the contractor and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the works in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure of the whole or part of the works.

CLAUSE 14
RISK AND COST
DELETED

CLAUSE 15 SUSPENSION OF WORK

The Contractor shall suspend the execution of work or any part or parts thereof, wherever called upon in writing by the Engineer-in-charge to do so and shall not resume work thereon until so directed in writing by him. The Contractor will be allowed an extension of time for completion not less than the period of suspension but no other claims in this respect for compensation or otherwise, however will be admissible.

CLAUSE 16 ACTION IN CASE WORK NOT DONE AS PER SPECIFICATIONS

All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, shall at all times be open and accessible to the inspection and supervision of the Engineer-incharge, his authorized subordinates in charge of the work and all the superior officers, officer of the Quality Assurance unit of the Department or any organization engaged by the

Department for Quality Assurance and of the Chief Technical Examiner's office and the contractor shall, at all times, during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers has been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instructions or have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself.

If it shall appear to the Engineer-in-charge or his authorized subordinate in-charge of the work or to the Authority in charge of Quality Assurance or his subordinate officers or the officers of the organization engaged by the Department for Quality Assurance or to the Chief Technical Examiner or his subordinate officers that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing which shall be made within twelve months (six months in the case of work costing Rs.10 lakhs and below except road work) of the completion of the work from the Engineer-incharge specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charge and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by the Engineer-in-charge in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the same rate as under clause 2 of the contract (for non-completion of the work in time) for this default.

In such case the Engineer-in-charge may not accept the item of work at the rate applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the authority specified in Schedule `F' may consider reasonable during the preparation, of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright without any payment and/or get it and other connected and incidental items rectified, or removed and re-executed at the risk and cost of the contractor. Decision of the Engineer-in-charge to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the contractor.

CLAUSE 16A NOTICE TO BE GIVEN BEFORE COVERING UP

The Contractor shall give not less than seven days notice in writing to the Engineer-in-charge or his authorized subordinate in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and placed beyond the reach of measurement any work without the consent in writing of the Engineer-in-charge or his authorized subordinate in charge of the work shall within the aforesaid period of seven days inspect the work and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurement without such notice having been given or the Engineer-in-charge's consent be obtained the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

CLAUSE 17A CONTRACTOR LIABLE FOR DAMAGES, DEFECTS DURING MAINTENANCE PERIOD

If the Contractor or his working people shall break, deface, injure or destroy any part of a building in which they may be working or any buildings, road, kerbs, fence, enclosure, water pipes, cables, drains, electric and telephone posts or wire, trees, grass or grass land or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part of it is being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress from any cause whatever or if any defects shrinkage or other faults appear in the work within twelve months (6 months in the case of any work other than road work costing Rs,10,00,000/- and below) after a certificate of final or otherwise of its completion shall have been given by the Engineer-in-charge (EIC) as aforesaid arising out of defective or improper materials or workmanship, the Contractor shall after receipt of notice in writing in that behalf make the same good at his own expense, or in default the EIC may cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense (of which the certificate of the EIC shall be final) from any sums that may then, or at any time thereafter become due to the Contractor, or from his Security Deposit (SD) or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portion thereof the SD of the Contractor shall not be refunded before the expiry of twelve calendar months after the issue of the certificate of final or otherwise of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later.

EIC shall give notice to the contractor of any defects before the end of the Defect Liability Period, which begins on the date of completion. Defect Liability Period shall stand automatically extended for as long as defects remain to be rectified. Every time notice of defect is given, contractor shall correct the notified defects within the period specified by EIC.

However, for contract exclusively for earth work or jungle clearance where defect liability period is not relevant, SD if any paid may be refunded along with final bill.

Further in case where the contract provides for completion in phases, the Engineer-incharge at his discretion may allow part refund of SD after expiry of 12 months (6 months in case of any works other than road work costing Rs.10,00,000 and below) from the date of completion for each phase but not before the payment of final bill for the entire contract.

In case of maintenance and operation works, SD deducted from contractors shall be refunded within one month from the date of final payment or within one month from the date of completion of maintenance contract whichever is earlier.

CLAUSE 17B

SPECIAL CONDITION ON TAKING INSURANCE POLICY FOR THE WHOLE WORK ORDER VALUE BY THE CONTRACTORS'

DELETED

CLAUSE 18

CONTRACTOR TO SUPPLY TOOLS AND PLANTS ETC.,

The Contractor shall supply and provide at his own cost all materials (except such special materials, if any as may in accordance with the contract be supplied from the Engineer-incharge's stores) plant, tools, appliances, implements, ladders, cartage, tackle, scaffolding and temporary works requisite for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether included in the specification or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not or which may be necessary for

the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Engineer-in-charge as to any matters as to which under these conditions he is entitled to be satisfied or which he is entitled to require together with carriage thereof to and from the work.

The Contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials necessary for the purpose of setting out works and counting, weighing and assisting in the measurement or examination at any time and from time to time of the work or materials failing his so doing the same may be provided by the Engineer-in-charge at the expenses of the Contractor and the expense may be deducted from any money due to the Contractor under the contract or the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof.

CLAUSE 18A RECOVERY OF COMPENSATION PAID TO WORKMEN

In every case which by virtue of the provisions of section 12 sub-section (i) of the workman's compensation act, 1923, Government is obliged to pay compensation to workmen employed by the Contractor in execution of the work, Government will recover from the Contractor the amount of the compensation so paid and without prejudice to the rights of Government under section-12 sub-section (2) of the said act, Government shall be at liberty to recover such amounts or any part thereof by deducting it from the security Deposit or from any sum due by the Government to the contract whether under this contract or otherwise, Government shall not be bound to contest any claim made against it under section 12, sub-section (1) of the said act except on the written request of the Contractor and upon his giving to Government full security for all costs for which Government might become liable in Consequence of contesting such claim.

CLAUSE 18B ENSURING PAYMENT AND AMENITIES TO WORKERS IF CONTRACTOR FAILS

In every case in which by virtue of the provisions of the contract Labour (Regulation and Abolition Act 1970) and of the Contract Labour Regulation and Abolition Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts of wages to workman employed by the Contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the above said act and the rules under clause 19 or under the rules framed by Government from to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by Government Contractor, Government will recover from the Contractor the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred and without prejudice to the right of the Government under section 20 subsection (2) and section 21 sub-section (4) of the Contract Labour (R&A) act 1970 Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from any sum due by the Government to the contractor whether under this agreement or otherwise Government shall not be bound to contest any claim made against it under section 20 sub-section (1) and section 21 sub section (4) of the said Act except on the written request of the Contractor and upon his giving to the Government full security for all costs for which Government might become liable in contesting such claim.

CLAUSE 19 LABOUR LAWS/ SAFETY PROVISIONS TO BE COMPLIED BY THE CONTRACTOR

Contractor shall follow all laws, regulations and acts of Central/ State Government and other statutory bodies relating to engaging labourers in work, wages and all related

provisions and indemnify Government against payment to be made under and for the observance of the said labour laws.

Engineer-in-Charge concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor, any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non-fulfillment of any of the conditions of the contract for the benefit of the workers, non-payment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.

Further, contractor at his own expense shall arrange and comply with the safety provisions as per ISRO safety manual (Schedule-'H') and health & sanitary arrangements for the workers as per the extent rules.

CLAUSE 20 MINIMUM WAGES ACT

Contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act 1948, Contract Labour (Regulation and Abolition) act, 1970 and rules framed thereunder and other labour laws affecting Contract Labour that may be brought into force from time to time.

CLAUSE 21 WORK NOT TO BE SUBLET - ACTION IN CASE OF INSOLVANCY

The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Engineer-in-charge and if the Contractor shall assign or sublet this contract or attempt to do so or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so or if any bribe gratuity, gift, loan, perquisite reward or advantage, pecuniary or otherwise shall either directly or indirectly be given, promised or offered by the Contractor or any of his employees or agents to any public officer or person in the employ of the Government in any way relating to his Officer or Employment, or if any such officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Engineer-in-charge may thereupon on behalf of the President of India shall have power to adopt any of the course specified in Clause 3 as he may best deem suited in the interest of Government, in the event of any of those courses being adopted the consequences specified in the said clause 3 shall ensure.

CLAUSE 22

COMPENSATION PAYABLE ARE WITHOUT REFERNCE TO ACTUAL LOSS OR DAMAGES

All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of Government without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

CLAUSE 23

CHANGE IN FIRM'S CONSTITUTION TO BE INTIMATED.

Where the Contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Engineer-in-charge shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the Contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern such approval as aforesaid shall like wise be obtained before the Contractor enters into any partnership agreement where under the partnership firm would have the right to carryout

the work hereby undertaken by the Contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contractor shall be deemed to have been assigned in contravention of clause 21 hereof and the same action may be taken and the same consequences shall ensure as provided in the said clause 21.

CLAUSE 24 - DELETED

CLAUSE 25

SETTLEMENT OF DISPUTES AND ARBITRATION

- a) If any dispute or differences of any kind whatsoever were to arise between the Engineer-in-charge, CMD and the Contractor regarding the following matters namely.
 - i) The meaning of the specifications, designs, drawings and instructions herein before mentioned.
 - ii) The quality of workmanship or materials used on the work and
 - iii) Any other question, claim, right, matters, thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions or orders, or those conditions or failure to execute the same whether arising during the progress of the work after the completion, termination or abandonment thereof, the dispute shall, in the first place be referred to the Group Head, CMG/ Head CMD who has Jurisdiction over the work specified in the contract with the details of claims, justification for the same with supporting documents such as analysis of rates, cash vouchers and other relevant particulars. The Group Head, CMG/ Head CMD shall within a period of sixty days from the date of being requested by the Contractor to do so or from the date of furnishing of required particulars whichever is later shall give written notice of his decision to the contractor.

If the Group Head, CMG/ Head CMD fails to give notice of his decision within a period of 60 days from the date of receipt of (i) the Contractor's request in writing for settlement of dispute or difference as aforesaid or (ii) relevant particulars from the Contractor in support of his claims whichever is later. (OR)

If the decision of the Group Head, CMG/ Head CMD is not acceptable to the Contractor, he may approach the Director of the Centre/ Unit within a period of 15 days from the date of expiry of 60 days specified above. The Director of the Centre/ Unit shall within a period of further 90 days from the date of receipt of request from the contractor or from the date of receipt of relevant particulars from the contractor in support of claims whichever is later give notice of his decision (s) to the Contractor.

- b) Subject to other forms of settlement hereinafter provided the Director of the Centre/ Unit decision in respect of every dispute or difference so referred shall be final and binding upon the Contractor. The said decision shall forthwith be given effect to and Contractor shall proceed with the execution of the work with all due diligence.
- c) Remedy
 - When Director of the Centre/ Unit decision is not acceptable to Contractor OR
 - 2. Director of the Centre/ Unit fails to give decision within 90 days.

In case the decision of the Director of the Centre/ Unit is not acceptable to the Contractor or Director of the Centre/ Unit fails to give decision within 90 days specified above, the Contractor may approach the Law court specified in Schedule 'F' for settlement of dispute after giving due written notice in this regard to the Director of the Centre/ Unit.

- d) Whether the claim is referred to the Group Head, CMG/ Director of the Centre/ Unit or to the Law Courts, as the case may be, the Contractor shall proceed to execute and complete the works with all due diligence pending settlement of the said dispute or differences.
 - Obligations of the Engineer-in-charge and Contractor shall remain unsettled during considerations of dispute.
- e) The reference of any dispute or dispute (s) or difference(s) to Group Head, CMG/ Head CMD or the Director of the Centre/ Unit or the Law Court may proceed not withstanding that the work shall then be or be alleged to be complete provided always that the obligations of the Engineer-in-charge and the Contractor shall not be altered by reason of the said dispute or difference being referred to Group Head, CMG/Head CMD/ Director of the Centre/ Unit or the Law Court during the progress of the works.

CLAUSE 25A SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN CMG AND CENTRAL GOVERNMENT ENTERPRISES

In the event of the contract being entered into between CMG/ Department of Space and a Central Government Public Enterprises, supersession of above clause 25 of condition of Contract the following clause shall apply 'In the event of any dispute or difference relating to the interpretation and application of the provisions of the contracts, such dispute or difference shall be referred by either party to the arbitration of one of arbitrators in the Department of Public Enterprises to be nominated by the Secretary to the Government of India, in charge of the Bureau of Public Enterprises. The arbitration Act, 1940 shall not be applicable to the arbitration under this clause. The award of the arbitration shall be binding upon the parties to the dispute provided, however any party aggrieved by such award may make further reference for setting aside or revision of the award to the Law Secretary, Additional Secretary, when so authorized by the Law secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Government of India. Upon such reference the dispute shall be decided by the Law Secretary or the Secretary, whose decision shall bind the parties finally and conclusively. The parties to the dispute will share equally the cost of Arbitration as intimated by the Arbitrator.

Provisions of clause 25 shall not be applicable to contracts where this clause 25A is applicable and the contracts for which clause 25A is not applicable clause 25 will be applicable.

CLAUSE 26
PATENT RIGHTS
DELETED

CLAUSE 27 – DELETED

CLAUSE 28 - RENUMBERED AS CLAUSE 11A

CLAUSE 29

WITHHOLDING AND LIEN IN RESPECT OF SUMS DUE FROM CONTRACTOR

Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under contract or against the contractor, the Engineer-in-Charge Government/Department shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Engineer-in-Charge or the Government/Department shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalization or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government/Department shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which may at any time thereafter become payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Engineer-in-Charge of the Government/ Department or any contracting person through the Engineer-in-Charge pending finalization of adjudication of any such claim.

It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so withheld retained under the lien referred to above by the Engineer-in-charge or Government/ Department will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-charge or Government till the claim arising out of or under the contract is determined by the competent court and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Engineer-in-charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company at the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.

(ii) Government/Department shall have the right to cause an audit and Technical Examination of the work and the final bills of the Contractor including all supporting vouchers abstract etc., to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and Technical Examination any sum is found to have been over paid in respect of any work done by the Contractor under the contract or any work claimed by him to have been done by him under contract and found not to have been executed, the Contractor shall be liable to refund the amount of over payment and it shall be lawful for Government/Department to recover the same from him in the manner prescribed in sub clause (1) of this clause or in any other manner equally permissible and if it is found that the Contractor was paid less than what was due to him under the Contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by Government/Department to the contractor, without any interest thereon whatsoever.

Provided that the Government/Department shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Engineer-in-Charge on the one hand and the

contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Engineer in Charge.

CLAUSE 29A

LIEN IN RESPECT OF CLAIMS IN OTHER CONTRACTS

Any sum of money due and payable to the Contractor (including Security Deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Engineer-in-charge or the Government/ Department or any other contracting person or persons through Engineer-in-charge against any claim of the Engineer-in-charge or the Government/ Department or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the Contractor with the Engineer in charge or Government/Department or with such other person or persons.

It is an agreed term of the contract that the sum of the money so withheld or retained under this clause by the Engineer-in-charge or the Government/ Department will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-charge or the Government/ Department or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the competent court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

CLAUSE 30

TERMINATION OF CONTRACT ON DEATH OF THE CONTRACTOR

Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the Contractor dies, the Engineer-in-charge on behalf of the President shall have the option of terminating the contract without compensation to the Contractor.

CLAUSE 31 WATER SUPPLY

The contractor(s) shall make his/their own arrangements for water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions.

- i) That the water used by the contractor(s) shall be fit for construction purposes to the satisfaction of the Engineer-in-Charge.
- ii) The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the contractor(s) for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in- Charge, unsatisfactory.

Department Supply, if available:

Water, if available and sparable, may be supplied to the contractor by Department only at the single point subject to the following conditions:-

- The water charges @ 1 % shall be recovered on gross amount of the work done.
- ii) The contractor(s) shall make his/their own arrangement of water connection and laying of pipelines from existing main of source of supply.
- iii) The Department do not guarantee to maintain uninterrupted supply of water and it will be incumbent on the contractor(s) to make alternative arrangements for water at his/ their own cost in the event of any temporary break down in the Government/Department

water main so that the progress of his/their work is not held up for want of water. No claim of damage or refund of water charges will be entertained on account of such break down.

Alternative water arrangements:

- i) Where there is no piped water supply arrangement and the water is taken by the Contractor from the wells or hand pump constructed by the Government/Department no charge shall be recovered from the Contractor on that account. The Contractor shall, however, draw water at such hours of the day that it does not interfere with the normal use for which the hand pump and wells are intended. He will also be responsible for all damage and abnormal repairs arising out of his use, the cost of which shall be recoverable from him. The Engineer-in-charge shall be the final authority to determine the cost recoverable from the Contractor on this account.
- ii) The Contractor shall be allowed to construct temporary wells in Government/ Department land for taking water for construction purposes only after he has got permission of the Engineer-in-charge in writing. No charges shall be recovered from the Contractor on this account, but the Contractor shall be required to provide necessary safety arrangements to avoid any accidents or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall also be responsible, for any accidents or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.

CLAUSE 32 ELECTRICITY

Electricity, if available in the premises and sparable, may be provided to the contractor by Department only at the single point subject to the following conditions:-

- i) The Contractor has to make his own arrangement to tap Electricity from a 3 phase/ single phase supply from location decided by Engineer-in-charge. Electricity supply will be made available only on metered basis. Electric charges will be recovered at actuals.
- ii) In all cases where/when the energy meter is not installed, defective energy meter is not replaced or not rectified immediately, the consumption charges towards electricity will be recovered on the basis of the total wattage of the load multiplied by the number of hours utilized. In all such cases the Contractor shall maintain a log book indicating wattage of the load and hours of consumption and get the same attested by Engineer-in-charge at appropriate time without fail. The decision of Engineer-in-charge in the matter shall be final.

Note: Please refer Guide lines for temporary power supply at site and general safety procedures, attached.

CLAUSE 33
RETURN OF GOVERNMENT SURPLUS MATERIALS TO GOVERNMENT
DELETED

CLAUSE 34 - DELETED

CLAUSE 35 - DELETED

CLAUSE 36

EMPLOYMENT OF GRADUATE/ DIPLOMA ENGINEERS

Contractors Superintendence, Supervision, Technical Staff & Employees

(i) The contractor shall provide all necessary superintendence during execution of the work and all along thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the contract.

The contractor shall immediately after receiving letter of acceptance of the tender and before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer-in-Charge, the name(s), qualifications, experience, age, address(s) and other particulars along with certificates, of the principal technical representative to be in charge of the work and other technical representative(s) who will be supervising the work.

If the Engineer-in-Charge, whose decision in this respect is final and binding on the contractor, is convinced that no such technical representative(s) is/are effectively appointed or is/are effectively attending or fulfilling the provision of this clause, a recovery (non-refundable) shall be effected from the contractor as specified in Schedule 'F' and

(ii) The contractor shall provide and employ on the site only such technical assistants as are skilled and experienced in their respective fields and such foremen and supervisory staff as are competent to give proper supervision to the work.

The contractor shall provide and employ skilled, semiskilled and unskilled labour as is necessary for proper and timely execution of the work.

The Engineer-in-Charge shall be at liberty to object to and require the contractor to remove from the works any person who in his opinion misconducts himself, or is incompetent or negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer-in-Charge to be undesirable. Such person shall not be employed again at works site without the written permission of the Engineer-in-Charge and the persons so removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes.

CLAUSE 37 - DELETED

CLAUSE 38 - DELETED

CLAUSE 38A - DELETED

CLAUSE 39

RELATIVE WORKING WITH DEPARTMENT

It is presumed that the Contractor is not related to any of the officers of the Department of Space. If he has any such relatives full particulars of the same should be furnished.

CLAUSE 40

RESTRICTION FOR EMPLOYING RETIRED GOVERNMENT SERVANT

No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted officer employed in Engineering or Administrative duties in the Engineering Department of the Government of India shall work as a Contractor or employ of contractor for a period of one year after his retirement from Government service without the previous permission of Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the Contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Government of India as aforesaid before submission of the tender or engagement in the Contractor's service as the case may be.

CLAUSE 41
RETURN OF MATERIALS & RECOVERY FOR EXCESS MATERIAL ISSUED
DELETED

CLAUSE 42 – DELETED

CLAUSE 43
APPRENTICE ACT TO BE COMPLIED WITH
DELETED

CLAUSE 44 - DELETED

CLAUSE 45
RELEASE OF SECURITY DEPOSIT AFTER LABOUR CLEARANCE
DELETED

C. GENERAL GUIDELINES

(TO BE READ IN CONJUNCTION WITH THE GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC))

1. STORES & MATERIALS, INSPECTION AND AVOIDING INCONVENIENCE TO DEPARTMENTS ACTIVITIES

Stores and material required for the work are to be stored by the Contractors only in places to be indicated by Engineer-in-charge. The Engineer-in-charge shall have the right at any time to inspect and examine any store and materials intended to be used in or on the works on the site or at any factory or workshop or other places where such stores or materials are being constructed or manufactured or processed or any place from where they are being obtained and the Contractor shall give such facilities as required to be given for such inspection and examination.

The Engineer-in-charge shall be entitled to have tests made at any approved Laboratory for any stores and/or materials supplied by the Contractor who shall provide at his own expense all facilities (viz.,) arrangements required for taking samples, conveyance, packing, etc., which the Engineer-in-charge may require for the purpose. Testing charges shall be borne by the Department.

Any stores and materials brought to the site for use on the work shall not be removed off the site without prior written approval of the Engineer-in-charge, but on final completion of the work Contractor shall at his own expense remove from the site all surplus stores and materials originally brought by him.

The Contractor shall not deposit materials on any site which will cause inconvenience to any of the Departmental activities. The Contractor shall undertake to clean the site free from rubbish to the satisfaction of the Engineer-in-charge. All surplus materials, rubbish and materials which may be dangerous/ cause inconvenience to the activities of the Department shall be removed at the Contractor's cost and deposited at the places fixed by EIC.

2. SPECIFICATIONS AND DRAWINGS

The drawings furnished to the Contractor shall be interpreted and identified by figured dimensions and nomenclature as indicated therein. On no occasion the drawings shall be scaled off and transferred to work.

In all cases where enlarged detailed drawings are given for any component of work, these drawings shall take precedence over those incorporated in general drawing to a comparatively smaller scale.

- a) Prior to the execution of the work, the contractor shall check all drawings, specifications and shall immediately report all errors, discrepancies and/or omissions discovered therein to the Engineer-in-charge and obtain appropriate orders on the same. Any adjustment made by the Contractor without prior approval of the Engineer-in-charge shall be at his own risk, each description of item in the schedule of quantities shall be read in injunction with the relevant drawings and the specifications and the Contractor's rate shall be deemed to be for such complete work unless otherwise specified by the Contractor while tendering.
- b) Cost of all shop drawings, fabrication drawings or form work drawings and details to be furnished by the Contractor shall be deemed to be included in his tendered rates for the work. Accordingly approval to shop drawings or other fabrication drawings

shall not be construed as authorizing award of additional work and as long as these belong to common individual scheme governed by specifications for which the Contractor has already quoted, no extra payment on any account will be admissible for all essential components that are to be necessarily executed to complete the work in all respects.

- c) Prior to submission for approval, Contractor shall be responsible for thoroughly checking all drawings to ensure that they comply with the intent & requirements of contract specifications & that they fit with the over all building layout. Drawing found to be inaccurate/ in error will be returned for correction by the Contractor.
- d) For all drawings to be submitted by the Contractor for the approval of the Engineer-in-charge, the Contractor shall submit 2 (two) copies of each drawing for approval.
- e) The approval of drawing by the Engineer-in-charge shall not be construed as a complete dimensional check, but will indicate only that the general method of construction and detailing is satisfactory. The contractor shall be totally responsible for the dimensions and design, safety of the system evolved inclusive of providing interconnected operational accessories adequate enough to accomplish satisfactory completion of work.
- f) In case of difference between drawings and specifications, the specifications shall govern. Anything mentioned in the specification and not shown in the drawings or shown on the drawings but not mentioned in the specifications shall be like effect as if shown or mentioned in both.

3. SEQUENCE OF WORK

The sequence of work shall be generally as decided by the Engineer-in-charge taking into consideration other connected works.

4. CO-ORDINATION WITH OTHER CONTRACTORS

Contractor shall extend all co-operation to the other Contractors executing the work, who might be working at the site.

5. INSPECTION OF WORK

The work shall be carried out under the directions of the Engineer-in-charge in addition subject to inspection by the representative appointed by Engineer-in-charge to ensure strict compliance with the terms, specifications and conditions of the contract. Any failure on the part of the Engineer-in-charge or his representative during the progress of inspection of work to discover any defective work or to reject materials not upto standards shall not be deemed to have been accepted and should not be construed as waived. Any defects noticed either during the period of construction or after the completion upto a period of 12 months (6 months in the case of any work other than road work costing Rs,10,00,000/- and below) from the date of completion, the Contractor is liable to carry out all repairs/rectifications at his/ their own cost to the satisfaction of the Department. Further in the event of the Contractor using substandard/inferior quality of materials which at future date is not susceptible to replacement, for structural reasons or otherwise and if concurrence is given for retention of such structure, the Engineer-in-charge will have necessary authority to recover a proportionate sum decided as per his discretion. In case the structure with the use of substandard or inferior material cannot be retained in the

work as per the opinion of the Engineer-in-charge, portion or portions of such structure/work shall be dismantled and replaced new by the Contractor at his own cost. Partial or entire occupancy of the premises shall not be construed as the acceptance of the work or materials incorporates in the work. No changes whatsoever to any provision of the specification shall be made without written authorized from the Engineer-in-charge.

6. MEASUREMENT

Where mode of measurement is not specified the measurements will be taken at site as per latest IS code of practice for measurements. The Contractor or his representative shall accompany the Engineer-in-charge or his representative when required to do so and assist in taking the measurement and shall agree to the measurements recorded on the spot. The measurements for all works in general shall be measured as per the dimensions.

All measurements shall be taken with steel tapes only. Necessary scaffolding, staging and ladders required for taking measurements shall be provided by Contractor at his cost, besides offering service of labourers for taking such measurements.

If the Contractor fails to accompany the Engineer-in-charge or other persons who have been duly authorised by the Engineer-in-charge to take measurements then he should be bound by the Measurements recorded by the Engineer-in-charge or his representative.

7. MAKE AND OTHER DETAILS OF MATERIALS

The Contractor shall furnish a list of the makes and other details of various materials he proposes to use on the work and this would be subject to the approval of Department.

8. SAMPLES

Samples of all materials to be incorporated in the work shall be submitted to the Engineer-in-charge for his approval without claiming any extra cost. The approved samples will be kept with the Engineer-in-charge till the completion of work. Materials not conforming strictly to the samples are liable to be rejected.

9. NO DAMAGE TO DEPARTMENT PROPERTY

No damage should be done to the property of the Department to the buildings or trees and if any damage so done, the Contractor is responsible for making good the loss according to the decision taken by the Engineer-in-charge.

10. SAFETY PROVISIONS/ CONTRACTOR TO BEAR THE EXPENSES IN CONNECTION WITH ACCIDENTS, IF ANY

The Contractor shall provide all necessary fencing lights required to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings which may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and costs which may be awarded in any such actions or proceedings to any such persons or which may with the consent of the Contractor be paid to compromise-any claim by any such person.

11. SECURITY REGULATIONS TO BE FOLLOWED

The Contractor have to follow strictly the regulations of the Department at the work site regarding entry of personnel, materials etc. and any other regulation that might be

enforced from time to time. Contractors personnel/ workers should possess valid passes and should produce the passes to Security/Department authorities when demanded. Contractors personnel/workers should not enter the Departmental premises, other than those for which the passes are issued and also should not enter after/before working hours without obtaining prior approvals. Any person found in the Departmental premises without authorized passes during, before or after working hours is liable for actions as per the Departmental procedures and rules.

All materials and articles brought by the Contractor to the work site shall have to be declared at the security gate. Similarly no materials shall be taken out from the Departmental premises without proper gate pass which will be issued/ caused to be issued by the Engineer-in-charge to the Contractor on written request. It is to be noted that loading of Contractor materials in vehicles and truck shall be done in the presence of Departmental personnel. The Contractors representative will have to escort the materials till the security check is over.

For working on Sundays, Holidays and late hours, even though permission will be accorded by the Engineer-in-charge the Contractor will have to make application to the Security Department also and keep them informed well in advance.

Any breach of above security regulations and rules in force from time to time will be viewed seriously. No claim whatsoever will be entertained by the Department on account of observance of Security Regulations.

12. ANALYSIS OF RATES QUOTED

The contractor when called for by the Department should furnish detailed analysis in support of the rates quoted by him against each item of the tender. The Department reserves the right to utilize the analysis thus supplied in settling any deviations or claims arising on this contract.

An allowance of 15% towards Contractors overheads and profits will be considered while determining the rate/rates on the costs of prevailing market rates as per clause 12 of general conditions of the contract.

13. NO INTEREST FOR DELAYED PAYMENTS

Wherever the time limits are specified in the General Conditions of Contract and other parts of the Contract, for payments and releasing of bank guarantee etc., by Department, Department will <u>not</u> pay any interest for delay, if any, beyond the stipulated time limits, caused due to unavoidable official reasons.

D. SCHEDULES

SCHEDULE `A' - SCHEDULE OF QUANTITIES (PRICE SCHEDULE SEPARATELY ATTACHED)

General notes:

Rates for various items of work in the accompanying schedule of quantities for(Name of work) shall be quoted after taking into account of the following notes.

- This is an indivisible works contract. The rates quoted shall include all taxes and levies payable under respective statues. Sales tax, VAT etc., as applicable will be deducted as per statues from the bill and remitted to the Department concerned.
- 2. The offered rates shall also include service tax payable under the respective statutes. Any claim on account of service tax will not be admissible.
- 3. The rate quoted shall abide all the provisions mentioned in General Conditions of Contract (GCC) and other general guidelines mentioned in this tender.
- 4. The rates for various items of works in the Schedule of quantities shall be quoted taking into account the cost of materials, labour, tools and plants, scaffolding, necessary wastages, cost of handling and conveyance of materials to place of work, over heads and profits and any other incidentals included therein.
- 5. Rates quoted by the Tenderers for various items of work shall be deemed to be inclusive of such leads and lifts mentioned therein and/or as shown in the accompanying tender drawings. Where such information is absent, the rates shall be deemed to be inclusive of the necessary leads and lifts to complete the item of work occurring at any height and with any required leads.
- 6. The rates quoted shall be in decimal coinage.
- 7. Rates quoted by the tenderer/ contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with the amount worked out by the Contractor shall be taken as correct.
- 8. If the amount of an item is not worked out by the Contractor or it does not correspond with the rate written either in figures or words, then the rate quoted by the Contractor in words shall be taken as correct.
- 9. Where the rates quoted by the contractor in figures and in words tally but the amount is not worked out correctly the rate quoted by the Contractor will be taken as correct and not the amount.
- 10. In the event no rate has been quoted for any item(s), leaving space both in figure(s), word(s), and amount blank, it will be presumed that the contractor has included the cost of this/ these item(s) in other item(s). The rate for such item(s) will be considered as ZERO. The work will be required to be executed as specified.
- 11. In the 'Item of work' description of work' column 'unit' column, the various abbreviations shall means as below.

DOS/ ISRO PART-II: POST-TENDER STAGE E-49

- a. M/m/Rm/Mtr/MTR shall mean 'Metre' in length or breadth or depth.
- b. SQM/Sqm/SM/sqm/M²/m² shall mean 'Square Metre' in area
- c. Cu.m/cu.m/Cum/M³/m³ shall mean 'Cubic Metre' in volume.
- d. Kg/kg/KG shall mean 'Kilogram' in weight.
- e. MT/mT/Mt/T shall mean 'Metric Tonne' in weight
- f. Cm/CM/cm shall mean 'Centimetre'
- 10. After duly filing the rates and amount, this price schedule shall be put in a cover super-scribed with 'Price Bid' and also the name of the work, NIT number and name of tenderer.

Signature of Tenderer with Name and legal address

Date:

(PRICE SCHEDULE SEPARATELY ATTACHED)

SCHEDULE 'B, C, D & E' - DELETED

SCHEDULE `F' - REFERENCE TO GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

Name			
1.	Estimated cost of work	`	
2.	Earnest Money	`	
3.	Performance Guarantee	`	
4.	Security Deposit	•	

General Rules & Direction:

1.	Officer inviting Tender	Group	Head,	CMG/	Head,	CMD
2.	Percentage on cost of materials and labour to cover all overheads and profits	15%				
3.	Schedule of Rates (SOR)	SOR _		of		

REF: CLAUSE 1 OF GCC: PERFORMANCE GUAR	ANTEE			
(i) Time allowed for revalidating the earnest money as performance Guarantee, from the date of issue of letter of acceptance.	15 days			
(ii) Maximum allowable extension beyond the period provided in (i) above	15 days			
REF: CLAUSE 2A OF GCC: COMPENSATION OF DELAY				
Authority of fixing compensation under clause 2A	Director of the respective Centre/ Units			
REF: CLAUSE 5 OF GCC: TIME & EXTENSION FOR DELAY				
Number of days from the date of issue of letter of Acceptance for reckoning date of start	15 days			
Time allowed for execution of work				

REF: CLAUSE 6 & 6A OF GCC: MEASUREMENT OF WORK DONE AND COMPUTERIZED MEASUREMENT BOOK

Clause applicable: 6/6A (Non applicable clause to be striked off)

REF: CLAUSE 12 OF GCC: DEVIATIONS/ VARIATIONS, EXTENT AND PRICING

Deviation limit beyond which clause 12 shall apply

For Superstructure Work	25%
For Foundation Work	50%

REF: CLAUSE 16 OF GCC: ACTION IN CASE OF WORK NOT DONE AS PER SPECIFICATION

Competent Authority for deciding reduced rates: Group Head, CMG/ Head CMD_____

REF: CLAUSE 25 OF GCC:	SETTLEMENT OF DISPUTES AND ARBITRATION
Law court of Jurisdiction	:

PART- III FORMATS

(TO BE FILLED IN BY THE TENDERER/CONTRACTOR)

FORMAT 1 LIST OF WORKS COMPLETED IN THE LAST 07 YEARS (INCL. THE CURRENT YEAR IN WHICH THE TENDER IS CALLED).

SL. No	Name of work	Nature of work	Value of work	Date of Completion	Actual date of	Whether Extension of Time of Contract was availed?		Name of client & Full Address
				as per W.O	completion	With levy of compensation	Without levy of compensation	

Note: The above details are to be furnished by the Tenderer, along with copy of work order and completion certificate issued by the client.

(Signature of the tenderer with stamp)

DOS/ ISRO PART-III: FORMATS E-54

FORMAT 2

a. DRAFT BANK GUARANTEE BOND FOR EARNEST MONEY

(To be used by Approved Schedule Banks)

1.	In consideration of the President of India (hereinafter called "The Government") having agreed to accept from
2.	We, (indicate the name of Bank) do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is required to meet the recoveries due or likely to be due from the said tenderers. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs
3.	We undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the tenderer in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.
	The payment so made by us under this bond shall be valid discharge of our liability for payment there under and the tenderers shall have no claim against us for making such payment.
4.	We (indicate the name of the Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for entering into the Agreement of contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under the terms and conditions of NIT for the work have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till Department certifies that the terms and conditions of the N.I.T have been fully and properly carried out by the said tenderers and accordingly discharges this guarantee unless a demand or a claim under this guarantee is made on us in writing on or before the
5.	We,

and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the N.I.T and/or terms and conditions governing the contract or to extend the time of validity of the offer from the said tenderer from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said tenderer and to forbear or enforce any of the terms and conditions of the NIT and we shall not be relieved from our liability hereunder by reason of any such variation, or extension being granted to the said tenderer or for any forbearance act or omission on part of the Government or any indulgence by the Government to the said tenderer or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to surety/guarantee would but for this provision have effect of so relieving us.

6.	This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the tenderers.
7.	We, (indicate the name of the Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the Government in writing.
8.	This Guarantee shall be valid upto
20	the day of
	Accepted
India	For and on behalf of the President of

b. DRAFT BANK GUARANTEE BOND FOR PERFORMANCE SECURITY (GUARANTEE)

1.	In consideration of the President of India (hereinafter called "The Government") having offered to accept the terms and conditions of the proposed agreement between
2.	We,
3.	We, (indicate the name of the Bank) the said bank further undertake to pay the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor(s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.
	The payment so made by us under this bond shall be valid discharge of our liability for payment thereunder and the Contractor(s) shall have no claim against us for making such payment.
4.	We, (indicate the name of the Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till Engineer-in-charge on behalf of the Government certified that the terms and conditions of the said agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this guarantee.
5.	We,

6.	This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the contractor(s).
7.	We, (indicate the name of the Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the Government in writing.
8.	This guarantee shall be valid upto
Dated the Ba	the

c. DRAFT BANK GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

1.	In consideration of the President of India (hereinafter called "The Government") having agreed to exempt
	We (indicate the name of the Bank) (hereinafter referred to as the Bank") at the request of Contractor(s) do hereby undertake to pay to the Government an amount not exceeding Rs (RUPEES
2.	We, (indicate the name of the Bank) do hereby undertake to pay amounts due and payable under this guarantee without any demure merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is required to meet the recoveries due or likely to be due from the said Contractor(s). Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards to amount due and payable by the Bank under this Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs
3.	We undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor(s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.
	The payment so made by us under this bond shall be valid discharge of our liability for payment thereunder and the Contractor(s) shall have no claim against us for making such payment.
4.	We, (indicate the name of the Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharges or till Engineer-in-charge on behalf of the Government certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this guarantee.
5.	We, (indicate the name of the Bank) further agree with the Government that the Government shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time of performance by the said Contractor (s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exerciseably by the Government against the said Contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement

and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision, have effect of so relieving us.

6.	This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s).
7.	We, (indicate the name of the Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the Government in writing.
8.	This Guarantee shall be valid upto
	Dated theday of
	(indicate the name of the Bank)
	Note :-

Before a Bank Guarantee is accepted, an affidavit duly sworn in before a first class magistrate, may also be taken from the Contractor that he would keep the validity of the Bank guarantee intact by getting it suitably extended from time to time, at his own initiative, upto a period of twelve months for any other maintenance period prescribed in the agreement after the recorded date of completion of the work as directed by the Engineer-in-charge and indemnifies the Government against any losses arising out of non encashment of Bank guarantee. Such an undertaking may be taken on a non judicial stamp paper, as required, in the enclosed proforma.

FORMAT 3

AFFIDAVIT

i/ we, nave subi	mitted a Bank	guarantee for the wo	rk	
(Name	of	work)	Agreement	No.
				from
	(name	of Bank with full addre	ess) to the Group Head, (CMG/ Head
CMD/ Engineer-	in-charge with	h a view to seek ex	emption from payment	of Security
Deposit in cash	. The Bank	guarantee expires or	١	I/ We
undertake to kee	ep the validity	of the Bank guarante	e intact by getting it exte	ended from
time to time at r	ny/our own in	itiative upto a period o	of	months
after the recorde	d date of comp	oletion of the work as d	lirected by the Engineer-ir	n-charge.
		nment against any loss	ses arising out of non-enc	ashment of
the Bank guaran	tee, if any.			
Note: This affida	vit is to be give	en by the executant be	fore a first class Magistrat	e.
			01 (10 1	
			Signature with leg	jai address
Mitagogg				
Witnesses:				
1)				
2)				
۷)				

FORMAT 4

INDEMNITY BOND

N	∩ t	Δ	•
1 1	Οı	v	

The contractor shall furnish an indemnity bor	nd in non-judicial stamp paper worth
Rs.100/- within ten days of the acceptance of the ten	ider as per the format given below:

Whereas the first party is the contractor for the said work and whereas the first party has agreed to comply with the clause 19 of the General Conditions of Contract (GCC) for the said work.

Now this deed witnesses that the first party agrees to be liable to indemnify the Government/ second party in accordance with clause 19 in General Conditions of Contract (GCC) for the said work and shall at all times keep the Government/ second party indemnified against all future claims in respect of the said clause and first party also agrees to indemnify the Government/ second party against or in respect of all charges, costs and damages which the Government/ second party may incur on account of default made by the first party in respect of the said clauses.

In witness whereof the first party has signed this bond on the date first above written in the presence of the following witnesses.

Signature of First party

Witnesses:

1)	١																								
١,	١.	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠

2)